खण्ड-325, अंक-7
शुक्रवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1899
(22 जुलाई, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 325 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५२३
प्रश्नोत्तर	५२९
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था	५४२
फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में सुरहुर परगना में चकबन्दी रद्द होने से सम्बन्धित विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	५४५
लखनऊ नगर महापालिका द्वारा भवन एवं जलकर निर्धारण के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	५४५
मथुरा जनपद की छाता तहसील के अन्तर्गत लालपुर बांध टूट जाने से हजारों गांव जलमग्न हो जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	५४६
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों के लिए सदस्यो द्वारा सूचना देने के सम्बन्ध में व्यवस्था में परिवर्तन ..	५४७
गोरखपुर की विभिन्न चीनी मिलों पर गन्ना किसानों तथा मजदूरों का बकाया होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	५५०
मुरादाबाद मण्डल को तोड़ने से जनता में असंतोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	५५१
राजकीय इण्टर कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कई हजार शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	५५१
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५५१
लखनऊ नगर महापालिका भवन एवं जलकर निर्धारण के सम्बन्ध में श्री डी० पी० बोरा द्वारा दी गयी सूचना पर स्वायत्त शासन मंत्री का स्पष्टीकरण	५५४
उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) नियमावली, १९७७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५५५
उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल अध्यापक (बचत एवं बीमा) नियमावली, १९७६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	५५६
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, १९७६ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	५५७
दी प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लिमिटेड को चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट १९७५-७६ एवं लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	५५७

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) नियमावली, १९७६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५५८
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	५५८
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५५८
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७६-७७) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	५५८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर विवाद (जारी)	५५८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६१७
वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील के ग्राम छिछुवा और भुर्रा का गंगा नदी की बाढ़ से कटान के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१९

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ जुलाई, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--२८७

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली अस्गर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीस कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफी लाल, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री--
इस्माईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायन, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊबल, श्री
एबल सिंह, श्री
ए० सी० गाइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किसन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एलाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री

गंगा प्रसाद श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गंजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
(उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री
(जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री

पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह पुण्यवान, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री
(एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा अरविन्द, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू, श्री
बृज लाल, श्री,
बेचू राम, श्री
बेनी माधव, श्री (जिला बुलन्दशहर)
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
(जिला बाराबंकी)

बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीष्म, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री
(उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनेन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री

मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणबीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन्द, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रायं मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती

विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भनाथ, श्री
शम्भूनाथ, चौधरी
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारद प्रसाद जाजूवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुल्ली भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बक्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरबीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन लाल, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—गन्ना विकास मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

नमूना प्रति

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २२ जुलाई, १९७७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले के ग्राम ढकुआ में हरिजनों की गोली से हत्या

**१—श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी) तथा श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि २४ जून, १९७७ को बाराबंकी जिले में ग्राम ढेकवा मजरा कमोल, थाना टिकतनगर के अन्तर्गत दो हरिजनों की दिन में गोली से मार कर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २४-६-७७ को ग्राम ढकुआ, थाना टिकैतनगर, जिला बाराबंकी में कुछ ठाकुरों तथा ब्राह्मणों ने हरिजनों पर मरे जानवर न उठाने के कारण हमला किया जिसमें दो हरिजन मारे गये और तीन घायल हुए। इस सम्बन्ध में १२ अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या ९२, धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३२३/३०२ भारतीय दण्ड विधान, थाना टिकैतनगर में अंकित हुआ। इसमें ६ अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है तथा ८२/८३ जा० फौ० की कार्यवाही के फलस्वरूप शेष ६ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु गांव में पुलिस तथा पी० ए० सी० तैनात कर दी गयी है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बद्री चमार वहीं मौके पर मर गया और दूसरा सातादीन थाने में आने के पहले मर गया, लेकिन जब उसकी ओर से तहरीर लिखाने की बात आयी, तो कान्सटेबिल ने धारा ३०२ में अभियोग नहीं लिखा, बल्कि ३०७ में लिखा ? साथ ही साथ वहां के एक दूसरे कान्सटेबिल ने और बिरादरी वालों को यह सलाह दी कि जितने चमार पासी आदि हैं, उन सबको फंस दो और उसके बाद एक एफ० आई० आर० लिखाकर उन ४० आदमियों को फंसा दिया गया, ताकि वे गवाही आदि में न आ सकें।

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जो मृतक है, वह मौके पर नहीं मरा इसलिए पहले धारा ३०२ में नहीं लिखा, जब मर गया तब उसे ३०२ में किया गया।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, एक आदमी को गोली लगी और फौरन मर गया, दूसरा आदमी थाने में आने के पहले मर गया, पर फिर भी आरोप धारा ३०७ के अन्तर्गत ही दर्ज किया गया, ३०२ में नहीं किया गया, तो या तो इसको इनकारा जाय या स्वीकारा जावे, मुख्य मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें ?

श्री राम नरेश यादव--

ऐसा नहीं है कि दोनों मौके पर मरे।

श्री श्यामधर मिश्र--

क्या यह सही है कि इन कातिलों में कुछ हिस्ट्रीशीटर्स भी हैं, जिनको बन्दूकों के लाइसेन्स मिले हुये ह ? अगर हां, तो क्या सरकार ऐसी नीति बनायेगी कि ऐसे लोगों को यह लाइसेन्स न दिये जायें.... (व्यवधान)

एक सदस्य--

यह उनको कांग्रेसी जमाने में दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

आप इससे खुश हो लें। (व्यवधान)

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने पत्र मुख्य-मंत्रियों को लिखा है, उस पर क्या लिखा, क्या कार्यवाही हो रही है, इन्हीं वाक्यात के सम्बन्ध में ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, इस बात की सूचना नहीं थी कि वे हिस्ट्रीशीटर हैं, कि नहीं। जिन लोगों ने बन्दूक का इस्तेमाल किया था, उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिये गये ह और बन्दूकें जमा करा ली गयी ह।

श्री श्यामधर मिश्र--

प्रधान मंत्री वाला नहीं आया, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, या तो आप कह दें कि आज्ञा नहीं है या मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी से दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी द्वारा मुख्य मंत्रियों को लिखा गया पत्र कि हरिजनों के सम्बन्ध म विशेष रूप से कार्यवाही की जाय, क्या ऐसा कोई पत्र आया है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, इसकी सूचना पहले नहीं थी कि क्या लिखा गया क्या नहीं। हरिजनों के सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट है, अगर उनके सम्बन्ध में कोई भी ज्यादती करेगा, तो सरकार उनको किसी प्रकार से नहीं बख्सेगी। जो मृतक थे, उनके आश्रितों को हमने ५-५ हजार रुपये की आर्थिक सहायता की और जो घायल थे, उनको भी हमने आर्थिक सहायता की।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, क्या मुख्य मंत्री जी का ध्यान समाचार-पत्रों में, जो भारत के प्रधान मंत्री जी का पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के नाम प्रकाशित हुआ है, क्या वह समाचार सही है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह जिस प्रश्न के संदर्भ में प्रश्न किया गया है, उससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसके सम्बन्ध में, जो आपकी जानकारी हो, उत्तर दीजिए, उनको मैंने इसकी अनुमति दे दी ।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, हरिजनों का प्रश्न जो बार-बार उठाया जाता है, हमारी सरकार उस मामले में सजग है । इसलिए जो भी पत्र आये हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी के, उनके उत्तर उनके पास भेजे जा चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह था कि अखबार में यह लिखा गया कि प्रधान मंत्री जी ने कोई पत्र आपको लिखा । तो माननीय नेता विरोधी दल का प्रश्न यह है कि क्या उसकी तरफ आपका ध्यान गया ? यह समाचार निकला या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, जो भी समाचार में इस तरह की बातें छपी थीं, हमारा ध्यान उस दिन से ही नहीं, उसके पहले से ही इन समस्याओं की तरफ है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने जो प्रश्न आज है, उसी प्रकार का एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं । क्या हरिजन बंधु जो हैं, वे मरे हुए पशुओं को उठाना नहीं चाहते हैं और वे मरे हुए पशु फेंक दिए जाते हैं, यह समझ कर कि राष्ट्रीय सम्पत्ति है ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति न होने पाये और जो बंधु इस कार्य को न करना चाहें, उनसे जबरन यह काम न लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह सुझाव है । इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, हरिजनों ने, जब भूतपूर्व कांग्रेस सरकार थी, तो अपनी जान माल की रक्षा के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता है । इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री रियासत हुसन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि किस समय यह घटना हुई, तथा एफ० आई० आर० किस समय लाज कराई गयी और जो-जो आदमी मरे हैं, उनके मरने का समय क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह घटना ४ बजे शाम की बताई जाती है । जो प्रथम सूचना पत्र अंकित किया गया है, वह ७-१५ पर शाम को हुआ है । जो पोस्ट मार्टम हुआ है, वह २६-६-७७ का है । मरने का जहां तक समय है इसके सम्बन्ध में, इसमें निश्चित समय की सूचना नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या यह बात सत्य है कि २४ को घटना हुई है और २५ तारीख को सवेरे सात बजे रिपोर्ट अंकित की गई है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैंने पहले ही जिस समय पर प्रथम सूचना पत्र अंकित हुआ है, उसको बता दिया है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ? यदि है, तो उसमें ड्यूरेशन आफ डेथ लिखी होगी । वह बतायें ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके ही बता सकूंगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मरे हुए जानवरों को आदमी नहीं उठाना चाहते थे, यह जो मरे हुये जानवर थे, किसके थे, इसके अतिरिक्त, जो आदमी मरे थे, तो क्या यह जानवरो को उठाने का कार्य करते थे ?

श्री राम नरेश यादव—

यह विवाद बहुत पहले से चला आ रहा था । घटना के समय, जो बात हुई, विवाद के कारण ही यह घटना हो गई ।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मान्यवर, मैंने पूछा कि जो, आदमी मरे, क्या वह जानवर उठाने का धंधा करते थे ?

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी, प्रश्न यह है कि जिन आदमियों की मृत्यु हुई, क्या वह जानवरों को उठाने का पेशा करते थे या नहीं करते थे ? दूसरे यह मवेशी किन लोगों के थे ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, प्रथम सूचना पत्र जो था, उससे प्राप्त सूचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि, पहले ऐसा लगता है कि यह लोग मरे हुए पशुओं को उठाते थे। बाद को न उठाने की वजह से यह हुआ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुलजिमान की तरफ से मरने वालों के खिलाफ रिपोर्ट क्या है तथा उसका समय क्या था ?

श्री अध्यक्ष—

यह बता चुके हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, यह नहीं बतलाया है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया कि निश्चित समय कब, वह मरे, इसकी सूचना नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि मरने वालों के खिलाफ रिपोर्ट किसने लिखवाई और उसका समय क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, अभियुक्तगण की तरफ से एक रिपोर्ट १०-४५ बजे रात में, धारा १४७/१४८/३०७ में लिखी गयी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जो प्रथम सूचना की रिपोर्ट है, उसको मंत्री जी पढ़ने की क्या कृपा करेंगे और वह किसकी लिखी है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, प्रथम सूचना पत्र की जानकारी प्रश्नकर्त्ता की है और उसकी विशेष जानकारी यदि वह चाहें, तो बता सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, हमको कोई सूचना नहीं है और यदि सूचना होती, तो प्रश्न न करते।

श्री अध्यक्ष—

पढ़कर संक्षेप में बता दें। पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम नरेश यादव—

माननीय, प्रथम सूचना-पत्र के अनुसार जैसा कि इसमें जबानी लिखाया गया है, वह यह है—वादी भुलई है। वादी और जो दोनों मरे हैं खेत में हल चला रहे थे। दो तीन साल से मरे हुये जानवरों को न उठाने के बारे में इन लोगों में रंजिश चली आ रही थी। मारपीट के कारण ३०७ का मुकदमा चल रहा था। रंजिश में वह लोग आये और इन लोगों पर इस तरह हमला किया और उसके सिलसिले में चोटें उनको आयीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने प्रधान मंत्री जी के पत्र के सम्बन्ध में आज्ञा दी, लेकिन जिस हल्केपन से कहा...

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

प्रश्नोत्तर काल में कोई व्यवस्था नहीं होती है। आपने सदन में व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था कोई नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय, मैंने पूछा था कि प्रधान मंत्री को कोई पत्र लिखा कि नहीं ? समाचार-पत्र में छपा तो वह सही है कि नहीं ? उत्तर मुख्य मंत्री जी ने भेजा तो क्या भेजा ? प्रधान मंत्री का पत्र बड़े महत्व का होता है। इसलिए उसे गोपनीय रखने की बात नहीं है। यदि इस समय नहीं है, तो उसका उत्तर बाद में सदन की मेज पर रखें।

माननीय, दूसरा प्रश्न है कि सरकार ने नीति घोषित किया है कि जहां हरिजनों पर अत्याचार होंगे, तो वहां सामूहिक रूप से जुर्माने लगाये जायेंगे। तो क्या वहां जुर्माना लगायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

माननीय, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री का पत्र आया था और मैंने उसका उत्तर उनको भेज दिया है। उन पत्रों में जिन घटनाओं का संकेत था, उनके सम्बन्ध में जांच करने के लिए मैंने निर्देश जारी कर दिये हैं और मैं आज भी सजग हूं। सूचनाओं के आ जाने के बाद जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके प्रति जो भी वैधानिक कठोर कदम उठाने आवश्यक होंगे, उसमें पीछे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ एक बात और जैसा कि माननीय तिवारी जी ने संकेत किया कि सामूहिक जुर्माने होंगे, तो मैं माननीय के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तरीके पर यह घटना हुई। अगर सामूहिक तरीके से इस तरह की घटना होगी, तो जुर्माना अवश्य लगेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सामूहिक से आपका क्या मतलब है ?

(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । मै अनुमति नहीं देता । प्रश्न संख्य २ ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, अभी सप्लीमेंटरी प्रश्न करने हैं । या फिर ४६ के लिए इजाजत दे दें । इस पर कोई सफाई नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न पर २० मिनट हो चुके ।

देवरिया जिले के उदित नारायण इन्टर कालेज के परीक्षाफल की घोषणा

**२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उदित नारायण इंटर कालेज, पडरौना (देवरिया) के पांच सौ छात्रों का हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट का वर्ष १९७७ का परीक्षाफल आज तक घोषित नहीं किया गया है, फलस्वरूप विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में तीव्र क्षोभ व्याप्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

उदित नारायण इंटर कालेज, पडरौना, देवरिया के हाई स्कूल के ४१५ तथा इन्टरमीडिएट के ६४३ परीक्षार्थियों के परीक्षाफल उनके अर्हता प्रमाणित न होने तथा उनके परीक्षा शुल्क प्राप्त न होने के कारण रोक लिए गए थे । आवश्यक जांच के उपरान्त अर्ह पाए गए हाई स्कूल के ४०८ तथा इंटर के ६१८ परीक्षार्थियों के परीक्षाफल दिनांक १६ जुलाई, १९७७ को घोषित कर दिया गया । शेष हाई स्कूल के ७ तथा इन्टरमीडिएट के २५ परीक्षार्थियों के अर्हता की पुष्टि नहीं हुई । अतः इनकी परीक्षायें निरस्त कर दी गईं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष इस तरह की प्रक्रिया इस कालेज में क्यों चलाई जा रही है ? क्या १९७६ के परीक्षाफल भी इसी तरह से रोके गए थे ?

श्री काली चरन—

यह प्रश्न १९७७ की परीक्षा के बारे में था । १९७६ की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कौशिक जी आपने जो प्रश्न किया, वह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है । क्या इसी प्रकार १९७६ के परीक्षाफल उस कालेज में रोके गए थे और प्रतिवर्ष यह प्रक्रिया क्यों चलाई जा रही है कि हर वर्ष ७००/८०० विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोक दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परीक्षा शुल्क और अर्हता । 'अर्हता' से उनका क्या मतलब है ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, कौन परीक्षार्थी किस परीक्षा में बैठने के योग्य है, उसका कुछ नियम होता है, जसे इन्टरमीडिएट परीक्षा में बैठन के लिए, हाई स्कूल और उसके समकक्ष जितनी परीक्षायें मानी गयी हैं, वह उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण है अथवा नहीं, ९वीं कक्षा पास है या नहीं । ये सारे नियम हैं और नियमों का पालन करना है। अर्हता के अन्तर्गत आता है । परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ही बोर्ड परीक्षाफल घोषित करता है ।

श्री ऊबल—

उदित नारायण इन्टर कालेज जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कक्षा ९ पास है या नहीं, ११ पास है या नहीं, मान्यता प्राप्त इन्टर कालेज है या नहीं ? क्या इस कालेज में दो–दो कमेटियां चल रही हैं, दो–दो प्रिंसिपल यहां पर हैं, कई वर्षों से झगड़े यहां पर चल रहे हैं, क्या ये बातें सत्य हैं ? यदि सत्य हैं, तो क्या सरकार गम्भीरतापूर्वक इन बातों पर विचार कर, इस शिक्षा संस्था को कानून के मुताबिक चलायेगी ?

श्री काली चरन–

श्रीमन्, उदित नारायण इन्टर कालेज, पडरौना में कुछ प्रबन्धकीय विवाद रहा है । वहां दो प्रधानाचार्य अपने को विद्यालय का प्रधानाचार्य कहते रहे हैं और इस झगड़े के कारण वहां कुछ समय के लिए साधिकार प्राप्त नियंत्रक नियुक्त किया गया था और शासन ने यह आदेश दे दिये हैं कि अगर विद्यालय नियमित रूप से विधिवत नहीं चलेगा, तो उसे साधिकार प्राप्त नियंत्रक अपने अधिकार में ले लेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

वहां दो कौन–कौन से प्रधानाचार्य स्कूल चला रहे थे ?

श्री काली चरन—

वहां प्रधानाचार्य का पद रिक्त है । अभी नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई है । जो सब से सीनियर अध्यापक, श्री नरदेश्वर मिश्र हैं, उनको वहां के प्रबन्धक ने प्रधानाचार्य माना है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

हम उदित नारायण इन्टर कालेज में गए थे। परीक्षायें चल रही थीं । दो–दो प्रधानाचार्य मौजद थे, साधिकार प्राप्त नियंत्रक मौजूद थे । पी० ए० सी० की देख–रेख में व्यवस्था चल रही थी । मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की गैर कानूनी हरकतें वहां कब तक चलती रहेंगी ? वहां पर दो जगहों पर लड़कों का प्रवेश भी ले रहें हैं ।

श्री काली चरन—

जो साधिकार प्राप्त नियंत्रक की नियुक्ति वहां पर हुई थी वह उस समय के शिक्षा मंत्री ने की थी और नियमित नहीं थी। तीन महीने के बाद चूंकि नियमित नहीं थी, विधि विभाग ने यह राय दी कि मामला हाईकोर्ट में जायगा। विधि विभाग की राय से शासन सहमत हुआ और साधिकार प्राप्त नियंत्रक हटा दिया गया। अब शासन ने विधिवत् उनको नोटिस दी है कि आप अगर विद्यालय का प्रबंध ठीक तरह से नहीं चला पायेंगे, तो शासन बाध्य होकर साधिकार प्राप्त नियंत्रक नियुक्त करेगा। इसकी कार्यवाही शुरू हो गई है और विधिवत् काम पूरा करके साधिकार प्राप्त नियंत्रक नियुक्त कर, स्कूल का कम ठीक से चलाया जायगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कूल के अलावा और भी कुछ विद्यालय हैं, जिनका परीक्षाफल रोक दिया गया है ? यदि हां, तो शासन उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि परीक्षाफल रोक दिया गया और इसका कारण यह था कि निर्धारित योग्यता पूरी नहीं की गयी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व परीक्षार्थियों को इसकी सूचना दे दी गयी थी कि इस प्रकार की योग्यता पूरी न होने पर परीक्षाफल रोक दिया जायगा ?

श्री काली चरन—

चूंकि वे विद्यालय शासन से मान्यता प्राप्त हैं, जो आवेदन पत्र भेजे गए थे, तो विद्यालय को यह सूचना भेजी जाती है कि आपके विद्यालय में इतने परीक्षार्थियों का परीक्षाफल इन-इन कारणों से रोक दिया गया है। यह सूचना विद्यालय को भेज दी गयी थी।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मैं यह जानना चाहता था कि जब बोर्ड को यह सूचना मिली कि इन विद्यार्थियों ने निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की है, तो नियमानुसार परीक्षार्थियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए, परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले। उसके बाद उस विद्यालय के प्रधानाचार्य को यह अधिकार था कि वह फिर बोर्ड को लिखता और बोर्ड अनुमति देता, तब वह परीक्षा में बैठ सकते थे। लिहाज यह सब प्रधानाचार्य तथा बोर्ड की गलती से हुआ और उसका खामियाजा यह हुआ कि लड़कों को सफर करना पड़ रहा है ?

श्री काली चरन—

प्रत्येक लड़के को सूचना देने का सवाल नहीं होता क्योंकि वह विद्यालय मान्यता प्राप्त था....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उन विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य की भूल के कारण क्षति उठानी पड़ रही है। अगर वह योग्यता रखते थे, तो क्यों परीक्षाफल रोका गया? यह बाद में क्यों तय किया गया कि वे अनर्ह हैं या नहीं, इसका मान्यता से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका स्पष्ट उत्तर आप मंगवाइये प्रधानाचार्य से और इसकी जांच कराकर जवाब दीजिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया ?

श्री काली चरन—

इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक नियमों के मुताबिक किसी भी विद्यार्थी को बैठने ही नहीं दिया जाता था, जब तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं हो जाता था तो फिर उन विद्यार्थियों को परीक्षा में किसने बैठने दिया ?

श्री काली चरन—

व्यक्तिगत परीक्षार्थी तो अपनी परीक्षा शुल्क पहले ही जमा कर परीक्षाओं में बैठते हैं। जहां तक संस्थाओं का प्रश्न है, संस्था के प्रधानाचार्य सम्पूर्ण परीक्षार्थियों की परीक्षा शुल्क विद्यालय की ओर से भेज देते हैं।

मोहन होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के छात्रों की गिरफ्तारी

**३—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक के छात्र एवं छात्राओं को १५-७-७७ को मोहन होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया ? क्या यह भी सही है कि १२-७-७७ को विधान भवन के सामने छात्र एवं छात्राओं पर लाठी चार्ज किया गया था ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ? लाठी चार्ज व गिरफ्तारी का कारण क्या था ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। किन्तु १२-७-७७ को विधान भवन के सामने कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। होम्योपैथी छात्रों की निम्नलिखित मांगे हैं :

(१) होम्योपैथिक निदेशालय का गठन पृथक् रूप से किया जाय।

(२) होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण किया जाय।

(३) होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट साइन्स (बायलोजी) हो।

(४) कालेजों में शिक्षा व्यवस्था एक शिफ्ट में की जाय तथा सीमित छात्रों का प्रवेश हो।

(५) छात्रों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली जाये।

(६) अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति समुचित होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जायें, जिसमें नियुक्त होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की भांति

समान अधिकार एवं समान वेतन हो एवं उक्त चिकित्सालयों में अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण छात्रों को अनिवार्य इन्टर्नेशिप की व्यवस्था की जाए। पूर्व घोषित होम्योपैथिक चिकित्सालयों की व्यवस्था समुचित रूप से की जाये और उसमें व्याप्त अनियमिततायें दूर की जायें। घोषित डिस्पेन्सरियां शीघ्र खोलने की व्यवस्था हो।

(७) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व जिला अस्पतालों में एक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हों।

(८) प्रान्त के प्रत्येक कालेज में डिग्री कोर्स जी० एच० एम० एस० की व्यवस्था की जाने और बी० एम० एस० पास चिकित्सकों हेतु जी० एच० एम० एस० के कन्डेन्सड कोर्स की व्यवस्था हो।

(९) प्रत्येक कालेज में कम से कम ५० शय्याओं का अस्पताल हो, जिसका संचालन शासन द्वारा हो।

(१०) होम्योपैथी चिकित्सा के उत्थान हेतु राज्य में होम्योपैथिक शोध संस्थान खोला जाय।

(११) होम्योपैथिक फार्मेसी को जो एलकोहल परयूम्ड ऐक्ट के अन्तर्गत किया गया है वह मेडिसिन ऐक्ट के अन्तर्गत किया जाये।

(१२) सभी होम्योपैथिक कालेजों हेतु भूमि भवन की व्यवस्था की जाये और जिन कालेजों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है और उन्हें अभी तक उस पर अधिकार नहीं मिला है, उसे तुरन्त दिलाया जाये जैसे नेशनल होम्योपैथिक कालेज, कानपुर।

(१३) जिन होम्योपैथिक के पुराने छात्र नेताओं पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उसे अविलम्ब वापस किया जाये।

(१४) वार्षिक परीक्षा के पहले एक और पूरक परीक्षा ली जाये।

(१५) जो छात्र पिछले सप्लीमेन्टरी परीक्षा में छूट गए थे, उनकी परीक्षा अगली परीक्षा के साथ ली जाये।

होम्योपैथिक छात्रों एवं छात्राओं की धारा १४४ के उल्लंघन के फलस्वरूप तथा १०७/११६ सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तार किया गया। छात्र एवं छात्राओं पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

श्री मन्जूर अहमद—

माननीय सभापति, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १२ तारीख को यह सवाल इसी सदन में आया, प्रोसीडिंग मौजूद है, आपको मालूम है, छात्र और छात्राओं पर लाठी चार्ज हुआ और मुख्य मंत्री जी यह कह कर कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, सदन को गुमराह कर रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंजूर अहमद, आपका यह आक्षेप है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री मन्जूर अहमद—

उन्होंने कहा कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। (व्यवधान)।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

यह वापस लें (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का....

श्री अध्यक्ष—

श्री शतरुद्र प्रकाश जी आप बैठें। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न करने दें।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं पूछना चाहता हूं कि १२ तारीख को आपके समक्ष यहां अखबारों में भी छपा, प्रोसीडिंग में भी मौजूद है कि लाठी चार्ज विधान भवन के बाहर हुआ। उसके बारे में, मैं पूछना चाहता हूं कि लाठी चार्ज हुआ या नहीं और जो समाचार-पत्रों में छपा है, वह सही था या गलत ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि कोई लाठी चार्ज नहीं आ था और न ही कोई लाठी चार्ज की वहां योजना थी।

श्री मन्जूर अहमद—

मेरा सवाल यह नहीं है....

श्री अध्यक्ष—

आपको जो दूसरा प्रश्न करना है, वह कीजिए।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार—

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि उनकी जो पहली मांग है कि एक दूसरा डाइरेक्टोरेट खोला जाय उसके बारे में क्या राय है और उसे कितने समय में खोलने जा रहे ह ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जितनी भी मांगें हैं, सब मांगें सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने एक बात पहले भी कही थी कि २७ तारीख को बैठेंगे। इस बीच विचार-विमर्श हो रहा है और जो सारी मांगें ह, उन पर विचार करेंगे और वार्ता का क्रम चलता रहेगा।

श्री रियासत हुसन—

श्रीमन्, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि २७ तारीख को बैठेंगे। २७ तारीख तो अभी दूर है, आन्दोलन चल रहा है। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए उनके नुमायंदों से कोई बात करेंगे और आश्वासन देंगे, ताकि बाहर जो आन्दोलन चल रहा है, वह समाप्त हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिए यह प्रश्नों का समय है जो प्रश्न करते है, उसका सम्बन्धित मंत्री उत्तर देंग। प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता है। यह अत्यन्त अनुचित है, जो आप व्यवधान डालते हैं।

श्री राम नरेश यादव—

जैसा मैंने पहले ही कहा था, जितनी भी मागें हैं, उस पर हम एक-एक कर विचार कर रहे हैं, अभी से और २७ तारीख को विस्तृत रूप मे सब पर विचार करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह एक अच्छी बात है कि २७ तारीख को विचार-विमर्श हो रहा है, तो क्या एक सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए गिरफ्तार छात्रों को अविलम्ब रिहा करने की आप कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

सारी मांगें विचाराधीन हैं, तो इस सिलसिले में एक मांग यह भी है। मेरे लिए और शासन के सामने आपके लिए और उनके लिए मांगों के सम्बन्ध में वार्ता के लिए द्वार खुला हुआ है। हमारे पास दरवाजा किसी के लिए बन्द नहीं है। जब उनके लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए थे तो..

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया..

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, जब तक मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। आपको इजाजत नहीं है।

श्री राम नरेश यादव—

मैं नेगी जी को बताना चाहता हूं कि इस बारे में हम बहुत ही सजग हैं कि हमारा शासन शान्तिपूर्ण ढंग से और सही ढंग से चले और इसीलिए उन पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री कल्प नाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि होम्योपैथिक छात्रों में, इस बात को लेकर बहुत ही असन्तोष है कि उनकी पढ़ाई के बाद उनको सरकारी नियुक्ति में, उन्हें एलोपैथी डाक्टरों की अपेक्षा बहुत कम स्थान मिलते हैं। इससे उनके सामने रोजगार की समस्या है और दूसरी परेशानियां हैं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है, यह तो मांगों में है। (श्री सुखपाल पांडेय के खड़े होन पर) मैं बोल रहा हूं, आप बैठिए। यह मांगों में लिखा है। 'एलोपैथी के समकक्ष हमें माना जाए'। इसका जवाब दिया जा चुका है, सरकार सब पर विचार कर रही है।

अब प्रश्न समाप्त हुए।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

[* * * *]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

आप गलत बात कर रहे हैं, आप बैठिए, आपको अब इजाजत नहीं है। यह लिखा नहीं जायगा।

(व्यवधान)

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित और कई अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर, माननीय सुन्दर लाल दीक्षित जी आप बैठें, नहीं तो हमें सदन छोड़ने के लिए कहने को, बाध्य होना पड़ेगा।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के फिर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

आप बैठिए, नहीं तो सदन छोड़िए।

(माननीय सदस्य के न बैठने पर)

आप बैठिए, नहीं तो सदन छोड़े। मार्शल इनको सदन छोड़वाइए।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के बैठने तथा पुनः खड़े होने तथा कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

नोट—[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय मंजूर अहमद, आप बैठिए। मैं अनुमति नहीं दूंगा। अब कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

सुन्दर लाल दीक्षित जी, मैं आपको कह चुका, आप बैठिए, वरना सदन छोड़िएगा। आप बैठिए। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारने तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित के पुनः खड़े होने पर।)

आप अपना स्थान ग्रहण करें। सुन्दर लाल जी आप सदन छोड़े। मार्शल, सदन छोड़वाइये इनको बाहर कीजिए।

यह क्या तरीका है? मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि व्यवस्था....

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आप सुनिए तो।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि सदन के नियमों का पालन कराने में सहायता करें जिससे माननीय सदस्य इस प्रकार से अवज्ञा न करें।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के पुनः खड़े होने पर) दोबारा आपको चेतावनी देता हूं। आप सदन छोड़े या यहां पर शान्ति बनाए रखें। आप बिना आज्ञा के बार-बार खड़े होते हैं। मुझे बाध्य होकर आपको निष्कासित करना पड़ेगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें, वरना आपको निष्कासित किया जायगा।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित बैठ गए।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, यह जो इस समय स्थिति उपस्थित हो गयी, आप थोड़ा सा गम्भीरता से विचार कर लें, तो इसका निराकरण हो सकता है। आप जानते हैं कि अध्यक्ष के आदेशों का पालन करने में, विरोधी पक्ष कितना तत्पर रहता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके आदेशों का पालन करगे और आपकी मर्यादा और आपके आदेशों का भविष्य में भी पालन करेंगे।

यह प्रश्न माननीय मंजूर अहमद (मेरठ) की ओर से हुआ। उनको दो प्रश्नों के पूछने का अवसर प्राप्त हुआ। अवश्य उनकी इच्छा थी, इधर के बैठने वालों की कि कुछ प्रश्न और पूछ लें। प्रश्नोत्तर का एक घंटा होता है। १२ बजे तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल तीन प्रश्न अजेंडा पर हैं। तीसरा प्रश्न चल रहा था। अगर आप उचित समझते कि और प्रश्न पूछ लें, तो अनुचित न होता। इसी भावना को माननीय सदस्य व्यक्त कर रहे हैं। इसमें मार्शल वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि दो बार प्रश्न माननीय सदस्यों को और पूछ लेने दें, तो सब समाधान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का एक घंटा होता है, लेकिन तारांकित प्रश्न नहीं है । अल्पसूचित प्रश्न हैं और तीन प्रश्नों पर ४५ या ४० मिनट का समय हुआ । माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि अगर पूरे तारांकित प्रश्न हों, तो बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न करेंग और एक प्रश्न पर १० मिनट से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए । अल्पसूचित प्रश्नों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए और प्रश्न पूछते वक्त माननीय सदस्य जानते हैं, न कोई आक्षेप करना चाहिए । विवाद इस चीज पर हुआ । उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री ने गुमराह किया है । माननीय नेता विरोधी दल स्वयं जानते हैं कि आप अपने विवाद में कोई इस तरह की बात कहना चाहें तो वह दूसरी बात है, लेकिन प्रश्नों के समय यह सूचना प्राप्त करने का अंग नहीं है । फिर जब मैंने कहा कि प्रश्न समाप्त हो गये, उसके बाद बार-बार एक सदस्य का खड़ा होना और खासतौर से श्री सुन्दर लाल दीक्षित इस प्रकार की परिपाटी डालना चाहते हैं, अवज्ञा करने के लिए, इससे सदन को शान्ति के साथ चलाना असम्भव होगा । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि व्यवस्थित रूप से सदन को चलाने में मदद करें । इस प्रश्न के द्वारा काफी सूचना मिल चुकी है । मैंने प्रश्नों के बाद सूचना देने का कार्यक्रम रखा है और श्री तिवारी को बुलाया है, अतः अब मैं अनुपूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र—

आपको कम से कम सुन तो लेना चाहिए । अभी प्रश्नों का समय बाकी है ।

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम के अनुसार बोल रहे हैं ? आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप बैठ ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर ।)

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । आप बैठिये ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

अगर आप सुनना नहीं चाहते तो हम सदन का त्याग करते हैं ।

(विरोधी पक्ष के लोग सदन का त्याग करके चले गए ।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

(सदन का त्याग करते समय) सदन में गुमराह किया जा रहा है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

रियासत हुसैन जी, आप बैठें, क्यों [****] बन रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े होने पर) आप बैठ जायें । किसलिए खड़े हैं ? मैंने श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को बुलाया है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फजाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

नोट—[****] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, नहीं तो सदन छोड़िए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

आपने मेरा नाम पुकारा है। इसलिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को पुकारा है। आपके प्रश्न को अस्वीकार किया है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मुरादाबाद जिले से कई सूचनायें आयी हैं कि....

श्री अध्यक्ष—

आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप बैठें। अपना स्थान ग्रहण करें। आप बैठिए। आप बिना इजाजत के नहीं बोल सकते हैं।

फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में सुरहुरपुर परगना में चकबन्दी रद्द होने से सम्बन्धित विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, फैजाबाद जिले के अकबरपुर तहसील के सुरहुरपुर परगना के १०० से अधिक गांवों की चकबन्दी को धारा ४ के अधीन गजट में प्रकाशन हो गया है और अब उसे चकबन्दी अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत रद्द किया जा रहा है। इसका परिणाम जनता में बहुत खराब होगा। वहां पर चकबन्दी के सम्बन्ध में बहुत से मुकदमें चल रहे हैं, धारा ५ के अन्तर्गत चाहे वे अधीनस्थ न्यायालयों में हो या उच्चतम न्यायालय में हों, वे सारे मुकदमें अबेट हो गए हैं। धारा ६ के अन्तर्गत उनको अगर लाया गया, तो लिमिटेशन का सवाल पैदा हो जायगा। उन काश्तकारों को फिर से मुकदमा दायर करना पड़ेगा और ६ महीने के बाद सेक्शन ४ का नोटीफिकेशन हो जायेगा और उन लोगों का रुपया बरबाद हो जायेगा। तो जो चकबन्दी अधिकारियों की फर्जी कार्यवाहियां हैं, जिनके कारण सरकार ने सेक्शन ४ का नोटीफिकेशन कर दिया। उनकी खामियों को दूर करने के लिए धारा ६ का नोटीफिकेशन न किया जाये, नहीं तो उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरशाही की गल्तियों को छुपाने के लिए उस इलाके के किसानों को दंडित न किया जाय।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा भवन एवं जलकर निर्धारण के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही अहम मसले को सदन के सामने रखने की इजाजत दी है। लखनऊ नगर महापालिका ने आपात-कालीन स्थिति का बेजा फायदा उठाकर भवन एवं जलकर निर्धारण की राशि को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

८० लाख रुपये से बढ़ाकर २ करोड़ ८० लाख रुपया, लखनऊ में लगा दिया है। चूंकि उस समय एमरजेन्सी लगी हुई थी और धमकियां देकर, इस प्रकार बिना सुनवाई किए अन्धाधुन्ध कर निर्धारण हुआ था, वह नाजायज है। इतना ही नहीं मान्यवर, इलाहाबाद और वाराणसी की नगर महापालिकाओं में निर्धारित कर के ऊपर २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि लखनऊ में यह ४०० और ५०० प्रतिशत कर में वृद्धि हुई है। आगरा और कानपुर में तो वर्तमान सरकार ने कर निर्धारण, नये निर्वाचन होने तक रोक दिया है, जबकि लखनऊ में यह ४००–५०० प्रतिशत बढ़ा दिया है, जिससे लोगों में बड़ा रोष और असंतोष व्याप्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्वाएत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में कोई तुरन्त कार्यवाही करें, जैसा कि उन्होंने लखनऊ के नागरिकों के प्रतिनिधि मण्डल को जो उनसे मिला था, आश्वासन दिया था कि वे उस पर ३ दिनों के अन्दर कोई फैसला करेंगे।

मैं एक बात और गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन मकानों का न्यूनतम कर निर्धारण १८० रुपया था, वह बढ़ा कर अब १,२०० रुपये तक कर दिया गया है, जिससे गरीब लोग भी बेहद पीड़ित हैं और सारे शहर में आक्रोश और रोष व्याप्त है, मैं चाहूंगा कि इस अहम मसले पर और बिना किसी सुनवाई के जो ४०० और ५०० प्रतिशत कर बढ़ाया है, इस पर आप माननीय मंत्री जी से कोई वक्तव्य तुरन्त दिलाने की कृपा करें क्योंकि सदन कल तक है। मुझे आशा है आप इसमें हस्तक्षेप करके माननीय मंत्री जी से कोई वक्तव्य दिलाने की कृपा करेंगे। इसमें ३ और विधायकों ने लिखा है। ये हैं श्री हरी कृष्ण श्रीवास्तव (कानपुर), श्री बाबू बदरे (कानपुर) और श्री दीप नारायन (गोंडा)।

मथुरा जनपद की छाता तहसील के अन्तर्गत लालपुर बांध टूट जाने से गावों के जलमग्न हो जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन् महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में.....।

श्री अध्यक्ष—

आप राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त न करें। आपकी तहसील में जो क्षति हुई है, उसके बारे में ही सूचना देने की कृपा करें ?

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में घाघरा नदी के कटाव से ....।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, आपको मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री लक्खी सिंह—

श्रीमन्, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि पिछले साल मेरी तहसील में, लालपुर बांध है, जो हरियाणा की सीमा पर है। उस बांध को हरियाणा के जो थ, रक्षा मंत्री श्री बंसीलाल जी, उन्होंने उसको तुड़वा कर के मेरे जिले की दो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील, छाता और मथुरा के सैकड़ों गांवों में जल-प्रलय पैदा कर दी । श्रीमन्, वही हालत अब है । कई दरख्वास्तें वहां से आयी हैं और वहां गांव डूब रहे हैं, कामर है, लालपुर, दहगांव, बठैन कलां, बठैन खुर्द, कदौना, जाब आदि । वहां ऐसी हालत हो रही है कि न पशु निकलते हैं, न मनुष्य । लोगों का निकलना भारी हो रहा है, सारा गल्ला, भूसा सब पानी में डूब गया है । यही हालत पहले साल हुई, तो पहली सरकार ने ७-८ लाख रुपया बरबाद किया और हेलीकाप्टर से मुख्य मंत्री तिवारी जी के दौरे होते रहे । उस बांध में पाइप लगा दिये हैं । वह पाइप अगर उखड़ जायं और पुख्ता हो जाय तो वहां की जनता को राहत मिलेगी, नहीं तो वहां त्राहि-त्राहि हो रही है और मेरा क्षेत्र में जाना भी दुश्वार हो जायगा । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो सिंचाई मंत्री हैं, वह अगर तत्काल अविलम्ब इस पर गौर नहीं करेंगे, तो वहां की जनता तबाह हो जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी सूचना देता हूं । मुझे आशा है कि आप इस पर सिंचाई मंत्री के द्वारा वक्तव्य दिलाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ।

सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों के लिए सदस्यों द्वारा सूचना देने की व्यवस्था में परिवर्तन

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मैं सूचना देना चाहता हूं ....।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । यह नियम हमने बना दिया है, सदस्यों की सुविधा के लिए कि एक घंटे पहले सदन के जो माननीय सदस्य कोई सूचना देना चाहते हैं, वह मेरे कक्ष में आकर के एक घंटे पहले देंगे । और अब चूंकि माननीय सदस्य चाहते थे, कुछ सुविधा हो तो सदन समाप्त होने के आधा घंटा के अन्दर सूचना दें और ५ तक सूचना स्वीकार करेंगे ।

इसी प्रकार की एक सूचना श्री रियासत हुसैन ने दी थी, जो प्रश्न आप करना चाहते हैं । आपने नहीं दी, इसलिए आप कृपया इस प्रश्न को अभी आज नहीं उठा सकते ह । श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मैं आप से मिलने गया था कल इसी सूचना के बारे में, तो आप सो रहे थे, अपने कमरे में ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी मैंने स्वीकार नहीं की है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

[* * * *]

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप बैठिये। (व्यवधान) यह प्रोसीडिंग का अंग नहीं बनेगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

[* * * *]

श्री अध्यक्ष---

आप बार-बार अवज्ञा करते हैं। मैंने अनुमति नहीं दी। आप बैठ जाइये। हर आदमी नहीं बोल सकता।

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

आप मेरी बात तो सुन लें।

* * * *

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कृपया आप सदन छोड़िये।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के बोलते रहने पर)

सदन छोड़िये आप। मार्शल, इनसे सदन छोड़ाइये। आप बैठिये नहीं तो सदन छोड़िये।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के बोलते रहने पर)

आप बैठिये नहीं तो सदन छोड़िये। आप को मैंने इजाजत नहीं दी है। आप जाइये, सदन छोड़िये। मार्शल आपको बाहर हटाइये।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह बैठ गये।)

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का व्यवहार यह सदन का अपमान है। प्रश्नों के बाद जो सूचनाएं वहां देनी हैं, मैंने यह नियमित किया है कि केवल ५ इस तरह की सूचनायें देने की अनुमति दी जायगी, जिनको ज्यादा महत्व का समझा जायगा। ४२५ सदस्य हैं। अगर प्रश्नों के बाद खड़े हो कर यह कहें कि मेरा बयान है, मेरा पूरक प्रश्न है....(श्री भगवती प्रसाद सिंह के पुनः खड़े होने पर) आप बैठिये। आप अपना स्थान ग्रहण करियें। माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी, आप पुराने सदस्य हैं। नियमों के अनुसार आप सदन के अन्दर अपना व्यवहार कीजिये। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

एक निवेदन था। कुछ गलतफहमी सदन के अन्दर हो गयी। गलतफहमी यह हुई कि सब से पहले आपने भगवती प्रसाद सिंह का नाम लिया....।

नोट---[***]श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेगी जी, आप से पहले मैं कह चुका हूं। मैंने यह कहा कि मैं उनका नाम ले कर, यह कहना चाहता था कि आपके प्रश्न को मैंने स्वीकार नहीं किया है और मैंने सूचित कर दिया कि स्वीकार नहीं किया है। मैंने सदन को यह सूचित किया कि इस प्रकार की सूचनायें, जो माननीय सदस्य सदन में देना चाहते हैं, जो ज्यादा महत्व की होंगी ५ की अनुमति दी जायगी और १ घंटा पहले जो सूचना देंगे। आज मैंने माननीय सदस्यों के सुझाव पर थोड़ा संशोधित कर दिया कि सदन के उठने के बाद आधा घंटा के अन्दर और सवेरे १० बजे तक, जो सूचनायें प्राप्त होंगी, उनमें से जिन ५ को मैं स्वीकार करूंगा उनके नाम मैं बतलाऊंगा। सभी सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मैं नहीं कहता कि वह महत्वपूर्ण नहीं हैं। भगौती प्रसाद सिंह जी ने जो सूचना मुझको दी, वह समय के अन्दर थी लेकिन विचार करने के बाद जिन ५ को ज्यादा जरूरी समझा उनको ही मैंने स्वीकार किया है। माननीय भगौती प्रसाद सिंह जी ने जो सूचना दी, उसको स्वीकार नहीं किया। वह चाहें तो कल फिर...(श्री भगवती सिंह के फिर खड़े होने पर) कोई बहस नहीं, आप बठिये। आप अपना स्थान ग्रहण करिये। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मैं आपकी अनुमति से सरकार और माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ....।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के पुनः खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आप से कहा आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। इस प्रकार की अव्यवस्था सदन में नही चल सकती। आप बैठिये, अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के बोलते रहने पर।)

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप सदन छोड़िये। मैं आपसे कहता हूं आप सदन छोड़िये। मार्शल, जा कर इनको सदन छुड़ाइय। मैंने श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को बुलाया है, आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी, आप कृपया बैठिये, सदन में शांति बनाये रखिये। आप अगर नहीं बैठते हैं, तो सदन छोड़िये। (श्री भगवती प्रसाद सिंह के न बैठने पर) मार्शल। माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी को सदन से बाहर ले जायें।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय ...।

श्री अध्यक्ष--

सुन्दर लाल जी, आप कृपया बैठें। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपने अवज्ञा करने का क्या संकल्प ले रखा है? आप बठिये। अगर आप अवज्ञा करेंगे, तो मुझे इंगित करना पड़ेगा। मार्शल वापस आ जायें।

गोरखपुर की विभिन्न चीनी मिलों पर गन्ना किसानों तथा मजदूरों का बकाया होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदन का ध्यान और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान पंजाब शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, घुघली, गोरखपुर, महाबीर शुगर मिल, सिसवा, गोरखपुर तथा छितौनी चीनी मिल, देवरिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन तीनों चीनी मिलों पर किसानों का पिछला करीब एक-एक करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है। मजदूरों का वेतन कई महीनों का नहीं मिला है। घुघली चीनी मिल में १३ महीने से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। मिल में कोई काम नहीं हो रहा है। क्रशिंग सीजन आने वाला है। गन्ना किसानों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। मिल के मजदूरों के सामने भूखों मरने की स्थिति आ गयी है।

सूचना के लिये मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पंजाब चीनी मिल घुघली नारंग ब्रादर्स से संबंधित है और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कुलदीप नय्यर, वह और उनका परिवार भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सुपुत्र से संबंधित हैं। जो इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स हैं, वे मिल को चलने नहीं देना चाहते। इन तीनों मिलों को अगर स्टेट शुगर कारपोरेशन ने तत्काल अपने कब्जे में नहीं लिया, उनका अधिग्रहण नहीं किया, तो निश्चित ही उस इलाके के किसानों के सामने एक विषम स्थिति पैदा हो जायगी। छितौनी और घुघली मिल के मजदूर आज भूखों मरने की स्थिति में हैं। महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है, मैं भारी उद्योग मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वे शीघ्र कोई कदम उठायें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया भाषण न दें, केवल सूचना ही मांगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं मान्यवर, सूचना ही दे रहा हूं। सारी परिस्थिति से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। चीनी मिलों में गन्ने की पिराई का सीजन आने वाला है। मिलों में मरम्मत का काम भी काफी पहले से शुरू हो जाता है। अगर अभी से मरम्मत नहीं की जायेगी तो मिलें नहीं चल पायेंगी।

मान्यवर, इन तीनों मिलों ने प्राविडेन्ट फंड का भी लाखों रुपया हजम कर लिया है। इसलिये मैं चाहता हूं सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान देने की कृपा करें।

श्री बी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं ....।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुरादाबाद मण्डल को तोड़ने से जनता में असंतोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन् उत्तर प्रदेश की सरकार ने आते ही सबसे पहले मुरादाबाद मंडल को तोड़ने की घोषणा कर दी। इस घोषणा का बिलकुल ख्याल और वहम नहीं था। रामपुर, बिजनौर और मुरादाबाद की जनता में बहुत ज्यादा घोर असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। वहां जगह-जगह पर भूख हड़ताल हो रही हैं, तथा जलूस निकाले जा रहे हैं। कचहरियां बंद हैं। मान्यवर, इस तरह की बातें होनी शुरू हो गयी हैं, अगर इसके ऊपर पुनर्विचार शासन ने न किया, तो हो सकता है कि इन तीनों जनपदों का गम्भीर रूप हो जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि परिस्थिति और न बिगड़े इस बात के ऊपर तुरन्त विचार करें और मुरादाबाद मंडल को तोड़ने की घोषणा को तुरन्त वापस लें।

राजकीय इण्टर कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्तुत करता हूं कि यह खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले राजकीय इन्टर कालेजेज उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कई हजार शिक्षकों की इस सरकार द्वारा सेवायें समाप्त की जा रही हैं। कुछ अध्यापकों की तो सेवायें समाप्त की जा चुकीं और कुछ की की जा रही हैं। इन शिक्षकों में १० वर्ष से अधिक कार्य करने वाले शिक्षक भी हैं। ये अध्यापक एक लम्बी अवधि से शिक्षण कार्य करते हुए अपने कार्य में सफलता सिद्ध कर चुके हैं। इनकी सेवाओं की सराहना न केवल विभागीय अधिकारियों ने की है, बल्कि इनकी सेवा पुस्तिकायें भी इसका प्रमाण हैं। इनका दक्षता रोक पार करना भी इनकी कार्य कुशलता का परिचायक है।

गत वर्ष यहां तक कि प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों की चयन प्रणाली के कारण जिनकी सेवायें इस रूप से समाप्त हो रही थीं, उनकी सेवायें शासन ने जारी कर स्थायी कर दिया।

इस बेरोजगारी के जमाने में नया रोजगार देना तो दूर जिनको रोजगार मिले हैं, उनको भी यदि सरकार छीन लेगी, तो इससे स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम ६३ में जो प्राविजो है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

कौन सा नियम ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, ६३ । मान्यवर, अंग्रेजी में पढ़ दूं ।

(व्यवधान)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, जब हिन्दी में नियम उपलब्ध है तो अंग्रेजी में क्यों पढ़ना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप क्या प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

सदन के अवमान के संबंध में, मान्यवर । मान्यवर, नियम ६३ इस प्रकार है :--

"विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न का उठाया जाना"--

"किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से--

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा ।

(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा ।

(३) याचिका द्वारा, अथवा

(४) समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा :

परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ।"

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है । मान्यवर, होमियोपैथिक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुआ । मान्यवर, इसी कौंसिल हाउस के अन्दर छात्र हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि लाठी चार्ज हुआ, इसकी जांच करेंगे । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर इस सदन को गुमराह किया है और इस सदन का अवमान किया है । मान्यवर, इसको एडमिट करके, सदन के अन्दर चर्चा करने की अनुज्ञा दें ।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)---

जिस समय उन्होंने स्वीकार किया है....।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आपको मैंने अनुमति नहीं दी है । इस पर बहस नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र पाल—

जिस समय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है, उस समय....।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । इस पर इस प्रकार की बहस नहीं होती है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । इसमें देखना पड़ता है कि प्राग्दर्शन में केस है या नहीं ? आपने कहा कि अवमान सदन की दृष्टि में हुआ है । आपका कथन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया । उन्होंने सदन की दृष्टि में कोई अवमान नहीं किया । उन्होंने अपनी एक बात कही । जिसको आप कहते हैं कि वह सत्य नही है । आपके कथन और उनके कथन के अंदर आपस में पारस्परिक विरोध है । सदन का अवमान जब होता है, तो सदन के सामने, मेरे सामने तो लाठी चार्ज हुआ नहीं । प्रत्यक्ष सदन की दृष्टि में अवमान नहीं हुआ । जो प्रश्न आप कह रहे हैं, अखबारों के आधार पर, या अपनी सूचना के आधार पर कर रहे हैं, और जिसका खंडन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया । इसलिये कोई सदन के अवमान का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं भी एक सूचना देना चाहता हूं । एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई बहस नहीं है । आप बैठिये । अगर कोई अवमान सदन की दृष्टि में हुआ है, तो तुरन्त कह सकते हैं । अन्यथा आप लिखकर नोटिस दे सकते हैं । आपसे एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि जिस वक्त अवमान होता है, उसी वक्त खड़े हो कर के उसको उठाना चाहिये कि इसलिये हम विशेषाधिकार का प्रश्न लाना चाहते हैं । आप कक्ष में, लिखकर दे दें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, केवल सूचना देना चाहता हूं । आपने प्रश्नोत्तर काल में एक व्यवस्था दी थी ....।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । अगर आप कोई प्रश्न उठाना चाहते थे तो उस वक्त उठाते जिस वक्त आप समझते हैं कि अवमान हुआ । इसमें शब्द यह हैं कि 'सदन की दृष्टि में' तो तब आपने अपनी बात नहीं कही । इसकी सूचना आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं केवल सूचना दे रहा हूं । लिखकर कल दे दूंगा । एक मिनट मान्यवर, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त कैसे आपको अनुमति दूं ? इस वक्त इसका औचित्य नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, यह प्रोसीडिंग का अंग नहीं बनेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

विद्वान मित्र की जिज्ञासा के संबंध में, कहना है कि इस संबंध में रूलिंग्स मौजूद हैं । कभी रूलिंग के खिलाफ वाक आउट होता है, तो ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अपनी सहमति देने पर विचार करूंगा । आपको जो लिखकर देना है वह दे दीजिये ।

लखनऊ नगर महापालिका भवन एवं जलकर निर्धारण के संबंध में श्री डी० पी० बोरा द्वारा दी गयी सूचना पर स्वायत्त शासन मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

(स्वायत्त शासन मंत्री से) बोरा जी ने जो सूचना दी है । क्या उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, माननीय डी० पी० बोरा, माननीय बाबू बदरे तथा कुछ विधायकों ने नियम ५१ के अन्तर्गत, पिछले २ दिनों में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित किया है । इस संबंध में जो नगर पालिकाओं में मूल्यांकन कार्य चल रहा था, उसको निरस्त करने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था । मैंने सारे मामले को विभागीय परीक्षण कराया था और लखनऊ नगरमहापालिका ने जो मूल्यांकन की कार्यवाही की है उसको निरस्त करने का अधिकार वर्तमान नगरपालिका अधिनियम में शासन को नहीं है । लेकिन फिर भी मूल्यांकन के संबंध में इस नगर के मकान मालिकों को राहत देने के संबंध में, मैं गम्भीरता से विचार कर रहा हूं और यदि आवश्यक समझूंगा, तो अगले सत्र में इस संबंध में नगर पालिका अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करूंगा ।

(श्री बाबू बदरे के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

बाबू बदरे जी, इसमें बहस के लिये कोई नियम नहीं है । मंत्री जी ने स्वतः अपना उत्तर दिया है, इसलिये इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।

नोट—[× × ×]श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मैं कहना चाहूंगा कि एसेसमेन्ट में जब तक मकान की वैल्यूएशन न बढ़े या एडीशनल निर्माण न हो, उस समय इतना एसेसमेन्ट लगाना वहां उचित नहीं है। कानपुर में हमारे अधिकारियों न धांधलेगर्दी की है।

श्री अध्यक्ष—

आप चर्चा कर रहे हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है, आप बैठें। (बाबू बदरे जी के खड़े रहने पर) आप बैठें।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा नियम के अनुसार आचरण करें। स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो प्रथा नहीं है उदारता पूर्वक उत्तर दे दिया। अब आप इस पर विवाद करना चाहते हैं, तो वह नहीं। इस पर न तो कार्यक्रम में प्रवेश है और न कोई नियम है। मैंने ५ व्यक्तियों को इजाजत दिया है। इस पर विवाद नहीं होगा। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जो सूचना स्वीकार हों, उनका जि। सदस्य से संबंध हो उसको उसका उत्तर शीघ्र भेज दें। इस पर इसलिये बहस का प्रश्न नहीं है।

(श्री रमा शंकर कौशिक के खड़े होने पर)

रमा शंकर कौशिक जी, आपका स्वीकार नहीं है। इसलिये आप बैठें।

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, १९७७*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विद्युत् अनुभाग-३ की अधिसूचना संख्या ४६८ पी०-३-७७/२३, दिनांक २४ फरवरी, १९७७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रान्सफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, १९७७, जो उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार दिनांक २६ मार्च, १९७७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में आप स्पष्ट कर लें कि जब सदन विघटित हो गया और यहां की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में और सदन में निहित हो गयी थीं, तो क्या यह उचित नहीं था, इसका औचित्य आप देख लें कि यह संसद में क्यों नहीं पेश किया गया। उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) के संबंध में जो खाई रह गयी, जो गैप हुआ और जो अवधि है, उसका निराकरण होना चाहिये। इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

---

*छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

नियम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है । यह तो सदन के पटल पर रखा गया है । आपने प्रश्न रखा तो नियम की बैधता का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं दूसरी बात कह रहा हूं । सदन के पटल पर रखने की तिथि २६ मार्च, १९७७ थी । सदन के विघटन हो जाने के कारण निर्दिष्ट कालावधि पूरी नहीं हुई इसलिए यह दोबारा रखना पड़ा । इस बीच जो कार्य हुए वह अवैध हो गये, क्योंकि नियम नहीं बने ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल यह जानते हैं कि नियमावली जब सदन के पटल पर रखी जाती है, एक प्रेसक्राइब्ड समय में सदस्य उस पर आपत्ति कर सकते हैं । जब नियमावली सदन के पटल पर रखी गयी, तो उसके अनुसार आचरण शुरू हो गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह तो लैप्स हो गयी ।

श्री अध्यक्ष—

नियमावली लैप्स हो गयी और फिर रखी गयी तो वह नियम के विरुद्ध नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नियमावली रखना ठीक है लेकिन बीच में जो गैप हो गया, उसको रैगुलराइज करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

जिस अधिनियम के मातहत नियम बने तो अवैध नहीं हैं, नियम प्रकाशित हो गये, वह नियम अब रख दिये तो अवधता कहां पैदा होती है ?

उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल अध्यापक (बचत एवं बीमा) नियमावली, १९७६*

शिक्षा मंत्री—(श्री काली चरण)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग (५) की अधिनियम संख्या ५५४४/१५(५)-७६—४२२-७५, दिनांक १९ अगस्त, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल अध्यापक (बचत एवं बीमा) नियमाली, १९७६, जो उत्तर प्रदेश बेशिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ की धारा १९ की उपधारा (२) के अनुसार दिनांक १० दिसम्बर, १९७६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, का पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम १९७६

श्री अवधेश प्रसाद (सूचना राज्य मन्त्री)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से कार्मिक अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या १२/१/१९७४ कार्मिक १, दिनांक ३ नवम्बर, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतुर्थ संशोधन) दिनांक ३० मार्च, विनियम, १९७६, जो "संविधान" के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अनुसार १९७७ को सदन के पटल पर रखे गए थे और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं जानना चाहता हूं कि इसकी कालावधि कब से मानी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह क्या गजट में प्रकाशित हो गई है ?

श्री राम प्रकाश (उद्योग मंत्री)--

यह तो आज से ही मानी जायगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आज से कब तक मानी जायगी ? तैयार होकर आये होंगे, बतलायें ।

श्री अध्यक्ष--

इस समय कोई प्रश्नों का समय नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सदन के पटल पर रख रहे हैं, तो हमें जानने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष--

वह सदन में रख दी गई । इस समय यह सब जानने का अवसर कहां है ?

दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लिमिटेड की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट १९७५-७६ एवं लेखा विवरण

श्री राम प्रकाश (उद्योग मंत्री)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लिमिटेड की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट १९७५-७६ एवं लेखा विवरण को सम्परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा भारत के नियन्त्रक और महा सम्परीक्षक की टीकायें सहित, कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) नियमावली, १९७६†

श्री मधुकर दीघे (वित्त मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या ८८/४-१(२)-७६, दिनांक ३ जून, १९७६ द्वारा प्रख्यापित भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) नियमावली, १९७६, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उप धारा(२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचनाएं

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (स्वायत्त शासन मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या २०९७/९-४--११२-७७, दिनांक ३१ मार्च, १९७७ को, उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, १९७५ की धारा ९६ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७७†

श्री अवधेश प्रसाद (सूचना राज्य मंत्री)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या २४/१८-७७-कार्मिक-१, दिनांक ३० अप्रैल, १९७७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७७ को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७६-७७) का ग्यारहवां प्रतिवेदन‡

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७६-७७) के ग्यारहवें प्रतिवेदन को, जो षष्ठ विधान सभा के विघटन से पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर विवाद (क्रमागत)††

श्री अध्यक्ष—

अब जो राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विवाद चल रहा था वह शुरू होगा ।

---

†छापी नहीं गई ।

††छापा नहीं गई ।

†††दिनांक १९ जुलाई, १९७७ की कार्यवाही से ।

श्री उचित नारायण (जिला हमीरपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य द्वारा पेश किए हुए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस प्रस्ताव पर जब से वाद-विवाद आरम्भ हुआ है, एक विशेष बात की तरफ, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसकी जो भी आलोचना विरोधी पक्ष द्वारा की गई, उसकी एक विशेषता यह है कि इस अभिभाषण के पैराग्राफ के विषय में उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। मैं समझता हूं श्रीमन्, कि इस अभिभाषण का ही नहीं बल्कि इस सत्र का सब से महत्वपूर्ण विषय पैराग्राफ दो है। मैं नहीं समझ सका कि माननीय नेता विरोधी दल ने उसे कूद कर निकल जाना, जिसे अंग्रेजी में स्किप ओवर कहते हैं, करना क्यों मुनासिब समझा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गत दो वर्षों में, जो इमरजेन्सी का समय था, वह इस देश के लिए, इस देश के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण समय था और उसके विषय में कोई भी चर्चा विरोधी पक्ष की तरफ से नहीं हो, वह केवल इसी बात का प्रतीक हो सकता है कि उसमें जो कुछ लिखा है, तसलीम है। इस सबके होते हुए जिस प्रसन्नता के साथ, माननीय नेता विरोधी दल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, उसे देखकर मुझे हैरत हुई। मैं यह अपेक्षा करता था कि किसी न किसी जगह उनके चेहरे पर शिकन जरूर आयेगी, लेकिन मैं निराश हो गया, जब मैंने देखा कि इस सब पृष्ठभूमि में आज उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। मालूम ऐसा होता था उनके बोलने से कि कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा होता यदि कुछ शिकन उनके चेहरे पर आई होती। किसी अंग्रेजी के नावेल में पढ़ा था जो शायद चार्ल्स डिकन्स का था, एक जालिम जमींदार, जिसको उस देश में बैरन कहा जाता था, वह किसी गुलाम के हन्टर मार रहा था, तो यह कहा गया कि मारने के वक्त अगर उसके चेहरे पर जरा भी शिकन आ गई होती, तो यह समझा जाता कि उसको भगवान ने बिलकुल नहीं भुला दिया। इस अभिभाषण का पैरा दो जो है इस पर बोलते हुए कहीं किसी जगह पर कोई मलाल उनको पैदा नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि जहां तक जनतंत्र का ताल्लुक है, इस देश की जनता ने, जो इतना बड़ा इतिहास बनाया, इतना बड़ा सबक दिया उसे और दीवार पर लिखे हुए इतने मोटे-मोटे हर्फ जो हैं, उन्हें आज भी वह पढ़ने के लिए तयार नहीं हैं। उन्होंने ४२ और ४७ की क्रान्ति की बात कही इससे मैं समझ गया कि उनके पास कुछ कहने को है नहीं, जब इतने गंभीर मसलों को छोड़कर वह बाल की खाल निकालने लगे तो सिवा इसके क्या कहा जाय कि इस अभिभाषण के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ था नहीं।

यह अभिभाषण आज तक के हुए अभिभाषणों से एक भिन्न समय में हो रहा है, भिन्न परिस्थितियों में हो रहा है। मेरा अभिप्राय यह है कि माननीय राज्यपाल का अभिभाषण सामान्यतः सत्र होने के आरम्भ में होता है या सामान्य निर्वाचन के बाद हुआ करता है लेकिन बहुधा यह होता है कि सामान्य निर्वाचन के बाद भी वही सरकार आ जाती है जो पहिले थी। इस मर्तबा बिलकुल एक नई सरकार बिलकुल एक नए वातावरण में आई। इसलिए

[श्री उदित नारायण---]

इस अभिभाषण में और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती थी सिवा इसके कि उसमें आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को हम आपके सामने प्रस्तुत करते। लेकिन उस रूपरेखा के बारे में कोई आलोचना उधर से नहीं की गई। कुछ थोड़ा सा उन्होंने निगमों के बारे में कहा। इसमें कोई शक नहीं कि निगमों की आवश्यकता होती है लेकिन यह भी सही है कि जितना दुरुपयोग उनका हुआ है उतना दुरुपयोग और किसी चीज का नहीं हुआ और बिला वजह जितनी फिजूल-खर्ची उन पर की गई है, उतनी किसी अन्य काम पर नहीं की गई। जब हमारे पास पैसे की कमी हो, हम जानते है और माननीय नेता विरोधी दल सबसे अधिक जानते हैं कि सरकार के पास कितना पैसा है उसको देखते हुए इस तरह की फिजूलखर्चियों से हमको दूर रहना चाहिये, उनमें नहीं पड़ना चाहिये।

इसके पश्चात् मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह समाजवादी रहे हैं और कदाचित् आज भी अपने को समाजवादी समझते होंगे। उनने इस शासक पक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों को समाजवादी कहकर सम्बोधित किया है। मैं ऐसा समझता कि यदि कभी उनको समाजवादी कहलाने का अधिकार था, तो वह इमरजेंसी के बाद समाप्त हो गया है। श्रीमन्, समाजवाद की व्याख्या माननीय आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जितनी अच्छी की है, उतनी आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। उसमें उन्होंने कहा, जहां तक जनतन्त्र का ताल्लुक है, डिमोक्रेसी का जहां तक ताल्लुक है। 'It is necessary ingrediant of the concept of socialism.' जिसका अर्थ होता है कि जनतंत्र समाजवाद की परिभाषा वह अविभाज्य अंग है।

श्री अध्यक्ष--

आप दो मिनट में समाप्त कीजिए ८ मिनट हो चुके हैं।

श्री उदित नारायण सिंह---

श्रीमन्, मैं बहुत कम बोलता हूं, १० मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष---

कृपया ५ मिनट में समाप्त करें।

श्री उदित नारायण---

यदि यह सही है कि समाजवाद का अभिभाज्य अंग जनतंत्र होता है, तो जनतंत्र की हत्या जिनके हाथों हुई, जिनके शासन काल में हुई है, उनके मुंह से इस शब्द का निकलना उचित नहीं और न ही उन्हें समाजवाद की दुहाई देना शोभा देता है। उस अधिकार से वह वंचित हो चुके हैं। मैं कड़े शब्द कम इस्तेमाल करता हूं, नहीं तो मैं कहना चाहता था कि जनतंत्र की हत्या से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, वे यहां पर खड़े होकर समाजवाद की बात करें, अनुचित है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनकी विचारधारा है कि जनतंत्र और समाजवाद में विरोधाभास है उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं कि जनतंत्र समाजवाद का आधार है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत जल्दी खतम करूंगा क्योंकि आपकी आज्ञा हो गई है। श्रीमन्, हमारे माननीय श्यामधर जी ने कहा कौन सी ऐसी बात हो गई है, यह परिवर्तन एक साधारण सी बात हुई है।

चनाव हुए जैसा अमेरिका में सरकार हट गई और दूसरे आ गये, वैसा ही यहां हुआ । क्या सचमुच में यहां ऐसा ही हुआ है ? क्या यह सामान्य चुनाव हुआ है ? श्रीमन्, कभी भी, अभी तक हिन्दुस्तान में ही नहीं, किसी देश में क्या एसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े प्रदेश में ८५ सीटों में से एक भी सीट विरोध पक्ष को न मिले, तो श्रीमन्, यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं था । (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यही हालत आपकी होगी (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहिए ।

श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके माध्यम से माननीय श्यामधर जी से यह कहना चाहता हूं कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे बीच में टोकेंगे । जब उनको टोकते हैं तो बुरा लगता है । हमारी तरफ से टोकना गलत होता है और उनकी तरफ से टोकना क्या गलत नहीं है ? जब उस पक्ष से श्यामधर जी जैसे लोग टोकते हैं, तो मुझे क्षोभ होता है ।

श्रीमन्, १९७१ के चुनाव हुए थे, तो उस समय बड़े फख्र के साथ कांग्रेस पक्ष के मित्र कहते थे कि एक इंदिरा आंधी आई थी, तो उसी तरह से १९७७ के चुनाव परिणामों का भी मूल्यांकन क्यों नहीं करते हैं ? यह हो सकता है कि जो आप कहते हैं, वह सही हो । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय श्यामधर जी ने और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि क्रांति हुई या नहीं । ५ वर्ष के बाद मालूम होगा । मान्यवर, क्रांति होती और उस क्रांति के बाद जो सरकार आती है, यदि उससे जो अपेक्षा की जाती है, वह पूरी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होता कि इतिहास के पन्नों से वह क्रांति हट जाये । फ्रांस में क्रांति हुई, एक रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जो राज्य आया उससे जो अपेक्षा थी, वह पूरी नहीं हुई । श्रीमन्, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि उसके बावजूद फ्रांस की क्रांति एक ऐतिहासिक घटना के रूप में अमर है । आपातकालीन दो वर्ष के मुर्दा, पद दलित और आतंकित हिन्दुस्तान आज के हिन्दुस्तान से मुकाबला करें, तो आपको मालूम होगा कि कोई क्रांति हुई है या नहीं । यह मानवीय मूल्यों की क्रान्ति हुई थी । इसकी तुलना में महंगाई, शांति व्यवस्था नहीं रखी जा सकती है, इस सम्बन्ध में दो वर्ष की जो विभीषिका थी, उसका चित्र खींचकर, मैं अपने विरोधी दल के सदस्यों को निरुत्तर नहीं करना चाहता । वह उसका उत्तर भी नहीं दे पायेंगे, फिर भी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता । मैं इस सम्बन्ध में केवल तीन-चार नाम लेना चाहता हूं । मैं बनारस जेल में कैद था, वहां एक श्री खलील अहमद, ७२ वर्ष की अवस्था के थे, जिनका स्वर्गवास वहां हुआ, एक श्री श्रीनाथ पासी नैनी जेल में आए थे, जिनका स्वर्गवास हुआ । एक श्री सत्यव्रत सक्सेना जी, जो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिजीवियों में एक प्रमुख स्थान रखते थे, केवल इसलिए कि जेल में उनका आवश्यक और उचित उपचार नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई । लेकिन फिर भी उनको छोड़ा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री राम प्रकाश (उद्योग मंत्री)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने अनेक विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और उन पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। मैं केवल एक विषय पर अपने विचार यहां रखना चाहता हूं, जो इस शासन ने अपनी नीति घोषित की है, समग्र-क्रान्ति को इस प्रदेश में लाने के लिए, उस सन्दर्भ में मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार, जो पिछली सरकारें थीं, उससे किस माने में भिन्न है और वह क्या परिवर्तन करना चाहती है। श्रीमन्, कई बार जो बड़े मौलिक मतभेद होते हैं, उन्हें भी साधारण रूप दिया जाता है और ऐसा वातावरण तैयार होता है कि सब सरकारें वही करेंगी और कोई विशेष परिवर्तन उनकी नीतियों में नहीं है, कोई बड़ी क्रान्ति नहीं है। जैसे प्रश्न बार-बार उठाए गए कि कौन सी क्रान्ति हुई? अभी तो समग्र क्रांति का बहुत सा रूप बाकी है, तो इस परिवर्तन को क्रान्ति कहना ठीक नहीं है, लेकिन श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश को रचना के प्रश्न पर अगर सारे देश की जनता सरकार के साथ मिलकर एक मौलिक परिवर्तन करना चाहे और एक नई दिशा देना चाहे, तो उसे क्रान्ति कहना ही पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, अभी समग्र क्रान्ति बाकी है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका व्यवहारिक रूप प्रकट करना है। लेकिन उस दिशा में जाने के लिए जो यह क्रान्ति हुई है, उसको आरम्भिक क्रान्ति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। श्रीमन्, पिछली सरकारें—चाहे केन्द्र की हों चाहे प्रदेश की हों—एक आध संविद सरकारों को छोड़कर, कांग्रेस की मौलिक नीतियों के आधार पर जो सरकारें चलीं, उन्होंने देश के अन्दर जब योजनाओं को बनाया, तो उसमें पूंजी को एकाधिकार के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया। चाहे वह निजी पूंजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी हो, सारे मुनाफे की, सारी आय को केन्द्रित करने की नीति प्रारम्भ से चली आ रही है। हमने देखा कि यद्यपि समाजवाद का नारा लगाया गया, समाजवाद के नाम पर संविधान तक में संशोधन करके, समाजवाद का नाम लेने का प्रयास किया गया। लेकिन तीस साल की प्रगति का इतिहास बताता है, चाहे थोड़े से मुट्ठी भर पूंजीपति या शासन के अफसरों का एकाधिकार हो, धीरे-धीरे पूंजी पर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी का शोषण हो रहा है। जो दुर्बल है, जिसके पास साधन नहीं हैं, उसको अवसर देने के लिए, सामर्थ्य और सुविधायें कम होती जा रही हैं। इसलिये धीरे-धीरे एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें न समाजवाद है, न लोकतन्त्र है। सारी दुनिया में यह प्रश्न चला हुआ है और अनेक रास्ते निकाले गए हैं कि कैसे एकाधिकार को समाप्त किया जाय, चाहे प्राइवेट मोनोपली हो, या स्टेट मोनोपली हो, दोनों ही एकाधिकार आम व्यक्ति का शोषण करते हैं। आम व्यक्ति की आजादी का शोषण करते हैं, लोकतन्त्र के रास्ते में बाधक बन जाते हैं इसलिए इस मार्ग को बदलकर कौन सा मार्ग निकाला जाय, गरीब आदमी, दुर्बल व्यक्ति आगे बढ़े और अपना विकास कर सके।

तीस साल की बात कही जाती है। जो माननीय सदस्य विरोधी दल में हैं, जिन्होंने शासन चलाया है, आज गांवों में जाकर देखें। हरिजनों के बारे में बातें

उठाना तो ठीक है, लेकिन तीस साल के अन्दर उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाया गया ? जिनके पास जमीन नहीं है, तीस साल के बाद आज सोचने लगे कि उनको जमीन देनी चाहिए । लेकिन तीस साल के अन्दर जिनके पास जमीन नहीं थी, क्या उनके जीवन में खुशहाली आई, उनके रोजगार और मुनाफे बढ़े, आमदनी बढ़ी ? क्या किसी योजना के द्वारा उनको फायदा पहुंचाया जा सका ? नहीं पहुंचाया गया । कारण यह था कि सारे शासन का सारा जो इस बात पर था कि बड़े-बड़े कारखाने चाहे निजी क्षेत्र में हों, चाहे बड़ी-बड़ी योजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में हों, उन योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुंचाया तीस साल तक । द्वार बन्द कर दिये गये सरकार के । हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, उसका मुनाफा गरीब आदमी, हरिजन, जिसके पास जमीन नहीं है, गरीब किसान के पास न पहुंचा । हिन्दुस्तान और इस प्रदेश के अन्दर गरीबी दूर करने के लिए सच्चे माने में समाजवाद लाने के लिए ऐसा समाजवाद जो शोषण न करे, ऐसा समाजवाद, जो लोकतन्त्र को सुरक्षित रखे, ऐसा समाजवाद, जिसमें किसी को शोषण का शिकार न होना पड़े, ऐसा परिवर्तन लोकतन्त्र में लाना चाहते हैं, तो उसमें गांवों में रहने वाले जिनके पास एक दो एकड़ से कम जमीन है, उसकी आमदनी बढ़ेगी । जब तक ऐसी क्रान्ति नहीं आयेगी, तब तक देश में खुशहाली नहीं आयेगी, कभी समाजवाद नहीं आयेगा, कभी लोकतन्त्र नहीं चलेगा । लेकिन इसके लिए हमारी योजनाओं में कभी नहीं ध्यान दिया गया । आज जब नियोजन चल रहा है, हमारी मजबूरी है पहले से एक खाका बना हुआ है । एक रास्ते पर चल चुके हैं, वह रास्ता गरीबों के विरोध में था, वह रास्ता हिन्दुस्तान में केन्द्रीयकरण का था, पूंजीवाद को बढ़ावा देने का था । शासन और सत्ता चलाने वाले उस पर चल चुके हैं । लेकिन रास्ते से पीछे हट कर जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए महात्मा गांधी ने जिनके लिए विचार किया था, अन्त्योदय के आधार पर देश में क्रान्ति लाने के लिए काम करना, आज कठिन परिस्थित पैदा हो गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का शासन कटिबद्ध है कि देश में क्रान्ति आये और परिवर्तन हो । उस परिवर्तन को लाने के लिए, हमें इस बात का निश्चय करना पड़ेगा कि छोटे-छोटे कामों को बढ़ावा दिया जाये । अगर छोटे-छोटे उद्योग गांव गांव में नहीं बढ़ेंगे, तो गरीब जनता की सेवा नहीं हो सकती है । हमारे पास जमीन सीमित है, उसमें हम चाहे जितनी उपज कर लें, लेकिन गांव वालों की उन्नति होगी ? उन गरीबों के मुरझाये हुए चेहरों पर प्रसन्नता नहीं आयेगी । जो उनके सामने परेशानी है, वह दूर नहीं होगी, तो हमें यह परिवर्तन करना होगा कि छोटे-छोटे उद्योग गांवों में लगाये जाये, जिससे उन गरीब किसानों की आर्थिक परेशानियां दूर हो सकें और उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके । तो यह परिवर्तन हमें करना होगा ।

हमारी नीति है कि जितना भी उत्पादन है, जिसको हमें आवश्यकता है, सारी वस्तुएं छोटे उद्योगों से पैदा होनी चाहिए । यह वस्तुएं न पब्लिक सेक्टर से बनेगी न प्राइवेट सेक्टर से बनेगी बल्कि यह गरीबों का सेक्टर होगा । वह स्वयं उसका मालिक होगा, वही काम करेगा और उसी को मुनाफा भी मिलेगा । जब तक यह चीज नहीं होगी, तब तक प्रगति नहीं होगी । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि बाटा कम्पनी जूता बनाती है और सारे देश में सप्लाई करती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह हमारे गरीब चमार भाइयों का शोषण नहीं करती है । उसने अपार शोषण किया है । जो सामान कम्पनी बनाती है, उसी को आप

[श्री राम प्रकाश]

खरीदना पसन्द करते हैं और जो सामान मजदूर बनाता है, उसको आप लेना नहीं चाहते हैं। इस तरह की कम्पनियां काम करें, मैं नहीं कहता कि बन्द हों, लेकिन वह अपने सामान का एक्सपोर्ट करें और छोटे उद्योग हैं उनके लिए रा-मटेरियल तैयार करें लेकिन उपभोग की वस्तुए बनाना न्यायोचित नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि इस तरह की योजनायें जब तक नहीं बनायी जायेगी, तब देश की उन्नति नहीं हो सकेगी। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने उनकी इस बात को नहीं माना और गलत रास्ता पकड़ लिया और उसी को हम आज तक भुगत रहे हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का विवाद बहुत बड़ा नहीं है। हमारे उद्योग वहीं हों, जहां पर रा-मटेरियल बने, मैं कहता हूं, जहां पर पब्लिक सेक्टर चलते हैं वहां पर घाटा होता है, कर्मचारियों को अधिक वेतन नहीं मिलता है। हमने देखा है कि यहां पर चिकन उद्योग चलता है। मैंने देखा कि पब्लिक सेक्टर में काम शुरू कर दिया गया है। चिकन का जो काम करते हैं उनकी रोजी बढ़ेगी। अगर नहीं तो ऐसे पब्लिक सेक्टर बेकार हैं। पब्लिक सेक्टर जनता की सेवा करने के लिए, गरीबों की मजदूरी बढ़ाने के लिए न कि मुनाफा करने के लिए बनाये गये हैं। यह सरकार छोटे समाज के, छोटे निर्बल लोगों, हरिजनों, जिनके पास भूमि नहीं है, के विकास की योजनाओं में जब मौलिक परिवर्तन करेगी, इन दिशाओं में जब हम जायेंगे, तब वास्तव में यह परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और बेरोजगारी दूर होगी।

आज कालेज और विश्वविद्यालयों से निकले हमारे नौजवान वेतन भोगी होना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाये जिससे हम वेतन प्राप्त करने लगें। हमें अपने देश और प्रदेश के अन्दर ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने पड़ेंगे जिनसे कालेजों से निकलने के उपरान्त जब वे अपने-अपने घरों पर जायें तो देखें कि चारों ओर हमारे नौजवान नये-नये उद्यम चला रहे हैं और हजार-हजार रुपया प्रति माह कमा रहे हैं। तब वे कहेंगे कि हम १००-२०० रुपये की मजदूरी के लिए नहीं जायेंगे, हम वेतन भोगी नहीं बनेंगे, हम उत्पादन करेंगे और देश की सम्पत्ति को बढ़ायेंगे। जब देश के ये करोड़ों नौजवान उत्पादन बढ़ाने में लग जायेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।

कहा जाता है कि बात तो करते हैं छोटे-छोटे उद्योगों की, लेकिन योजना आती हैं बड़े-बड़े उद्योगों की। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस समय हमारे सामने भी समस्यायें हैं, जो हमारी बड़ी-बड़ी योजनायें हैं उन पर बहुत खर्चा हुआ है, उस पैसे को हम खराब नहीं करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े और छोटे उद्योगों की नीति में मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। ग्राम उद्योग में परिवर्तन होना चाहिए और इन उद्योगों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए केवल बड़े उद्योग होने चाहिए लेकिन हमने देखा है कि हमारे यहां पर उल्टी योजनायें हैं। बड़े-बड़े उद्योगों के लिए छोटे-छोटे उद्योग लगाये गये, एन्सीलियरीज लगाई गई। बड़े उद्योग अगर संकट में पड़ जाते हैं, तो छोटे छोटे भी अपने आप संकटग्रस्त हो जाते हैं। हमारे लखनऊ में ही स्कूटर इंडिया संकट में पड़ा हुआ है, तो जितनी भी एन्सीलियरी यूनिट्स हैं वे भी संकट में पड़ गये हैं। इस दिशा में जनता पार्टी की सरकार काम करना चाहती है और मौलिक परिवर्तन करना चाहती है।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उद्योग मंत्री जी के भाषण को, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि सरकार की नीति केन्द्रीकरण की नहीं है और हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्तर पर जो गरीब हैं, ५० प्रतिशत उनको लघु उद्योगों के माध्यम से स्वयं का मालिक और स्वयं का मजदूर, हम बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं, इसी विषय पर कि जनता पार्टी की सरकार केन्द्रीकरण कर रही है या ४ महीने से विकेन्द्रीकरण कर रही है? बड़े-बड़े उद्योगों के बारे में जो सीमा थी, वह २० करोड़ के नीचे की थी भारत सरकार के उद्योग मंत्री ने उस सीमा को १०० करोड़ रुपया बढ़ाने का, विभाग वालों ने कर दिया और वह मामला मंत्रि परिषद् में पेश होने वाला था इसका नतीजा यह हुआ कि जनता पार्टी के चेयरमैन साहब श्री चन्द्र शेखर जी ने श्री शान्ति भूषण. कम्पनी मामले के मंत्री से जवाब तलब किया और बाद में १०० करोड़ से नीचे करके इसको ५० करोड़ की सीमा कर दिया। लेकिन वह पास न हो सका और इसके बारे में माननीय चन्द्रशेखर जी ने आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने प्रति जनता पार्टी की वचन-बद्धता को बदलने के कथित प्रयासों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो मैं यहां के उद्योग मंत्री जी से जो एक जमाने में १९६७ में हमारे उप-मुख्य मंत्री थे, मैं भी उनके पीछे हाथ उठाता था, तो उनसे मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रक्रिया चल रही है, यह केन्द्रीयकरण की है या विकेन्द्रीयकरण की? इन ४ महीनों में ये बातें पूरे देश के सामने आ गयीं। यह भाषण की वस्तु नहीं है। जनता पार्टी के चेयरमैन नोटिस दें, जवाब तलब करें और केन्द्रीय-मंत्रिमंडल में भी जाने वाला था, उद्योग विभाग ने भी रिपोर्ट तैयार की थी। चूंकि चेयरमैन साहब का पत्र प्रकाशित हो गया इसलिए मंत्रिमंडल में नहीं जा सका।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं महंगाई की। जनता पार्टी के सेवा सौ, डेढ़ सौ दिन के शासन में महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका असर जन-जीवन पर क्या पड़ रहा है इसके बारे में मैं चाहता था कि उद्योग मंत्री जी की व्यक्तिगत नीति क्या है यह मालूम हो? जनता पार्टी की नहीं वह है, मुक्त व्यापार होना चाहिए। और मुक्त व्यापार के मुताबिक ही अभी तक जनता पार्टी की नीति चल रही है, जिसकी वजह से मंहगाई बेशुमार तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। जब मंहगाई का जिक्र आया तो माननीय जोशी जी कह रहे थे कि 'समाचार' ने यह लिखा है कि १२ महीने से महंगाई बढ़ रही है। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में गठित हुई है मार्च के महीने से तब से इस महंगाई की जो वृद्धि है आपके सामने कुछ वस्तुओं को पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी और इनकी सरकार इस मसले के ऊपर गम्भीरता से विचार करे। पिछली जो महंगाई थी उसको नहीं कहता। उद्योग मंत्री जी शहर में रहते हैं। मैं ऐसी वस्तुओं का नाम ले रहा हूं जिनका सम्बन्ध सभी लोगों से है—चाहे लखपति रुपया करोड़पति हो या गरीब हों। नीचे के रिक्शे वाले से चलकर लखपति करोड़पति तक सभी को जरूरत पड़ती है। मसाले को लेता हूं। धनिया, मार्च के महीने में ६ रुपया किलो, इस समय साढ़े आठ रुपया, हल्दी मार्च में ५-५० रुपया, इस वक्त साढ़े सात रुपया, लाल मिर्च मार्च में ८ रुपया, अब १० रुपया। काली मिर्च पहले १६ रुपया अब २५ रुपया, लवंग ४०० थी अब ४५०, इलायची पहले सौ

[श्री ऊदल—]

रुपया अब डेढ़ सौ रुपया, स्याह जीरा २५ रुपया, अब ३० रुपया, जीरा १२ रुपया अब २० रुपया, बड़ी इलायची पहले १५ रुपया, अब १८ रुपया, हींग पहले ५० अब ६० है। ये थोक के भाव बता रहा हूं अग्रवाल साहब तो दूसरी चीज के व्यापारी हैं, इनसे उनका मतलब नहीं है।

कड़ुवा तेल ९ रुपये था और अब १२ रुपये के ऊपर है। तिल्ली का तेल ११ रुपये था अब १४ रुपये है। मंगरैल १२ रुपये थी, अब ३० रुपये है। दाल अरहर २७५ रुपये थी, अब ३५० रुपये थोक में और ४०० रुपये फुटकर में है। मसूर २०० रुपये थी अब ३२५ रुपय है, मूंग २८० रुपये थी अब ३५० रुपये है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसको रोकने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये जिसका असर जन-जीवन के ऊपर व्यापक तरीके से पड़ रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय, ने कोई कारगर सुझाव या अपने उस सरकारी डाक्युमेन्ट में कोई ऐसी बात नहीं कही कि जनता पार्टी की सरकार महंगाई रोकने के लिये यह कदम उठा रही है। मैं अपनी इस बात की पुष्टि में वित्त मंत्री, भारत सरकार, पटेल साहब की बात, जो उन्होंने वित्त विधेयक पेश करते हुये कहीं थी, उसकी दो, तीन लाइनें आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं —

"केन्द्रीय वित्त मंत्री एच० एम० पटेल ने आज लोक सभा में स्वीकार किया कि आम जनता निरन्तर मूल्य वृद्धि से बराबर त्रस्त है। वित्त विधेयक पर आम बहस का उत्तर देते हुये श्री पटेल ने कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वर्तमान मूल्य स्तर सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले ३ महीने में मूल्यों पर लगातार जो वृद्धि हो रही है, वह इस वक्त ३·५ प्रतिशत के आस-पास है।" तो मैं इस सरकार से जानना चाहूंगा कि वह कौन से कदम उठाने जा रही है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में व्याख्या की, लोकतन्त्र और समाजवाद की व्याख्या की। इसी तरह की व्याख्या आज मूल्यवृद्धि के बारे में भी की जा रही है। मेरा चार्ज है इस सरकार पर कि सरकार अगर दम भरती है, जैसा अभी माननीय उद्योग मंत्री ने कहा यह क्रान्ति है, क्रान्ति के माने जब कुछ माननीय सदस्य पूछ रहे थे, तो सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य कह रहे थे कि क्रान्ति के माने परिवर्तन है। माननीय जय प्रकाश नारायण, जिनको आप लोग लोक नायक कहते हैं, उन्होंने क्रान्ति की जो व्याख्या की है उसमें ४ चीजें हैं क्रान्ति के तहत, सामाजिक क्रान्ति, बौद्धिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति और राजनीतिक क्रान्ति। (समग्र क्रान्ति की आवाज) इसको भी हमारे माननीय सदस्य समग्र क्रान्ति कहते थे। आज ही श्री जय प्रकाश नारायण जी ने कहा है कि जो लोग आज भी भारत की जेलों में नजरबन्द हैं अगर यह सरकार उन्हें बिला शर्त नहीं छोड़ती, तो उसके लिये भी हमको आन्दोलन करना पड़ेगा। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। श्री जय प्रकाश जी का नाम लेकर आप बहुत दिनों तक चल नहीं सकते। अगर आपने उनकी समग्र क्रान्ति को नहीं समझा और उसको विधिवत् आपने पूरा नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि श्री जय प्रकाश जी ऐसे महापुरुष हैं, हमारे देश की ऐसी महान विभूतियों में से हैं जो आप सबको बख्शने वाले नहीं हैं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं (व्यवधान) मैं संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करूंगा २० वर्ष से मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं, आप कृपया मेरी बात सुनें...(व्यवधान)

श्रीमन्, इस सरकार का और इस जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसको मैंने देखा है । पहले भी देखा था अब भी देखा है । उसमें कहा गया था कि खेती को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जायेगी । माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने जो यहां के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, विरोध पक्ष के नेता भी रहे हैं, मेरी उनसे घनिष्ठ मित्रता है, उन्होंने कहा कि खेती के ऊपर ७० फीसदी खर्च किया जायेगा । मगर श्रीमन्, आप देखें कि माननीय पटेल साहब ने जो बजट केन्द्र में पेश किया है, उसमें कृषि पर ३० फीसदी खर्च किया है । ७० से काट कर ३० कर दिया उन्होंने । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह पिछले वर्षों के मुकाबले में भी बहुत कम है । आप किसानों को केवल अपने शब्द जाल से ही यदि संतुष्ट करना चाहते हों तो करिये, उसके लिये आपको मुबारकबाद है, मगर मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने गेहूं की जो सपोर्ट प्राइज निर्धारित की थी क्या वह किसानों को मिल सकी ? (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों का किस रेट पर गेहूं खरीदा गया और आज किस रेट पर बिक रहा है ? (व्यवधान)

मान्यवर, यह एलान किया गया था कि किसानों का लगान सवा ६ एकड़ तक माफ किया जायेगा । सवा ६ एकड़ लगान की माफी का मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने माफी के लिए कोई घोषणा की ?

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, हमको तो ३० मिनट देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आपको ३० नहीं २५ मिनट देंगे ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, ५ मिनट और दे दें ।

एक सदस्य—

मान्यवर, हमको भी मौका दे दीजिए ।

श्री ऊदल—

मैं तो यह कहता हूं बिजली, पानी, उर्वरक, बीज, लगान न लग, कोआपरेटिव से सस्ता मिले । मान्यवर, फर्टिलाइजर जो किसानों को दिया जायगा, उसमें १ अरब की कमी की गयी है सेन्ट्रल बजट में । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसानों के हितैषी, केवल कोरे कागज पर बन सकते हैं । गाजियाबाद में ६३ उद्योग बंद हैं, हजारों उद्योग जो चल रहे थे आज बंद हैं । बड़े-बड़े कल कारखाने आज बंद हैं । हजारों, लाखों मजदूर बेकार पड़े हैं । इसलिए आपकी न तो स्पष्ट उद्योग नीति है और न तो श्रम नीति है । जो उद्योग बंद हैं किसी वजह से बंद है। बेकारी में मजदूर तबाह हो रहे हैं । उनके लिए आपने न तो कोई रास्ता ढूंढा और न ढूंढ़ने की कोशिश की । मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस सरकार को जल्द से जल्द अपनी श्रम नीति स्पष्ट करना चाहिए । जो आर्थिक नीति है, उसको भी स्पष्ट करनी चाहिए । मान्यवर, सामाजिक कुरीतियां अभी पड़ी हुई हैं । माननीय मोरार जी ने अभी कहा कि यह शब्द जो जाति के लोग लगाते हैं, तो हम जाति-पांति की प्रथा को कैसे समाप्त कर सकते हैं । जैसे लिखा हुआ है राम नरेश यादव, सत्य प्रकाश मालवीय।

[श्री ऊदल---]

तो यह जो नाम के साथ जाति की संज्ञा लगाई जाती है, इससे हम कुरीतियों कों मिटाते नहीं हैं। श्रीमन्, आपके हजारों लोग बेसिक शिक्षा विभाग से बेसिक शिक्षा की बी० टी० सी० की ट्रेनिंग लेकर बेकार बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

शांत रहिये। आप लोग बैठिये। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ऊदल—

यह बहुत सी समस्यायें हैं। शिक्षा मंत्री जी के यहां भी धरना हो रहा है। म्युनिस्पिल बोर्ड के कर्मचारी मालवीय जी के यहां पर धरना किए हैं। इसलिए श्रीमन्, सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि वह इन समस्याओं की तरफ शीघ्र ध्यान दें। मान्यवर, सरकार की औद्योगिक नीति क्या है, श्रम नीति क्या है। इसकी सरकार जल्द घोषणा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विचार प्रकट करने का मौका दिया।

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मुझे जानकारी हुई है कि बहुत से सदस्य चाहे इस पक्ष के हों और चाहे उस पक्ष के हों, अधिक से अधिक अपनी राय देना चाहते हैं और शासन भी उनकी राय से निश्चित रूप से गौरवान्वित होगा और उनकी राय को कार्यान्वित करने का प्रयास करेगा। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्यों की बोलने की सीमा जो है, वह ५ मिनट तक निर्धारित की जाय।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास ४० से अधिक नामों की सूची है। अब तक करीब ४० सदस्य बोल भी चुके हैं। अधिक सदस्यों को मौका मिले इसलिए उचित होगा कि ५ ही मिनट तक सदस्य बोलें।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने से—शोर)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, बिना सूची वाले भी हैं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

सदन का समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मेरा निवेदन है कि १० मिनट से ५ मिनट करने में हम संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि कोई बात हम करते हैं, तो कोई इंटरप्शन करता है, तो ५ मिनट में अपनी बात पूरी नहीं होगी। आज भी एक घंटा और कल भी एक घंटा बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष—

एक घंटा भी अगर समय बढ़ा दिया जाय, तो भी जितनी लम्बी सूची मेरे पास है, उसको देखते हुये कम होगा । इसलिये ७ मिनट का समय उचित होगा ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मेरा अनुरोध है कि मैं पहली बार बोल रहा था, तो कृपा करके समग्र की सहानुभूति मेरे साथ कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आप अपनी बात थोड़े ही शब्दों में कह सकते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

इसके लिए मान्यवर, हार्दिक धन्यवाद । मान्यवर, मैं चार चुनावों से लगातार इस माननीय सदन म आ रहा हूं । हर बार जो माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होता था, उसको पढ़ने का मौका मिलता रहा और इसको भी पढ़ रहा हूं । इस बार मान्यवर, जो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसको देखते हुये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं । मान्यवर, इस माने में यह एक एतिहासिक दस्तावेज है कि कुछ समय पहले समूचे देश और प्रदेश में एक हाहाकार मचा हुआ था । तमाम राजनीतिक लोगों का जीवन अनिश्चितता की गर्त में पड़ा हुआ था । हम लोग जेलों में पड़े हुये विचार किया करते थे, सोचा करते थे और मैं खास तौर से जो मेरे साथ जेलों में थे, उनसे कहा करता था कि किसी भी समय इस तरह का आ सकता है कि जब उसी जेल के अन्दर हम लोगों को गोली से मरवा दिया जायगा, गोली चलेगी हम लोगों पर और हम लोगों की जानें जेल में चली जायगी । एक इस तरह का वातवरण बना हुआ था । मान्यवर, बाहर हाहाकार मचा हुआ था । लोग नसबंदी के लिये मजबूर किये जा रहे थे । लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई थीं । वे परेशान थे । त्राहि-त्राहि मची थी । उस समय को देखते हुये मान्यवर, मैं अपने लिए कह सकता हूं कि एक भ्रष्टाचार की पोल खुलने की वजह से मेरा एक्सीडेंट कराया गया था । मेरे हाथ में ३ फ्रैक्चर हुये थे, डिस्लोकेशन हुआ था ।

(इस समय १ बजकर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए ।)

लगभग १३२ चोटें मेरे शरीर में थीं । मेरी लड़की बीमार हुई और मरणासन्न अवस्था में हो गई । मैं मजबूरी में अस्पताल छोड़कर आया था और रोजाना मेडिकल कालेज मुझे इलाज के लिए जाना पड़ता था । मुझे यकीन नहीं था कि ऐसी हालत में यह कांग्रेसी सरकार मुझको भी गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है । क्योंकि आबदस्त तक लेने लायक नहीं था । कपड़े नहीं पहन सकता था, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि सरकार पलटने जा रहे थे । झूठ और फरेब की सीमा होती है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझे अभी ५ मिनट और दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप २ मिनट और बोल सकते हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह पाया हूं । आपको तो हमदर्दी से सुनना चाहिये । इससे आपको भी लाभ मिलेगा । तो मान्यवर, मेरे जैसे लोगो से भी कांग्रेस सरकार को खतरा हो गया और इसलिये जेल भेज दिया । अब मान्यवर, उस हालत से छुटकारा मिला लेकिन कम्युनिस्ट भाइयों को फिर भी क्रान्ति नहीं दिखाई दी। उन्होंने ४ क्रान्तियां गिनाई हैं और पांचवीं राजनीतिक क्रान्ति को छुपा गये । उन्होंने बौद्धिक क्रान्ति भी बताई । मैं कहता हूं कि बौद्धिक क्रान्ति का असर उन पर भी हुआ है । इसीलिये आज उन्होंने इस सदन में माननीय आदरणीय श्री जय प्रकाश नारायण का नाम अपने मुंह से निकाला, उनको दुहाई दी और उनकी महत्ता को स्वीकार किया । लेकिन इसके पहले इन्हीं लोगों ने श्री जय प्रकाश नारायण को गिरफ्तार कराया है । यह कांग्रेस से मिलकर श्री जय प्रकाश नारायण की समग्र क्रान्ति का बहिष्कार करते रहे और मजाक उड़ाते रहे । मान्यवर, कहावत है कि एक चिड़िया है जिसको रात को दिखाई देता है और दिन में नहीं ।

(लाल बत्ती होने पर) ।

मान्यवर, ५ मिनट दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

समय आपका समाप्त हो गया, इसलिये आप बैठें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, ५ मिनट अभी नहीं हुये ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा एक मिनट में बोल लें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति थी, वह एक परिवार के हाथ में केन्द्रित हो गयी थी । तमाम प्रदेशों के मुख्य मंत्री उस परिवार के सामने चपरासी की हैसियत से घूमते थे ।

(व्यवधान)

मैं कांग्रेसी भाइयों के फायदे की बात कह रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष सशक्त बने । मान्यवर यह मेरी हार्दिक इच्छा है क्योंकि बगैर सशक्त विरोध पक्ष के, जो हम चाहते हैं कि सही माने में जनतन्त्र चले नहीं चल सकता । इसलिए हम चाहते हैं कि यह ताकतवर बने । अगर कांग्रेस वालों का बुद्धि नहीं होती, तो आज जो विरोधी दल के नेता बने हुये हैं, इनको नेता नहीं बनना चाहिए था । कोई नया नेता बनाना चाहिए था । मैं कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेसी इस सरकार को अच्छी शक्ल में देखना चाहते हैं अपना नेता बदल दें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें । मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं ।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मैं माननीय देहलवी जी की बात को पूरा करना चाहता हूं। यह सही है कि पिछला चुनाव दंड शक्ति और लोक शक्ति के बीच में हुआ था। एक तरफ जनतन्त्र की हत्या करने वाले लोग थे और दूसरी तरफ उसका बचाव करने वाले लोग थे। यह भी सही है कि जिस समग्र क्रान्ति की बात की जाती है, उसका दिशा निर्देशन हमारे इस राज्यपाल के अभिभाषण में उपलब्ध नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। सन् ६७ में मुझे यहां आने का मौका मिला था। आज मैं देखता हूं कि पुरानी लीक थोड़ी सी और आगे बढ़ा दी गयी है। जिस प्रकार कि और बहुत से विधेयक संशोधित किये जा रहे हैं। कोई आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं हो रही है। हां, यह है कि जनतन्त्र की रक्षा हो गयी। लेकिन यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक होने के नाते आज भी मैं देखता हूं कि प्रदेश की जवानी जेलों में कैद है। इससे मन में थोड़ी चोट होती है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यहां एक मुख्य मन्त्री रहे, जो अध्यक्ष रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेकिन वह भी युवकों के लिए कोई कार्य न कर सके। काश प्रदेश के नौजवानों के लिए, उनके दायित्वों के लिए किसी यूथ ला जैसी बात को अपनाया होता, जिससे कि नौजवान कुछ कर सकते। तब न हो सका न सही। अब मैं यह अपेक्षा इस सरकार से करता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। समय कम मिलेगा और सुझाव बहुत से हैं। दूसरी बात यह है कि यदि बुद्धिजीवियों की बात से सरकार बची, तो जो प्रतिमा है वह धूमिल होगी, खंडित होगी। इसलिए आशा है, सरकार हमारे सुझावों पर विचार करेगी। जब मैं अभिभाषण को देखता हूं तो हरिजनों, गरीबों, फाकाकशों के लिए, लोहिया और गांधी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए, इसमें कहीं भी गरीब कानून यानी पावर्टी ला जैसी बात नहीं रखी गयी। बजट आने को है तो आपकी गरीबों के लिए क्या नीति होगी, उसकी घोषणा करें। आप बतलायें कि किसके पास कितना पैसा है। जो पीढ़ियों से गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, दस बारह रुपये पर गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए पावर्टी ला जैसी कोई चीज लावें, श्री जय प्रकाश जी से लीड लें। एक चर्चा चलती है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचार या भ्रष्ट विचार। काम बहुत लम्बा है। हम लोगों ने अपने चुनाव का खर्चा जमा करके सत्यनिष्ठा की शपथ ली है। सिटीजन्स मोरेल्टी ऐक्ट जैसी कोई चीज बनती। ९५ प्रतिशत करप्शन जैसी बात की जाती है। मन्त्री, सचिव, डाइरेक्टर कौन कितना प्रतिशत लें। ज्यादा न लें। इसे बंद करें, जिससे समाज और प्रदेश का भला हो।

एक बात और कहना चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा की नीति बदलेगी, परिवर्तन करेगी। लेकिन आज तक इस शिक्षा के सम्बन्ध में कहीं कोई समग्र चिन्तन नहीं किया गया। मेरा यह सुझाव है कि यह सरकार शिक्षा को न्यायपालिका के स्तर पर लाती, तो शायद कोई बात बनती। भाषा के सिलसिले में कहना चाहता हूं। ये बात मेरे मित्रों को कड़वी लगती है। पता नहीं क्यों भाषा ऐक्ट बना था। एक भाषा की नीति क्यों नहीं की जाती। इस देश और प्रदेश में करीब २६ भाषायें बन गयी। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं....।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे कुछ समय और दे दें। सुझाव दे रहा हूं। हमारे मुसलमान मित्रों को खुश करने के लिए उर्दू को प्राथमिकता दी जा रही है, बीस प्रतिशत जहां पर मुसलमान हैं, वहां उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी जाय, जैसा आदरणीय श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा० अश्वनी कुमार चतुर्वदी राकेश]

नारायण दत्त जी ने तथा और सदस्यों ने कहा । कहीं पर संस्कृत को प्राथमिकता दी जा रही है । हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २८२, या जो भी नियमावली हो, उसमें ऐसा कौन सा अपमान किया गया है कि इस सदन की सारी कार्यवाही देवनागरी लिपि में, हिन्दी में हो, लेकिन यहां पर कुछ उर्दू कुछ संस्कृत का प्रयोग होता है ।

मजदूरों के बारे में कहना चाहता हुं कि इनके सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं किया गया ।

कानपुर देहात की बात कही गयी है । कानपुर देहात समाप्त कर दिया गया है । मैं सरकार को चुनौती देता हूं, इस चर्चा के लिए कि सात करोड़ का इस पर खर्च आयेग जब कि कानपुर देहात से १४ करोड़ का सालाना रेवेन्यू आता है । ६०० मकान बनाये जा रहे ह जिसके लिए साढ़े तेरह करोड़ रुपया आबंटित किया गया है । देहात के कुछ मकान खाली होंगे और स्टाफ उन मकानों का प्रयोग कर सकता है ।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

जनाबवाला, तीन दिन से गवर्नर साहब के भाषण के ऊपर इस सदन में विचार किय जा रहा है। इधर से भी तकरीरें हुई और उधर से भी तकरीरें हुई। मिजाज भी गर्म हुए और गर्मी की बातें हुई । लेकिन देखना यह है कि जो कुछ कहा जा रहा है, कितनी उसमें सच्चाई है और क्या-क्या बातें यहां कही गयीं हैं, उनमें किस तरह से हमारी नई जनता सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है । इससे कोई इंकार कर नहीं सकता कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी क्रान्ति आई है, और ३० साल से जो हुकूमत यहां चल रही थी उसका तख्ता उलट गया । जनता सरकार आई है और जनता सरकार ने जो-जो वायदे जनता से किए हैं, देखना तो यह है कि जनाब वाला वह वायदे पूरे होते हैं या नहीं होते । मैं इस बात से हर्गिज इंकार नहीं कर सकती कि अभी तो जल्दी है इस बात को जज करने के लिए कि हमारी जो नई सरकार आई है, वह अपने वायदे पूरे कर सकेगी या नहीं । लेकिन उसके बावजूद यह भी मैं कहना चाहती हूं कि अगर स्लोगन्स के ऊपर और वायदों तथा तकरीरों के ऊपर हमारी यह सरकार पब्लिक को दम दिलास देना चाहती है, तो यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकती ।

जनाबवाला, गवर्नर साहब ने अपनी तकरीर में हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, उनका जो बयान किया है, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही नेक हैं । म यह भी जानती हूं कि हमारी सरकार बहुत ही अच्छी उम्मीदों के साथ-साथजनता के वोट ले कर आई है लेकिन जनता के सब्र का पैमाना लबरेज न होना चाहिए।

दो चीजें हैं जिन पर हमारी पब्लिक बहुत जल्द नतीजे चाहती है । हमारे उद्योग मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं, बड़े और छोटे उद्योगों के बाबत । बहुत सी बातें हो सकती हैं लेकिन जिस चीज का इन्तार सबसे ज्यादा हमारी पब्लिक कर रही है और हक है करने का वह यह बातें हैं, जो बार-बार कही गई है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उनको दोहराने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक तो हमारे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए हमारी पब्लिक को पूरी तौर से उम्मीद है और जायज उम्मीद है, नई सरकार से कि वह उसको जितनी जल्दी हो सकेगी खत्म करेगी। दूसरी बात है बढ़ती हुई कीमतें और एक औरत होने के लिहाज से में ज्यादा इस बात की हकदार हूं कि मैं यह कहूं कि हमारे लिए बेइन्तिहा मुश्किल हो गई है कि हम अपने बजट को सही तरीके से बना सकें। सभी यह समझते हैं कि उनके लिए यह बड़ी दिक्कततलब समस्या हो गयी है। आये दिन जो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं जरूरियाते जिन्दगी की जो रोजमर्रा की खाने के पीने की चीजें हैं अगर उनकी कीमतें जल्दी कम नहीं हुई, तो फिर किसी तरह भी हमारी पब्लिक इस बात पर मुतमईन नहीं हो सकेगी कि उसने जो नई उम्मीदों के साथ नई सरकार को भेजा है, वह उसने सही काम किया है। इस लिए जनाब वाला मैं आजिजी के साथ जरूर यह कहूंगी अपनी इस सरकार से कि इन दो बातों पर वह ध्यान दे। गांवों में जो हालत छोटे कर्मचारियों की रिश्वत लेने की है, वह बद से बदतर होती जा रही है। इस तरफ जरूर ख्याल रखा जाय क्योंकि गरीब आदमी जो गांव में रहता है, जिनका हमारा और उनका हर वक्त साबका पड़ता है, मुझे मालूम है किस तरह से वह दब रहे हैं, किस तरह से उनको तकलीफें पहुंच रही हैं।

वक्त कम होने से मैं ज्यादा बातें न कह कर एक बात की तरफ जरूर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि औरतों का मसला अब भी बरकरार है। जनाबवाला, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा अन्याय औरतों के साथ किया था। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहती हूं हालांकि उस समय इंटरनेशनल वीमंस ईयर था जब देश में १८ एकड़ की सीलिंग लगाई गई, उसमें औरत का हक बिलकुल छीन लिया गया और मैंने बार-बार कहा कि औरत की जो अपनी जायदाद है, उसकी जो जमीन है उसको हरगिज यूनिट में मर्ज न किया जाय।

एक तरफ तो हमें ३० सालों में कुछ हकूक मिले, हमें विधान में बहुत से हकूक मिले। मुझे खुशी है कि हमारी औरतों ने उसको पूरी तरह से फायदा उठाया, मगर वह हक उसी वक्त काम आ सकते हैं जब कि औरत को अपनी इंडिपेन्डेन्ट सम्पत्ति का हक हो। आज आप देख रहे हैं कि हमारी लड़कियां कैसे काम रही हैं, मुलाजमात कर रही हैं। जो पुरानी बात थी महिलाओं के बारे में वह खतम हो गई। लड़कियां अपने खानदान को चला रही हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो औरतों की कोई जमीन थी, उसको सरकार ने शहर के साथ मिला कर एक कर दिया और उसे ५ यूनिट में शामिल कर दिया। तो इससे औरतों के साथ अन्याय हुआ है। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी जनता सरकार इस तरफ गौर करेगी और इस बात का ख्याल करेगी। औरत जो है वह अकलियत में आती है। जनता ने बहुत बड़ी तादाद में इस सरकार को वोट दे कर भेजा है, उसमें औरतें भी शामिल हैं। बदकिस्मती से आज भी औरत जो है अकलियत कहलाती है, मरदों की बराबरी में वह नहीं आती हैं। मैं समझती हूं कि औरतों को भी आर्थिक हक का दर्जा मिलना चाहिये और वह जो अन्याय किया गया है वह दूर किया जाना चाहिए। गांवों में अभी तक औरतों की हालत दुरुस्त नहीं है लेकिन मैं समझती हूं कि उसको जायदाद का हक होना चाहिए। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, अभी तक जो बहस हुई है उसको देखने से निश्चित रूप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारी सरकार को अभी कोई ज्यादा समय नहीं मिला है लेकिन वह एक बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि १९ महीनों के आपात्काल के अन्दर आतंक के जिस वातावरण का निर्माण हुआ था, वह समाप्त हो चुका है। उस वक्त हमने देखा कि कांग्रेस के लोग जो अपनी अंतरात्मा को दबा कर गलत से गलत से काम कर रहे थे, आज उनके मुंह खुल गये हैं और इस सदन के समक्ष स्वीकार किया है कि उन्होंने गलतियां की, उनसे गलतियां हुईं। आज माननीय श्री ऊदल जी ने बहस के दौरान लोक नायक श्री जय प्रकाश को महामानव स्वीकार किया है।

मैं कुछ कहने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे मित्रों के अन्दर जो आत्मशक्ति और जो आत्म बल आया है, वह आगे आने वाले भविष्य में भी बना रहेगा ताकि हमारे देश को कभी अंधकार का वह दिन दुबारा देखना न पड़े जोकि आपातकाल में हमने १९ महीनों में देखा और इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से और सारे विरोधी दल के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक मुल्क के अन्दर हुई १९४७ में जब बे सुमार बहुमत से आपको सत्ता में बैठाया और आप मदहोश हो ग और आपने जनता की चिंता नहीं की। उसका नतीजा कांग्रेस को पता है और उसका नतीजा पहली बार तेलंगाना के अन्दर परिलक्षित हुआ, उस समय देश के सौभाग्य से श्री बिनोवा जैसे मनीषी आगे आये और उसने शंकर की तरह उस जहर को पी लिया और भूदान आन्दोलन चलाया। आपको उससे सबक सीखना चाहिए था लेकिन आपने नहीं सीखा। उसके बाद नक्सलाईट आन्दोलन हुआ, उसको भी आपने कुचलने की कोशिश की और इस तरह से लाठी और गोलियों से सत्ता बनाये रखी और इससे केन्द्र को इतनी निरंकुश सत्ता दे दी कि अंततोगत्वा शक्ति, एक व्यक्ति के हाथ में सिमट गई और हमने देखा कि इस देश में एक नारा लगाया गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक कि 'इंडिया इज इंदिरा एण्ड इन्दिरा इज इंडिया।' और एक निरंकुश तानाशाही आई और जम्हूरियत को, जनतंत्र को दफनाने की स्थिति पैदा हुई उस जम्हूरियत और उस आजादी को हासिल करने के लिए श्री राम प्रसाद बिस्मिल और श्री चन्द्रशेखर आजाद जैसे भारत के सपूतों ने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। इसी आजादी को प्राप्त करने के लिए हजारों माताओं ने अपनी मांग सूनी करके, अपने पुत्रों को देश की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया था और उसी के लिए हमारी बहनों ने अपनी चूड़ियों और सिन्दूर का बलिदान किया था। यह हमारे देश का सौभाग्य था कि लोकनायक श्री जयप्रकाश के रूप में हमें फिर एक मनीषी मिला। आज ईश्वर की कृपा से, कुछ इस देश के भाग्य और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के भगीरथ प्रयास से इस धरती पर समग्र क्रान्ति के रूप में लोक गंगा की जो धारा प्रवाहित हुई है, उसमें विपक्ष हमारा साथ दे और समग्र-क्रान्ति को देश के जन-जन में, झोपड़ी-झोपड़ी तक उसे पहुंचा दे। इसके साथ ही वह अपने उन पापों का प्रायश्चित करें, जो उन्होंने आपातकाल के १९ महीनों में किए हैं।

जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का सम्बन्ध है, उसमें केवल दिशा निर्देश हुआ करता है। उसमें आप सारी बातों को चाहेंगे तो वह नहीं हो सकता है। लेकिन मैं सरकार से चाहूंगा कि पिछड़े इलाकों के बारे में जब बिचार हो तो उसमें हमारी कथनी और करनी में अन्तर न हो। जनता के सामने जैसे हमारे

वायदे थे कि जूडीशियरी को पुनः प्रतिष्ठित करेंगे, स्टेट इम्प्लायीज के जो अधिकार छीने गये हैं और न्यायालयों में जाने का अधिकार छीनकर जो सरकार की कठपुतली ट्रिब्युनल बनाया गया है, उनको हमें मिटाना होगा और फिर से उनको अदालतों में जाने का अधिकार देना होगा । (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, हमें दो मिनट का समय और चाहिए। हमें शराबखोरी, जाति प्रथा और दहेज प्रथा को भी बन्द करना पड़ेगा, पी० ए० सी० के जो जवान निकाले गए हैं, उन्हें सेवाओं में पुनः बहाल करना होगा, युवा शक्ति का प्रश्न है, उसे जगाना और सही दिशा देना होगा और छात्र संघों को पुनः मान्यता देने का जो हमने वायदा किया है, उसे भी पूरा करना पड़ेगा । प्रशासन में नौकरशाही का एकछत्र, जो अधिपत्य है, उसे तोड़ना पड़ेगा । जो पिछड़े इलाके हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार की विशेष नीति होनी चाहिए, और होना तो यह चाहिए कि उद्योगों के लाइसेन्स केवल पिछड़े इलाकों के लिए दिए जायं । मैं जिस जिले से आया हूं, वह बड़ा गौरवशाली जिला रहा है, डाक्टर लोहिया और आचार्य नरेन्द्रदेव की जन्मभूमि आज सिसक रही है । पिछले ३० वर्षों में बराबर उसके साथ उपेक्षा हुई है । इधर बैठे हुए लोग आचार्य नरेन्द्रदेव और श्री लोहिया जी के शिष्य रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनका क्षेत्र एक-एक इंच सड़क के लिए तड़प रहा है । वहां एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल हो जाता है । उसके लिए यदि कहीं से कुछ मिला भी, तो दुर्भाग्य से वह नौकरशाही के चंगुल में फंस कर रह जाता है । मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हमें गांधी जी के रामराज्य के सपनों को साकार करना है, श्री जयप्रकाश और श्री लोहिया जी के सपनों को देश में पूरा करना है, मूर्तरूप देना है, तो इन बताई हुई तमाम बातों को करना होगा, कथनी और करनी के अन्तर को समाप्त करना होगा और आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर देश के भविष्य को बनाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा । इन शब्दों के साथ में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री इन्द्रमणी बड़ोनी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझ बोलने का अवसर दिया है । वास्तव में यह जो इस वर्ष क्रान्ति हुई, वह वास्तव में एक क्रान्ति हुई और हमारे कांग्रेसी साथी, जब कांग्रेस का विभाजन इस हाउस में हुआ था, द्वारा हम लोगों को प्रतिक्रियावादी आदि अनेक प्रकार के विशेषण दिए गए थे । उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हम असली हकदार हो गये हैं, लेकिन सन् ६९ से लेकर ७७ तक वह वास्तव में कांग्रेसी तो थे ही नहीं । वह केवल कुर्सी के लिए कांग्रेस में गए और आइन्दा आठ सालों में कांग्रेस को ले डूबे और अपनी कुर्सी को भी ले डूबे । यह रही इनकी बात । इसलिए इन्होंने जो कुछ इस मुल्क में १९ महीनों में किया मेरा तमाम कांग्रेस वालों से निवेदन है उसका विश्लेषण कर प्रायश्चित करें और जनता के सामने जायं और कहें कि हमने गलती की है और कांग्रेस के जो उद्देश्य हैं, जनतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उसके लिए काम करें ।

जहां तक जनता पार्टी का सवाल है, ठीक वही हालत जनता पार्टी की है । लोक सभा के चुनाव हुए । वह चुनाव किसी ने नहीं लड़ा, जनता ने वह चुनाव अपने अधिकारों के लिए लड़ा । जनता ने इस देश में जनतन्त्र की स्थापना की । लेकिन जनतन्त्र केवल चुनावमात्र से जीवित नहीं रहता है । १९७१ के चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था । लेकिन १९७७ में, जनता ने जिस कांग्रेस को जनतन्त्र

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री इन्द्रमणी बड़ौनी]

की रक्षा के लिए वोट दिया था, वही जनता कांग्रेस के लिए भस्मासुर हो गयी। लोक सभा के चुनाव हुए। हम सब लोग जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जनता पार्टी को जितवाया। विधान सभा के चुनाव आये। उस चुनाव में गुटों का बंदरबाट शुरू हुआ और ऐसा बंदरबाट हुआ कि वह लोग लोक सभा के चुनाव में जिन्होंने जनता पार्टी का विरोध किया था, बाबू जयप्रकाश नारायण को भ्रष्ट विचार का कहा, उन लोगों को टिकट दिए गए। जनता पार्टी ने उन मान्यताओं को जीवित नहीं रखा कांग्रेस क्यों गयीं ? कांग्रेस के कितने साथी मिलते थे इमर्जेन्सी के समय जो कहते थे बिलकुल गलत है। लेकिन पार्टी का व्हिप जारी हुआ, जो वह नहीं चाहते थे, उनके लिए भी हाथ खड़ा कर दिया। विधान सभा में वही हालत है। जनता पार्टी के कोई विधायक थे, उन्होंने कुछ सुझाव रखे शिक्षा का जब बिल आया। लेकिन पार्टी के व्हिप के नाते उनको बैठना पड़ा। जनतन्त्र खाली चुनाव से जीवित नहीं रहता है। जनतन्त्र की अपनी मान्यताएं हैं। यहां पर विधायक लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मिनिस्टर लोग बहुत पहले से अपने आप तय कर देते हैं, हम लोगों से खाली पार्टी व्हिप के नाम पर हाथ उठवाते हैं और कोई काम नहीं करवाते हैं। इस प्रकार से जनतन्त्र जीवित नहीं रहेगा। प्रत्येक सदस्य से राय हर बात में लेनी चाहिये।

चूंकि समय कम है, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और ले जाना चाहता हूं। यह उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। ९ करोड़ लोग रहते हैं। हिमालय से लेकर झांसी तक फैला हुआ हुआ है। इस प्रदेश में अगर प्रत्येक हिस्से का खयाल नहीं रखा जायगा तो इस प्रदेश का विभाजन जरूर होगा। पर्वतीय जिलों को बाबत मैं कह रहा हूं। वहां पर जाड़ों में वारिश नहीं हुई, जिससे गेहूं की फसल बिलकुल नहीं हुई। आज समस्त पर्वतीय क्षेत्र में भुखमरी है और कोई कदम उस भुखमरी को समाप्त करने के लिए इस सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है।

एक बात और कह दूं। यहां पर हरिजनों की दुहाई दोनों तरफ से देते हैं। लेकिन कांग्रेस को जो नीति रही डिवाइड ऐंड रूल, हरिजनों और सवर्णों को बांट कर राज्य करो। तो उनकी नीति तो खत्म हो गयी। मैं माननीय विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं कि उस नीति को छोड़े और हरिजनों की भलाई के लिए काम किया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि कहा तो बहुत जाता है कि हम हरिजनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं किया जाता है और न उनकी ओर कोई ध्यान ही दिया जाता है। यहां पर हरिजन को कन्फर्म करने की बात थी, ३ सवर्णों को कन्फर्म कर दिया गया लेकिन उसको नहीं किया गया। इसके अलावा जो जनता पार्टी का मैनीफेस्टो है, उसकी झलक इसमें नहीं मिलती है। समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिये। इसी को लेकर आज शिक्षा मंत्री जी के घर के सामने धरना दिया जा रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता--

धन्यवाद, अब समाप्त करें।

श्री इन्द्र मणि बड़ौनी--

श्रीमन्, बड़े आदमियों के लिए पब्लिक स्कूल हैं लेकिन गांवों की पाठशालाओं की ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। वहां पर लड़कों और अध्यापकों

को बैठने के लिए स्थान नहीं है। स्कूल भवन नहीं हैं। बहुत से मास्टरों को निकाला जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिए। समय समाप्त हो गया।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी--

एक मिनट दे दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी आए, लेकिन अब गांव वालों को बेवकूफ नहीं बना सकती है। वह पार्टी के लोगों को देखती है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो घंटे की बहस में कांग्रेस वालों को ५ मिनट का समय प्राप्त हो पाया। यह किस नियम से चल रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसमें कांग्रेस और जनता पार्टी का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था कर चुके हैं कि जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो तब तक ३ और १ का अनुपात रखा जाये।

श्री मन्नू राम (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय को जिस क्रम से नाम दिए गए हैं, उससे आप चल रहे हैं या और किसी क्रम से चल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

उस क्रम से भी चल रहे हैं और बीच-बीच में जो लोग खड़े हो जाते हैं, उनको भी देखकर चल रहे हैं। दोनों को देख लिया जाता है।

श्री पुरूषोतम दास (जिला मिर्जापुर)--

आप उस अनुपात को देख लिया करें।

* श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज इस सदन में पहली बार बोलते हुए रु. ४७ का जो जमाना था, उसकी याद आती है। उस समय हमारे गांव में मिठाई बंटी थी। सभी जगह मेल जोल था लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते गए आजादी का अर्थ बदलता गया। कांग्रेस शासन से जब रोजगार मांगा तो लाठी और गोली मिली, जब भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की तो जेल मिली और जब तानाशाही के खिलाफ आवाज उठायी तो डी० आई० आर० और मीसा मिला। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातीयता, मुद्रा स्फीति यह स्वर्गीय श्री नेहरू उनकी बेटी श्रीमती इन्दिरा की गलत नीतियों का नतीजा है और यह नाजायज वरासत जनता पार्टी को मिली है। इसको १० दिन के अन्दर जज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजयराज सिंह]

नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज यह कि माननीय नेता विरोधी दल न पंडित गोविंद वल्लभ पन्त, डाक्टर सम्पूर्णानन्द आदरणीय चौधरी साहब के नाम लिए और याद दिलाया कि मुख्य मंत्री इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखें। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इमरजेंसी के जमाने में माननीय तिवारी जी ने एक अदना से आदमी को स्तुति करके, उसकी इज्जत करके, उसके लिए छाता फैला कर और तस्मे खोल कर इस क्षेत्र की जनता का अपमान किया है। यहां पर मुख्य मंत्री के पद के सम्मान को गिराकर सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए कलंक की बात की है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, क्या आप इस लाल बत्ती से मुझे डरा रहे हैं। मैं एक नया आदमी हूं। मैं आपके अभिप्राय को नहीं समझ पाया हूं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

हमारे नौजवान की जो भाषण शैली है, वह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए कहा है, उनको वह सूचना गलत मिली है। यदि वे चाहेंगे तो अलग से मिल कर उनको बता दूंगा।

श्री विजय राज सिंह--

आप हमारे क्षेत्र में गए थे और आपने हल जोतने का उदाहरण दिया था। जिन लोगों के शासन काल में बेगुनाहों को जेल में बन्द कर दिया गया, उनके मकान तोड़े गए, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की गई इंदिरा गांधी के कहने पर सब कुछ किया गया माननीय नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल और उनके गिरोह के जो लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाय और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाय ? यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, यह क्रान्ति का परिवर्तन है। जिन्हें इतिहास का ज्ञान है, वे जानते हैं कि आपातकलीन स्थित में ज्यादती करने वालों को मौज और मस्ती नहीं लेने दी गई। यह जो हमारी रहमदिली का फायदा उठाया गया है। उसके लिए मैं अपनी जनता पार्टी के सदस्यों को सचेत करना चाहता हूं कि देश में पृथ्वी राज चौहान ने दिखाई थी तो क्या हुआ ? मेरा यह भी निवेदन है कि श्री संजय गांधी के दौरों पर जो माननीय तिवारी जी ने खर्चा किया है, उसको कांग्रेस पार्टी या उन्हीं से जाती तौर पर वसूल किया जाना चाहिए।

मेरा यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारी जनता पार्टी विकेन्द्रीकरण चाहती है, तो इस प्रदेश के २-३ हिस्से अवश्य हो जाने चाहिए जिससे प्रदेश का शासन अच्छा चल सके और हमारी तरफ के लोगों को सस्ता न्याय मिल सके और उनका हित हो सके। इससे हमारी तरफ के प्रदेश को भी तरक्की मिलेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मेरी गिरफ्तारी की मांग की है। मैं भी सन् १९४२ से जेलों में रहा हूं, कानून के अन्तर्गत अगर मैं जुर्मवार हूं तो मुझे अवश्य गिरफ्तार करवाइए।

(श्री अजीत सिंह सेठी का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, सूची में मेरा नाम तीसरे नम्बर पर था। मैं आपसे मिला भी था, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने माननीय सेठी का नाम पुकार लिया है। सदन में बहुत से सदस्य हैं और बोलने वालों की सूची भी बहुत लम्बी है। मुझे सभी का ध्यान रखना है।

*श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, क्रांति या इन्कलाब केवल शक्ति की तबदीली का नाम नहीं है। उसमें तो आदर्शों की तबदीली आनी चाहिए तभी उस क्रांति की बात चल सकती है। अब कांग्रेस ने आदर्श अपनाया था, सिर्फ एक आदर्श का जिक्र कर रहा हूं कि भारतवर्ष में केवल भारतवासियों का ही शासन हो। इसके लिए गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की अगुवाई में बड़े आन्दोलन किये गये। कितनी कुर्बानियों के बाद आजादी की प्राप्ति हुई और उस क्रांति के आदर्श को पूरा करने के लिए एक संविधान का निर्माण उसके खिवैया डाक्टर अम्बेदकर ने कराया और उसमें भारतवासियों और विशेष कर गरीब जनता की एक आवाज दी कि मैं आपको धनवानों का धन तो नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज दे रहा हूं कि उसकी प्राप्ति के बाद ये धनवान व्यक्ति हर पांच साल बाद एक दफा जरूर गरीब के दरवाजे पर जायेंगे कि तुम हमें अपना वोट दो, अपनी राय दो, तो यह राय का, वोट का जो अधिकार दिया यह बड़ी क्रांति थी। लेकिन उसके विपरीत जो "क्रांति" लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, जनता पार्टी वाले, अगर उसकी परिभाषा देखी जाय तो दुखों के बाद सुखों की कोई बात नजर आनी चाहिए। आपने इमरजेंसी के अन्दर गिरफ्तारियों की बात करके दुख को प्रकट तो कर दिया है लेकिन सुख देने के लिए जो जनता के सामने आदर्श आये आपकी क्रांति के वह जाहिर हैं। स्वर्गीय डाक्टर अम्बेदकर ने जो वोट का अधिकार दिया था, वह अधिकार एक छपरौली में तो काटा गया था कामे गामे का, लेकिन आज इस प्रदेश में अनेकों छपरौलियां बन गयी। उस गरीब कामे गामे को अपनी मजदूरी के लिए रखते हैं जैसे कि फ्यूडल सिस्टम में होता है। धरती माता के ऊपर कहते हैं कि जो सब से बड़ा उद्योग है, कृषि का, उसमें उस कामे गामे का वजूद सिर्फ इसलिए है कि तेरा काम सिर्फ सेवा करने का है। वोट तो तेरा जरूर होगा, लेकिन डालेगा सिर्फ मोहर लगाकर एक आदमी पोलिंग स्टेशन पर यह है आपकी क्रांति।

एक सदस्य--

१२ बजे के बाद बोल रहे हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी---

कांग्रेस ने कहा कि हम भारतवर्ष में रोटी का टुकड़ा नहीं डालना चाहते। हम तो इस गरीब जनता को उठाना चाहते हैं एक और रोटी पैदा करने के लिए। यह था आदर्श। लेकिन उस आदर्श में हमने आधार खेती को लिया। उसको बांटा, उस कामे गामे को भी उसका हिस्सा दिया ताकि वह उसमें से अपनी रोटी पैदा करे, किसी की रोटी को न खाये। लेकिन वाह रे क्रांति वालों, आपकी क्रांति ने उसी कामे गामे की झोपड़ियां जला दीं, उस कामे गामे से खेती छीन ली और उसकी खड़ी फसलों को काट लिया। वह चुप रह गये। वह बोल नहीं सके। यह है क्रांति जो आप लाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

यह कब किया गया, श्रीमन् ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

उदाहरण दे रहा हूं अपने जनपद के क्रांति का जो आप धरती माता के ऊपर लाये हो । रावा पुलिस स्टेशन में ११ बजे रात को झोपड़ियां जला दी गयीं, पुलिस स्टेशन जानी बाग था और उसकी रिपोर्ट जो हुई तो ४३६ आई० पी० सी० के बजाय १४७ में दर्ज की गयी । चिनौरी विराना थाने में जो खड़ी चरी की फसल थी, उसको जोत लिया गया और श्री चन्द्रा हरिजन को पीटा गया और उस बेचारे ने भी एफ० आई० आर० दर्ज कराई है । अहमदपुर, बागपत थानों में जोत की जमीन दी गयी थीं, वह उन लोगों से जबरदस्ती छीन ली गयी और छीनने वालों में वहां का प्रधान और प्रधान के लड़के हैं श्री कृष्णपाल और उनकी पार्टी वाले ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना प्वाइंट एक मिनट में कह लें ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, जो न्याय हमें प्राप्त होता है वह शीघ्र हो और सस्ता हो । पश्चिमी जिलों के लोगों ने मांग की थीं कि हाई कोर्ट की एक बेन्च मेरठ में स्थापित की जाय । पिछली सरकार ने हमारी मांग को माना और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने भी माना । परन्तु राज्यपाल के अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है कि वह खोली जायगी या नहीं ? हमारी पिछली सरकार ने कुछ रिआयते पब्लिक को दी थीं, जैसे बिजली की दरों में रिआयत, लगान की दरों में रिआयत, आदि । लेकिन गवर्नर महोदय ने उन सब रिआयतों को रोक कर एक चीज दी जनता को और वह है शराब की नयी दुकानें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

इन शब्दों के साथ में विरोधी दल के नेता ने जो भेद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह, (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । विपक्ष की तरफ से क्रान्ति के बहुत मतलब बतलाये गये और उन्होंने यह भी कहा कि अभिभाषण में जो यह कहा गया है कि सन् १९७७ में दूसरी क्रान्ति हुई, वह गलत है । जिस क्रान्ति की बात जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, उस क्रान्ति के दौर से वह गुजरे नहीं हैं इसलिये वह समझ नहीं पा रहे हैं । अगर वह उस क्रान्ति के दौर से गुजरे होते, तो समझ सकते कि हां, वाकई जो सन् १९७७ में क्रान्ति हुई, वह सब से बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्रान्ति थी । सन् १९५० से में वकालत करता हूं । जब आपात स्थिति लगायी गयी तो १९ जुलाई को रात २ बजे दरोगा जी ने मेरे घर का दरवाजा खट-खटाया ; जब मैं उठा तो देखा कि चारों तरफ पी० ए० सी० लगी हुई है । जब मैंने पूछा, तो दरोगा जी ने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आये हैं । मैंने पूछा कि कोई वारन्ट है, किस जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार करने आये हैं । उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ वारन्ट कोई नहीं है । मैंने पूछा कि मुझको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि ऊपर का हुक्म है । जिस व्यवस्था में शान्ति प्रिय नागरिक ऊपर के हुक्म से, बगैर वारन्ट गिरफ्तार किये गये, उस व्यवस्था को बदलना था और वह क्रान्ति थी ।

सारे देश में हजारों आदमी गिरफ्तार किये गये । जब कोई तरीका नहीं रहा, तो मजबूर हो कर श्री जय प्रकाश जी के नेतृत्व में संघर्ष समिति का गठन हुआ । उस संघर्ष समिति ने सारे देश में सत्याग्रह का आह्वान किया । आज आप कहते हैं कि हम भी सत्याग्रह करेंगे । किराये पर बसों में लोगों को लाना, दोनों वक्त का खाना देना दूसरी बात थी । लेकिन वाकई जो क्रान्ति हुई वह सन् १९७७ में हुई । यह नवम्बर में तय हुआ कि सारे देश में सत्याग्रह किया जाय । मैं ४५ दिनों तक जेल में रहा । बड़ी पैरवी के बाद हाई कोर्ट से जमानत हुई । फिर आदेश हुआ कि आप बस्ती में सत्याग्रह शुरू कीजिये । और मैंने शुरू किया। उस वक्त मैं समझता था कि मेरी वकालत खतरे में है, मेरे बच्चों को तकलीफ होगी । लेकिन एक तरफ देश था, समाज था और दूसरी तरफ मेरे बच्चे थे । मैंने यह जरूरी समझा कि हमको संघर्ष करना है और जेल जाना है और हमने दोबारा २२ नवम्बर को बस्ती में सत्याग्रह शुरू किया । मुझे पकड़ा गया और पुलिस ने मेरे ऊपर चार्ज यह लगाया कि मैं मिट्टी का तेल ले कर इजलास फूंकने जा रहा था । यह थी आपकी व्यवस्था और आपकी पुलिस जिसको आपने मजबूर किया था कि वह झूठी रिपोर्ट लिखा करे । हम जो सही रिपोर्ट लिखाते थे वह नहीं लिखी जाती थी । हमारे श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी भी थे, २-३ व्यक्ति और भी थे । एस० पी० महोदय को हमने दरखास्त दी कि हमको बताया जाये कि हमें क्यों पकड़ा गया है ? एस० पी० ने कहा कि ठाकुर साहब, क्या आप चाहते हैं कि मेरा गला नप जाये । यह थी आपकी व्यवस्था जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है ।

जेल में हम लोगों से मिलने के लिये हमारे परिवार के सदस्य १५ दिन में एक बार मिल सकते थे ।

आपने कहा कि क्रान्ति सन् ४२ की थी, उस समय इतनी बदतर हालत नहीं थी जो इन १९ महीनों में हुई । उसके लिये जिम्मेदार आप हैं । एक दिन मेरे दो छोटे-छोटे नाती जिनकी उम्र करीब ४-५ वर्ष की थी, मुझसे मिलना चाहते थे । हमारे लड़के ने किसी दूसरे नाम से उनको दरवाजे के अन्दर कर दिया । वहां मिलने वालों की संख्या ५ हो गयी, आपके जेलर साहब आये उन्होंने कहा यह इतने लोग कैसे ? उन्होंने तुरन्त बाहर करवा दिया । उन बच्चों को निकलवा दिया । यह जो तानाशाही थी, उसको बदलने के लिये यह क्रान्ति थी । आप अभी उस क्रान्ति को नहीं समझ रहे हैं । हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही को भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की तानाशाही ने मात दे दी थी ।

आप हरिजनों की बड़ी दुहाई दे रहे हैं । आज उनकी तरफ से आपको बड़ी पीड़ा हो रही है । मगर १९ महीनों में हरिजनों की सबसे ज्यादा नसबन्दी

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह

किसने करायी थी ? कायस्थ, ब्राह्मण, बनिया या अन्य किसी जाति की इतनी नसबन्दी नहीं हुई है, जितनी कि हरिजनों की नसबन्दी आपने करायी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरिजन और कमजोर वर्ग के प्रति सरकार काफी जागरूक है और उनके लिये, उनकी तरक्की के लिये, हर प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे। श्रीं बेगम साहिबा जब बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो जमीन औरतों के नाम होती थी वह उनके पति के साथ जोड़ दी जाती थी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह कानून तो आपका ही बनाया हुआ है। वह कानून तो पहले का ही बना हुआ है। इस देश में एक बार और मीसा लगा था जब कि गांधी जी ने कहा था और आवाज उठाई थी कि न वकील न दलील।

(व्यवधान)

श्रीमन्, एक और बात मैं कहना चाहता हूं। मैं एक बार रिक्शे से आ रहा था रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि साहब इन्दिरा गांधी कब गिरफ्तार होंगी। मैंने कहा क्यों ? उसने कहा कि साहब उन्होंने आपको बिला वजह गिरफ्तार कराया था। मैंने कहा कि क्या हम भी बिला वजह उनको गिरफ्तार करायें। अब ऐसा नहीं होगा (व्यवधान) किसी को भी बिला वजह गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। अदालत में उसको अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया जायेगा। जुर्म साबित होने पर ही गिरफ्तारी अब हो सकेगी। उस समय में तो पर्चियां लिख-लिख कर आती थीं कि इनको गिरफ्तार करो। आज भारत का कोई भी नागरिक बिना जुर्म के गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। रोटी तो मंहगी या सस्ती बिक सकती है, पर उससे बड़ी चीज यह है जो हमने की है। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्षजी महोदय, मैं राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पूर्व इसके कि मैं अपनी वार्ता प्रारम्भ करूं, मुझे एक शेर याद आता है।

"शोर है बहुत बरात बहुत थोड़ी है, आग है बहुत बरसात बहुत थोड़ी है। जी चाहता है कहने को पर कैसे कहूं, बात है बहुत मगर मुलाकात बहुत थोड़ी है।"

दुर्भाग्य है कि मुझे समय बहुत कम दिया गया या समय कम रहा। मान्यवर, इस अभिभाषण के पक्ष और विपक्ष में दोनों की चर्चा कई दिनों से चल रही है, विचार भी सुने हैं। माननीय नेता विरोधी दल, श्री तिवारी जी के विचार जहां सुने, वहां उनके द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी तरफ भी दृष्टिपात किया है। वह बड़े अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं। उनके द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है शायद वह उनके द्वारा तैयार नहीं किया गया था, अपितु किसी दूसरे के द्वारा तैयार करके उन्हें दिया गया जान पड़ता है। इस संशोधन में कार्य सूची पृष्ठ सं० ७ पर उप खण्ड 'भ' और 'म' की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है, वह कोई इनसाइक्लोपीडिया नहीं हुआ करता। वह केवल जो शासक दल होता है, उसकी नीतियों की उद्घोषणा मात्र होता है और भविष्य में उस दल द्वारा किये जाने वाले नीति सम्बन्धी कार्यों की संक्षिप्त रूप रेखा हुआ करती है। माननीय तिवारी जी ने इस 'भ' और 'म' के माध्यम से जो संशोधन दिया है कि व्यापारियों को राहत देने के लिए खाद्यान्न पर, अन्तिम सूत्र पर बिक्री

कर के बजाय प्रथम सूत्र बिक्री कर लगाया जाय और उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम की धारा ३ ङ को पूर्वगामी प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय, जब कि मान्यवर, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र द्वारा यहां महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के द्वारा यह आश्वासन दिया है कि यह सरकार बिक्रीकर को समाप्त करने जा रही है और जतता पार्टी बिक्री कर को समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन कर लगाने जा रही है। इस प्रकार का संशोधन तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब कि अभिभाषण पर गौर न किया गया होगा। इस अभिभाषण का जो प्रथम पैराग्राफ है, उसके विषय में जिसमें कहा गया है कि विधान मंडल का यह सत्र देश की द्वितीय क्रान्ति की ऐतिहासिक परिणति है, इसका अर्थ उन्होंने निकाला था परिणाम। माननीय तिवारी जी ने बड़ी आलोचना की थी और उसमें विशेषतौर से उनको प्रथम वाक्य पर आपत्ति थी। उन्होंने परिणति का परिणाम अंतिम निष्कर्ष निकाला है जब कि यहां पर उससे तात्पर्य आउट कम से है, जो क्रान्ति १९४७ में हुई थी, उसके द्वारा जहां हमने साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद का अन्त कर देश में जनतन्त्र की स्थापना की थी, जब वही जनतंत्र फिर कैद कर लिया गया, अथवा मिटा दिया गया और तानाशाही एवं अधिनायकवाद को स्थापित करके मानव, मूलाधिकारों का गला घोट दिया गया। तो एकबार पुनः उस तानाशाही और अधिनायकवाद से मुक्त दिला कर जनतंत्र की पुनः स्थापना और मूलाधिकारों का पुनर्जीवन निश्चित रूप से द्वितीय क्रान्ति ही है।

माननीय तिवारी जी एवं अन्य विरोधी पक्ष के सदस्य जिन्होंने इस अभिभाषण की मात्र आलोचना के लिए आलोचना की है, यह मेरा विश्वास है कि यह बात वे भी हृदय से स्वीकार करते होंगे कि यह परिवर्तन वास्तव में क्रान्ति है।

उनके हृदय में भी जैसा उन्होंने स्वीकार किया है स्वर्गीय डाक्टर लोहिया को आत्मा झांकती है। और श्री दीन दयाल उपाध्याय जी को मानव एकात्मवाद की नीति का हमन पालन किया है, वे प्रशंसक है ऐसी स्थिति में यदि उन्होंने उसको नहीं माना, तो इसके लिए भी कोई मजबूरी रही होगी। मैं समझता हूं कि उनके हृदय ने न चाहा होगा कि ऐसा करें, कि ऐसे जुल्म और अत्याचार करें। उनको इन संतो को याद न रही होगी। कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी जिससे किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने या मात्र अपनी कुर्सी बचाये रखने के लिये मजबूरी में ऐसा करना पड़ा होगा। जिसके कारण ही इस प्रकार के अत्याचार और जुल्म प्रदेश में हुये।

यह असंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोयी,
चाह में है और कोई बांह मे है और कोई,
सांस मे है और कोई पास मे है और कोई

तो कभी-कभी अनमना व्याह भी करना पड़ता है। हो सकता है इसी कारण इतने अत्याचार और जुल्म हुये हों।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया अब समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, इमरजेंन्सी के दौरान अपने पिछड़े जिले फर्रूखाबाद में जो जुल्म किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। हमारे फर्रूखाबाद में इमरजेंसी के दौरान जाने कितने जुल्म किये गये। लोगों में आतंक और भय व्याप्त था। जिस समय मैं पकड़ा गया उस समय मैंने भारत माता की जै का नारा दिया तो कहा गया कि भारत माता की जै न कहो नहीं तो मुंह भींच दिया जायगा और सड़क पर घसीटा जायगा। तो यह स्थिति थी। भारत माता की जै करने पर यह रोकथाम लगायी गयी थी।

श्री अधिष्ठाता—

धन्यवाद, अब आप समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, केवल मैं कुछ उदाहरण देकर समाप्त कर रहा हूं। मे माननीय सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं। ओमकार सिंह यादव नाम के नौजवान को याद दिलाना चाहता हूं कि जिनको डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया गया था। एस० ओ० कन्नौज उनको गुदा द्वार में रूल प्रवेश किया जिससे वह लहू लुहान हो गया। इसी तरह से श्याम लाल के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया। इसी प्रकार मूल चन्द्र वर्मा के साथ व्यवहार किया गया। मान्यवर, राम प्रकाश जी त्रिपाठी जो लोक सभा के सदस्य हैं। उनके पिता की लाश पड़ी सड़ती रही। बहुत दिनों पहले उन्होंने अपने बृद्ध पिता के दर्शन के लिये पैरोल याचना की थी लेकिन उनको पैरोल नहीं मिल सका था। और वह अपने पिता के दर्शन न कर सके। इसी प्रकार से न जाने कितने लोगों के साथ जुल्म हुये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करते हुये कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी ४ दिन पहले इसी सदन में माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात कह रहे थे, आपातकालीन दिनों में उनको सरकार के जरिये से जो जुल्म हुये वह सब जानते हैं। उस दिन वह अपने मुंह से लोकतंत्र का शब्द बार-बार इस्तेमाल करते थे। युवक सम्राट के साथ, पद यात्रा के दौरान उनके पद चिन्हों पर चलते हुये अखबारों में उनके चित्र निकलते थे। लेकिन ४ दिन पहले इसी सदन में जब वह बार-बार लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो मुझे बहुत ताज्जुब होता था। कुछ दिनों पहले आपातकालीन दिनों में जो अत्याचार हो सकते थे वह उन्होंने किये और अपनी सरकार के जरिये कराये। बोलने वालों की आजादी तक छीनी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय बोलने की आजादी नहीं थी। मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस में २३ दिसम्बर, १९७५ को गाजियाबाद में आयोजित एक सभा में बोलने के लिये गया था चौधरी साहब जनतंत्र के सजग प्रहरी हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सभा को नहीं होने दिया और मुझे एक दर्जन लोगों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनकी उस समय अखबारों में जो तस्वीर आती थी और जो चेहरा

मैंने ४ दिन पूर्व सदन में देखा था तो उस पर अफसोस हुआ, जब कि वह लोकतंत्र की दोहाई दे रहे थे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल के पास मेरी बात पहुच जाय कि आपके युवा सम्राट, जिसके पद चिन्हों पर वह चलते थ, उस सम्राट को यह सरकार अभी गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके दो महीने पहले तिवारी जी सरकार में थे और उस समय यह नही समझ पाये कि लोकतंत्र और तानाशाही में क्या फर्क होता है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जहां मौलिक अधिकार छीने हैं अत्याचार किये हैं, वहां, उन्होंने नई पीढ़ी के ऊपर ऐसा कंलक लगाने की साजिश की है, हमारी पीढ़ी को भ्रष्ट बनाया है। श्री तिवारी जी एक लफंगे नवजवान पर काफी खर्चा करते थे, पद यात्रा में शामिल होते थे और नवजवानों से कहते थे कि यह आपका नेता है। इसलिये मैं तिवारी जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो इस प्रदेश की युवा पीढ़ी थी, उस पर एक कंलक लगाने का काम किया है। आपने यह पाप किया है, तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिये। आपकी तरफ से सवाल उठा करते हैं कि जनता सरकार आ गयी है इसलिये आपको (श्री तिवारी) सजा मिल गई है, तो ऐसी बात नहीं है। आपकी सरकार ने ऐसे कारनामे किये हैं, ऐसे अत्याचार किये हैं जिसकी मिसाल नहीं। आपको हार से सजा नहीं मिली है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के जो विधायक थे उन्होंने आपात्काल के दौरान नशबन्दी के नाम पर काफी चन्दा और अत्याचार किये हैं, जिसकी जांच की मैं मांग करता हूं। शाह आयोग तो जांच करेगा ही लेकिन यहां पर भी जांच होनी चाहिये। माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपराध किये हैं, उसकी सजा उमको अवश्य मिलनी ही चाहिये, जिससे आगे आने वाली सरकार या जनता सरकार उन पद चिन्हों पर न चल सके जिस रास्ते पर जाने से तानाशाही कायम हो जाती है। अभी एक सदस्य ने तिवारी जी को गिरफ्तार करने की बात कही थी। हो सकता है वह अपने कानूनी तिकड़मो से बच जांय। लेकिन प्रदेश के हित में होगा कि उनको गिरफ्तार करके तुरन्त जेल भेज दिया जाय।

क्षी अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हों रहा है। आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी--

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें।

मेरे क्षेत्र के अन्दर, गाजियाबाद जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां औद्योगिक मजदूरों की समस्या है। वहां आये दिन हड़ताल होती हैं। मजदूरों में असंतोष रहता है जो कि कांग्रेस सरकार की देन है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि मिल मालिकों पर दबाव डालकर उनकी समस्याओं को हल करें। मान्यवर, अपने क्षेत्र में मैंने बिक्री कर को समाप्त करने का वायदा किया था, तो अब जनता सरकार आ गयी है इसलिये जब तक कानून न बन सकें तब तक उसको आसान करने का प्रयास करना चाहिये।

वहां पर जो लघु उद्योग हैं उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहये। उनका विकास होना चाहिए। वहां अवैध बस्तियां हैं। वहां के भ्रष्ट विधायक लोगों को आश्वासन देते रहे, लेकिन उनकी चन्दा जमा करने की आदत थी और चन्दा ही जमा करते रहे और लोगों की समस्याएं बनी रहीं। उस तरफ भी सरकार का

[श्री राजेन्द्र चौधरी]

ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनकी समस्याओं को देखें । साथ ही भूड़भारतनगर का जो इलाका है, उसे नगरपालिका में शामिल किया जाय । गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्पन्न इलाका माना जाता है लेकिन वहां के गांवों की हालत बहुत खराब है । उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए । धन्यवाद ।

*श्री राम दुलारे (जिला रायबरेली)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय विरोधी दल के नेता जी ने संशोधन उपस्थित किया है, उसके समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं । यह जनता पार्टी के नाम पर जो गबरू सरकार यहां पर और केन्द्र में बनी हुई है, वह कहती है कि सन् १९७७ में क्रांति हुई है । मैं कहता हूं कि यह क्रान्ति नहीं प्रति क्रान्ति अर्थात् काउन्टर रेवौल्यूशन है और १८५७ और ४२ की सी क्रान्ति रही है । जब देश आजाद हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना की गयी और गरीबों के भलाई के काम किये गये, तो उसके बाद ही इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि अब कैसे किया जाय की तानाशाही और सामन्तवाद देश के अन्दर कायम हो । इस काउन्टर रेवोल्यूशन की तैयारी उस समय शुरू हुई जब गुजरात की विधान सभा जबरदस्ती भंग करायी गयी । बिहार में भी इस तरह की बात पैदा की गयी । विधान सभा और पालियामेंट हाउस को भी उड़ा देने की योजना बनायी गयी थी । मैं तो इसलिए कहता हूं कि इसको क्रान्ति नहीं प्रति क्रान्ति कहा जाय, तो अनुचित न होगा । जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय भी प्रजातंत्र और लोकतंत्र पर घातक हमला किया । उसका अगर विश्लेषण किया जाय, तो मैं समझता हूं कि ऐसा समय भी आयेगा और वह समय यह लाना चाहते हैं कि वोटर आकर खड़ा होगा और उससे यह कहेंगे कि तुम यहीं खड़े रहो, यह हमारा आदमी जाकर तुम्हारा वोट डालेगा । यह चाहते हैं देश के अन्दर या तो चुनाव हो न हों और यदि हों, तो एक आदमी ही जाकर वोट डाल दे । इसका एक नमूना उस समय पेश हो गया जब यहां के स्टेट आफिसर ने कमरा किसी के नाम एलाट किया, ताला किसी और का कब्जा और ने किया । यह नमूना इन्होंने पेश किया । यह कहते हैं कि हम देश को भलाई के लिए आये हैं मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अभी तो इनको वह मामला भी पेश करना होगा, जिस समय यह चुनाव को इस तरह करायेंगे जिस तरह उन्होंने मिलिट्री का आवाहन किया था । यह सरकार ऐसी परिस्थित पैदा कर देगी । अभी तो यह कहते हैं कि जेल के अन्दर भरा गया । लेकिन उस समय मिलिट्री संगीन से काम करेगी । यह वक्त आयेगा और यहां उस समय को लायेंगे । यह कहते हैं कि गरीबों की भलाई करेंगे और प्रजातंत्र कायम करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि देश का आदमी, गांव का आदमी और शहर का आदमी । इस संकट में पड़े हुए हैं । गांवों के अन्दर बड़ी खराब दशा है । चोरी और डकैती का माहौल है । सुबह से लेकर शाम तो वहां लोगों की कट जाती है लेकिन रात नही कटती । वे सोचते हैं भगवान रात किस तरह कटे, तो इस प्रकार का डर वहां पर बन गया है । मैं कहना चाहता हूं, शब्द कुछ असंसदीय होगा, कि यदि ऐसे ही लोग शासन में बैठे, तो गांवों में चोरी, डकैती नहीं बढ़ेंगी तो और क्या होगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय २ बज कर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बात दूर करने की बात कही जाती है। मैं यह कहता हूं कि सन् १९६७ में, मैं भी यहां पर मौजूद था तो वहां पर माननीय गृह मंत्री यह कहते रहे कि कांग्रेस के साथ मजबूती से हैं लेकिन जब उनको तोहफा मिला चीफ मिनिस्ट्री का तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार का सब से बड़ा और जीता जागता चित्र यह है और ये कुर्सी पर बैठे हुए भ्रष्टाचार को क्या दूर करेंगे ?

आपकी आज्ञा से एक बात और कहना चाहता हूं कि नैतिकता की बड़ी दुहाई दी जाती है। नौ विधान सभाओं के लिए चुनाव कराये गये इसलिए कि कांग्रेस को हरानः है। मैं यह कहना चाहता हूं आपकी आज्ञा से कि राय बरेली जिले में जो पांच विधान सभाई क्षेत्र हैं, वहां से सब की सब सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तो यह नैतिकता का प्रश्न कहां गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

श्रीमन् इसका राज्यपाल के अभिभाषण से मतलब नहीं है। यह अनर्गल है। इसी सदन में मांग की गयी थी जब लोकसभा में ८५ कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गये। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस तरफ बैठते थे और मैं उस तरफ बैठता था, कि माननीय तिवारी जी को अपनी सरकार और मंत्री मंडल से त्याग पत्र दे देना चाहिए, जिसे माननीय तिवारी जी ने ठुकरा दिया था।

श्री राम दुलारे—

मैं आपको याद दिला रहा था। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन-प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर आपात् स्थिति के पिछले १९ महीनों के काले इतिहास के जो पन्ने उलटे गये, उनमें तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया। मैं समझता हूं कि अगर सारी घटनायें बता दी जायं तो उसके लिए पन्ने भी कम पड़ जायेंगे। मैं कुछ का जिक्र करना चाहता हूं। मान्यवर, विरोधी दल के नेता ने अभी एक चुनौती दी थी जब हमारे माननीय जनता पार्टी के सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने मांग की थी कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तब उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि अगर कानून में कोई व्यवस्था हो, तो कानून के अन्तर्गत मुझे गिरफ्तार कर लिया जाय मैं चुनौती देता हूं। आश्चर्य है। मुझे क्षमा करें इन शब्दों के लिए। इन शब्दों को सुन कर ऐसा लगता है कि जैसे चौराहे पर खड़ी हुई कोई वेश्या पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही हो। जिन्होंने कभी आपात् स्थिति में कानून का पालन नहीं किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सौ प्रतिशत झूठे मुकदमे कायम कर के निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया, वह आज कानून को चुनौती दे रहे हैं। इससे बड़े आश्चर्य की बात कोई हो नहीं सकती।

एक बात जरूर हुई है कि आपात स्थिति में बहुत ज्यादतियां हुईं लेकिन जहां कांग्रसी झपसट में बन्द हो गये, तो थाने का थाना निलम्बित हो गया।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

बांदा का उदाहरण दिया जा सकता है। औरई जेल में एक कांग्रेसी सज्जन कोयले की ब्लैक में बन्द हो कर आये, तो कांग्रेसी कहते थे कि राज्यपाल से कह दिया है, जल्दी से जल्दी छूट जाओगे। ऐसी-ऐसी विचित्र घटनायें हुई हैं १०, १२ वर्ष की उम्र के विद्यार्थियों को डी० आई आर० में बन्द किया गया। अदालत से अगर एक सप्ताह के लिये पेरोल दिया गया, तो फिर मीसा में उन बालकों को साल डेढ़ साल के लिये जेल में ठूंस दिया गया।

मेरे जिले में हाई स्कूल के एक विद्यार्थी के पिता की मृत्यु हो गयी लेकिन खौरई के कलेक्टर ने पैरोल देना स्वीकार नहीं किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत करते हुए विरोधी दल के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी ने शहरों के सुन्दरीकरण की व्याख्या करते हुए कहा कि गांव की ओर इशारा किया गया है, इस अभिभाषण में, इससे ऐसा लगता है कि जनता पार्टी शहर विरोधी है। शहर विरोधी कौन है और शहर समर्थक कौन है, इसका ज्यादा उदाहरण न देकर शहरों में सुन्दरीकरण के नाम पर जो जुल्म ढाया गया उसका ज्यादा वर्णन करना उचित नहीं। ३ जुलाई को ओरई में कांग्रेस विरोधी लोग गिरफ्तार होते हैं। ५ जुलाई को नेशनल हाईवे के इंजीनियर, मजदूरों को लेकर आते हैं जो इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे लगाते हैं और कांग्रेस विरोधी लोगों के मकानों को ऐसे ध्वस्त करते हैं जैसे किसी नादिर शाह की हुकूमत आ गई हो। मेरी पार्टी के प्रमुख सदस्यों के मकानों के छज्जे तोड़ दिये गये, कानून की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज कानून की बात कही जाती है इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है।

एक बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गयी है कि मुनाफाखोरों और जखीरेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायगी। जनता पार्टी की सरकार विशेष तौर से आपूर्ति मंत्री इस बात पर ध्यान दें, अब तक यह देखा गया है कि आवश्यक वस्तुओं पर जितना ज्यादा नियंत्रण रखा गया, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा। भ्रष्टाचार कम करने के लिये आवश्यक है कि आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिये कम से कम चीनी, डालडा और सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लिया जाय। इन पर कंट्रोल होने से भ्रष्टाचार बढ़ा ही है। ट्रान्सपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार इस बात को लेकर होता है कि प्राइवेट बसों के परमिट किसे दिये जायं? संविद सरकार में यह प्रस्ताव आया था जिसे कांग्रेस सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, अब जनता पार्टी आ गयी है वह उसे स्वीकार करेगी कि प्राइवेट बसें जिन रूट्स पर चलती हैं, परमिट उन्हीं को दिये जायं जो ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधायें दें।

मैं विधान सभा में पहली बार बोल रहा हूं, दूसरे उत्तर प्रदेश का सार्वाधिक उपेक्षित इलाका बुन्देलखंड का इलाका रहा है पिछले ३० साल से उस अपेक्षित इलाके के सदस्य होने के नाते कम से कम इस समय इस इलाके की उपेक्षा न की जाय। बुन्देलखंड की समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का यह, वह इलाका है जहां तीन-तीन मील चलकर भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। जहां टूटी-फूटी सड़कें हैं और खेत पानी के अभाव में सिंचाई के लिये तरसते रहते हैं। जालौन जिले में कृषि योग्य भूमि में दो फसलें हो पाती हैं। एक फसल में ३७ प्रतिशत और दो फसलों में ८ प्रतिशत सिंचाई उपलब्ध है।

में आपके माध्यम से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछड़े हुए पर्वतीय इलाकों के विकास के लिए पर्बतीय विकास विभाग मंत्रालय खोला गया है उसी प्रकार से बुन्देलखंड के लिए बुन्देलखंड विकास विभाग मंत्रालय भी खोला जाय ताकि बुन्देलखंड के पिछड़े हुए इलाकों का विकास हो सके। पिछले ३० वर्षों में जो बुन्देलखंड की उपेक्षा की गई है, वह उपेक्षा न हो। बुन्देलखंड की उपजाऊ भूमि को सिंचित किया जाय और वहां के सिंचाई के साधन जो हैं, उनकी मरम्मत की जाय। ताकि वहां पर जो तमाम भूमि बंजर पड़ी हुई है उसको उपजाऊ बनाया जा सके।

एक बात मैं मान्यवर, उद्योग धंधों के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मैं एक मिनट और लूंगा। यह इलाका उद्योगों के मामले में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। मैं उद्योग मन्त्री और मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उद्योगीकरण के मामले में बुन्देलखंड का विशेष ध्यान रखा जाय और इस इलाके में, जो बेकारी फैली हुई है, उसको भी ठीक किया जाय। बुन्देलखंड विकास निगम नाम की जो संस्था खड़ी की गई है नाममात्र के लिए, वह कागज में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस संस्था ने ५ वर्ष में सारे बुन्देलखंड के लिए गिट्टी तोड़ने का काम किया है और एक छोटी सी चीनी मिल माधोगढ़ में खोली है और वह भी बेकार पड़ी हुई है। हम उम्मीद करते थे कि इससे बुन्देलखंड की तरक्की होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्याम सुन्दर—

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो बैठे होते हैं उनको तो आप बोलने के लिए पुकारते हैं। आपने जो परम्परा कायम की है, उसको ही कायम रहने दें।

श्री अध्यक्ष—

श्री पाण्डेय जी आप बैठें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह जो आपका आक्षेप है, वह गलत है, मेरे सामने जो खड़े हैं, उनको ही बुला रहा हूं श्री गौरी शंकर जो काफी समय से खड़े हो रहे हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने महामहिम द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया उसको

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

आद्योपरांत पढ़ा और सुना । मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिए जो घोषणा की है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं हरिजनों तथा कमजोर वर्गों पर किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करेगी और दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी । मान्यवर, हरिजन उत्पीड़न को लेकर प्रायः सदन में और बाहर समाचार पत्रों में जो टीका टिप्पणी चल रही है, उसका असर हरिजनों पर ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के मन में भी दुख होता है । आज यह समस्या किसी दल विशेष की नहीं है । आज यह समस्या जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की नहीं है, इसका मानवी दृष्टि से निराकरण किया जाना चाहिये । सिर्फ इसलिए नहीं कि कौन पार्टी हरिजनों के हित में कम करती है और कौन केवल वोट मांगने के लिए बात करती है, इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये ।

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी की बहुत इज्जत करता हूं वे बड़े विद्वान व्यक्तित्व के हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह अपने कमरे में सुन रहे होंगे । जब १९७३ में माननीय बहुगुणा मुख्य मन्त्री थे उन्होंने हरिजन उत्पीड़न को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाये ? हरिजन उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या का निराकरण करने का एक ही उपाय है कि हरिजन अधिकारी या उस समाज से सहानुभूति रखने वाले लोगों की नियुक्ति महत्वपूर्ण पदों पर की जाय । मेरा मतलब कलेक्टरों से है, मेरा मतलब डी० आई० जी० से है, मेरा मतलब कमिश्नरों से है, मैं यहां पर आपके सामने एक लिस्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं १९७३ में मान्यवर, १५ जिलाधिकारी हरिजन समाज के थे, श्री आर० डी० सोनकर--इलाहाबाद, श्री माता प्रसाद--बरेली, श्री एस० डी० बागला--मथुरा, श्री महेन्द्र सिंह--फर्रुखाबाद, श्री राम कृष्ण--सीतापुर, श्री रोशन लाल--हमीरपुर, श्री मुन्नी लाल--जालौन में थे, जो बाद में झांसी गये, अजीत दास--बुलन्दशहर, जो बाद में फैजाबाद गये, स्वर्ण दास--बांदा में, एस० पी० आर्या--बस्ती में, देवीदयाल--गाजीपुर में, एस० पी० कुराल--चमोली में, गंगा राम--देहरादून में, श्री विश्वास--बिजनौर में और महेन्द्र सिंह मैनपुरी में नियुक्त थे । किन्तु तिवारी जी ने, यों तो बहुत हरिजन प्रेम व्यक्त किया है, किन्तु उनके हरिजन प्रेम की वास्तविकता इस बात से प्रकट होती है कि जैसे ही बहुगुणा जी गए, उनकी सफाई पर इनकी कलम चली । इनकी कलम से श्री अनन्त राम (गाजीपुर), करनैल सिंह (मिर्जापुर), एस० पी० कुरील (चमोली), एस० डी० बागला (मथुरा) आदि साफ हो गये और ये १५ से घटकर ८ रह गए । अभी भी सफाई का काम पूरा नहीं हुआ और डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बहुत बड़े शिष्य माननीय यादव जी ने भी सफाई अभियान जारी रखा । मैं सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि केवल ३ हफ्तों में उक्त ८ में से ३ जिलाधीशों को सर्वश्री माता प्रसाद (आगरा), मोहर सिंह (देवरिया) और विश्वास (वाराणसी) को यादव जी ने साफ कर दिया है । अब मात्र केवल ५ जिलाधीश सर्वश्री देवी दयाल (मुजफ्फरनगर), राम कृष्ण (झांसी), अजीत दास (वाराणसी), शम्भू नाथ (फतेहपुर) और पुनिया (देवरिया) शेष रह गए । तो १५ से घटाकर जिलाधीश ५ कर दिए गए हैं, देखना है कि अब इन शेष का नम्बर कब आता है । इस प्रकार से अब हरिजन वर्ग से प्रेम व्यक्त किया जा रहा है ।

इसके अलावा और मिसाल देना चाहता हूं इनके हरिजन प्रम की, बहुगुणा जी के जमाने में १२ एस० एस० पी० थे, जिनमें से २ एस० एस० पी० सर्वश्री श्याम लाल और नत्थू लाल क्रमशः इलाहाबाद और मेरठ में एस० एस० पी० थे शेष जंगी सिंह, फतेहपुर में, चमन लाल, एटा में, जी० एल० वर्मा, आजमगढ़ में, जो बाद में गोंडा गए, एस० आर० अरुण, शाहजहांपुर में, वी० के० सिंह, बहराइच में, आर० एस० पुष्कर, एटा में, आर० पी० सरोज, बस्ती में, एम० डी० मौर्य, ललितपुर में, एम० के० राव, बांदा में और सी० डी० कैन्थ, जौनपुर में नियुक्त थे। इन १२ पुलिस अधीक्षकों में से तिवारी जी ने एक कलम से ७ पुलिस अधीक्षकों को साफ कर दिया। इन साफ होने वालों में सर्वश्री जंगी सिंह (बिजनौर), आर० एम० पुष्कर (एटा), बी० के० सिंह (बहराइच), जी० एल० वर्मा (सुल्तानपुर), आर० पी० सरोज (पीलीभीत), एम० के० राजू (बांदा) और एम० डी० मौर्य (ललितपुर) हैं। तो अब ये १२ में से ७ हटाकर ५ कर दिए गये हैं। यह सफाई अभियान यहां अभी और आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहां के वर्तमान गृह सचिव बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं तथा न्याय पसंद व्यक्ति हैं।

इसके अलावा बहुगुणा जी के जमाने में ४ ए०डी०एम० (ई०) थे, उनमें से तिवारी जी ने दो को साफ कर दिया और यही नहीं, उसके बाद यादव जी ने उनमें से एक और साफ कर दिया। आगे हमें देखना है कि यह एक भी कब तक बचता है। यह सफाई अभियान हरिजनों तक ही सीमित नही रहा, अल्पसंख्यक भाइयों पर भी वह चला। स्थिति बड़ी शोचनीय है कि ११ कमिश्नरों में से २ हरिजन हैं और पिछड़ी जाति के और मुसलमान हैं, ३० डी० आई० जी० में एक भी इन वर्गों का नहीं है, ११ रेंज डी० आई० जी० में भी एक भी इन वर्गों से नहीं है। ५६ डी० एम० में केवल ५ हरिजन, ३ मुस्लिम और पिछड़ी जाति के शून्य हैं। एस० पी० में केवल ५ हरिजन हैं और सी० ओ० (सिटी) और सिटी मैजिस्ट्रेट्स में से एक भी हरिजन, मुस्लिम या पिक्षड़ी जाति का नहीं है। इसी प्रकार से जो डाक्टर और इंजीनियर कहीं हरिजन आदि वर्ग के होते हैं, तो उनको खराब से खराब जगह पोस्टिंग दी जाती है। इससे पता चलता है कि कितनी बुरी तरह से हरिजनों की, अल्प संख्यकों की उपेक्षा की गई और वह अभी जारी है। जनता में कहा जाता है कि हमें रिजरवेशन के नाम पर बहुत कुछ मिल गया। लेकिन यह १८ परसेन्ट हमारे सामने कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा फेंक देने के समान ही बनकर रह गया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप इस मांस के टुकड़े को वापस ले लें ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं को खास कर हजार-हजार बीघे के फार्मों को समाप्त करके हरिजनों को झोपड़ी बनाने की जगह और खेती के लिए एक-एक बीघा जमीन दे दें। क्योंकि इस आरक्षण की बड़ी दुर्दशा रही है। प्रथम श्रेणी में केवल २.५ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में ४ प्रतिशत, तृतीय श्रेणी में १० प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में, जिसमें स्वीपर्स आदि सफाई कर्मचारी शामिल हैं, १३ प्रतिशत आरक्षण की ही अब तक पूर्ति हो सकी है। यही हालत यहां पर सचिवालय में सेक्रेटरी और कमिश्नर की भी है, जो एक भी इनमें से नहीं हैं। ये तिवारी जी इस रिजरवेशन को पूरा करना और इसका पालन करना भी नहीं चाहते थे, इसी प्रकार से यहां पर सेल्स टैक्स विभाग में १५० हेड क्लर्कों को ए० एस० टी० ओ० के पद पर प्रोमोट किया गया है किन्तु माननीय सदन को जानकर दुख होगा कि इनमें से एक भी हरिजन प्रमोशन नहीं पा सका। इसी तरह ४०० डी० एस० पी० प्रमोट हुए हैं, जिनमें केवल दो हरिजन लिये गये हैं जब कि ७२ होने चाहिए।

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

मान्यवर, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। ब्योरोक्रेसी प्रशासन का एक एसा घोड़ा है, जो सवार की एड़ से समझ लेता है कि सवार अनाड़ी है या कुशल सवार है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री यादव जी से कहना चाहता हूं कि मैं यह तो नहीं कहता कि वह किस तरह के घुड़सवार हैं लेकिन जिस तरह से हरिजनों का उत्पीड़न बढ़ रहा है उनकी समस्याएं बढ़ रही है मुझ लग रहा है कि उनकी घुड़सवारी में कमी जरूर है।

श्री अध्यक्ष—

अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि हरिजनों का उत्पीड़न रोका जाय, उनकी समस्याओं को हल किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब समाप्त करें। श्री बाबू बदरे।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

यदि ऐसा न हुआ और अन्याय तथा उत्पीड़न के लिये कोई प्रभावशाली कदम न उठाये गये तो इन्हीं शब्दों के साथ समथन करूंगा कि—

न पूछो क्या गुजरती है दिले खुदार पर अक्सर,
जब किसी नामेहरवां को मेहरबां कहना ही पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

श्री बाबू बदरे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

हमारे सामने जितने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है।
यह दुनियां है, यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है।
लेकिन—गर यह कयामत का सामां लिये बैठे हैं,
तो हम भी मर मिटने का अरमां लिये बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

दर्दे दिल सोजे जिगर चाके गरीबां की कसम,
अपनी आह में तूफां लिए बैठे हैं।
गर तड़प उठे तो बदल जाये जमाने का निजाम,
गो लाख हाल हम परेशां लिए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जाइये ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

काफिले वाले संभल कर न भटक जाना कहीं,
कितने हर गाम पर शैतान लिए बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह अत्यन्त अनुचित है । समय जो दिया था उसके बाद बार-बार बुलाया तो बैठ जाना चाहिए था ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा कर दीजिये । लड़का है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे मौका दिया । काफी लोगों की बात हाउस में सुनी और खास कर के हमारे कांग्रेस के जो भाई हैं, और विपक्ष में काम कर रहे हैं । लेकिन असलियत से बहुत दूर जा कर कुछ बातें कहीं गयी । जैसे महंगाई की बात रखी गयी । आजादी के बाद इस मुल्क में तरक्की भी हुई और इस मुल्क में महंगाई भी बढ़ी । अगर मैं यह कहूं कि देश को आजाद होने के बाद अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद जो कीमतें थीं, उन कीमतों को आप कहां पर छोड़ करके हटे । महंगाई के लिए सारी जिम्मेदारी आप की ही है ।

अध्यक्ष महोदय, पांच सेर का गेहूं बिकता था, जब देश हमारा आजाद हुआ है । जब इनके हाथ से शासन गया है, तो एक रुपया किलो गेहूं बिकता था । ये सारी चीजें इस वक्त नहीं करनी चाहिए । दरअसल इस वक्त मौका ऐसा है, एक बिगड़ी हुई व्यवस्था थी आपके कारनामों की वजह से, आपकी ज्यादतियों की वजह से, आपकी आपसी गुटबंदियों की वजह से जनता पीड़ित हो रही थी और जनता का शोषण हो रहा था । इमरजेंसी में आपने जो कुछ किया और जिन अधिकारियों ने आपके इशारे पर काम नहीं किया उनको सजाएं मिलीं । अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूं माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा को कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली से बुलाया था । उस समय बुलाया था जबकि पी० ए० सी० और पुलिस की बगावत हो चुकी थी । बिजली का अंधेरा था । उन्होंने अगर इस प्रदेश को संभाला उन हालात को ठीक किया, जो बिगड़ गयी थीं क्या खराबी हो गयी जो आपने हटा दिया ? यह आपके और आपके नेताओं और उनके वली अहद के कुकर्मों का नतीजा है । उसकी सजा मिली है कि (व्यवधान) आप खामोशी से बैठिए । सुनिए, जरा । थोड़े से लोग आप जीत कर आ गये हैं । उनमें से एक आध डाक्टर लोहिया का नाम लेने वाले हैं । माननीय नेता विरोधी दल भी डाक्टर लोहिया की दुहाई दे रहे थे । डाक्टर लोहिया की नीतियों पर अमल पहले से क्यों नहीं किया ? कांग्रेस के अन्दर आज मुसीबत आयी तो डाक्टर लोहिया की दुहाई दी जाती है । आपने नम्बर २ की बातों का जिक्र किया, तो मैं आप से पूंछना चाहता हूं कि यह किसने चलाया । क्या जनता पार्टी ने चलाया ? आज आप देखें कि शासन में, जो अच्छे कर्मचारी हैं, उनको दुश्मनी

[श्री बाब बदरे]

के बिना पर निकाल कर फेंक दिया गया है और अब वही लोग जनता पार्टी की सरकार में भी लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों पर कड़ाई से ध्यान रखें । अगर कड़ाई नहीं बरती तो जितने वायदे जनता पार्टी ने किये हैं उनमें से एक भी नहीं पूरा हो पायेगा ।

कानपुर में मजदूरों को वेतन नहीं दिया जाता है । जैपुरिया जो माननीय तिवारी जी के साथी हैं । जैपुरिया की स्वदेशी काटन मिल में मजदूरों को ४ महीने की तनख्वाहें नहीं मिली । इस समय तो आपको चाहिए था कि जब बोलने के लिए खड़े हुए थे, तो इस सदन से प्रार्थना करते और भगवान से प्रार्थना करते कि वह हमें अब सद्बुद्धि दे । वह पूछ रहे थे कि लाइसेन्स किसने दिए, लाइसेंस तो आपने दिए और सवाल कर रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि लाइसेन्स किसने दिए । जो होम्योपैथक और एलोपैथिक लड़कों का झगड़ा है, यह कौन करा रहा है अब आप बड़े हम दर्द हो गये । अगर आप उनके जीवन को बनाने की योजना छोड़ गये होते, तो जरूर पूछ सकते थे कि उस योजना का क्या हुआ ? तब आप जनता पार्टी की सरकार से कहते कि उस योजना का क्या हुआ जो हम छोड़ आये थे, उसको पूरा कीजिए । कानपुर में अनेक मिलें बन्द पड़ी हुई हैं । अगर आप यह चाहते हैं कि स्थिति में सुधार आवे, तो सहयोग की भावना पैदा कीजिए । आप थोड़े हैं, हम ज्यादा हैं अगर हम जोर से बोल देंगे, तो आप चले जायेंगे । आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके । तो मेरा निवेदन है कि आप अच्छे-अच्छे सुझाव दीजिये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शासन के कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उर्दू का जिक्र किया गया है । जब नारायण दत्त जी तिवारी मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब मैं शासन में आऊंगा, तो इसको दूसरी जबान बना दूंगा । किसी भी देश में दो जुबानें नहीं हो सकती हैं । सन् १९४७ के बाद जो उर्दू की व्यवस्था छोड़ी थी उसको बहाल कर दिया जाये ।

उर्दू माध्यम को मान्यता दी जाय । कांग्रेस के लोग हमेशा यह कहते रहे हैं कि उर्दू के सवाल पर हम यह करेंगे, वह करेंगे उर्दू की मांग करने वाले लोग जो हैं, उनको बुलाकर समझाते रहे हैं कि उर्दू के मामले में हमारा मैनिफैस्टो यह है । हमारे कांग्रेसी भाइयों ने जो नसबन्दी का कुकर्म किया उसकी सजा उन्हें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में मिली है और अब नगर महापालिकाओं, और नगर पालिकाओं में भी मिलने वाली है । अब मुझे एक शेर याद आ रही है जो इस प्रकार है :

तुम जफा करके भी चलते हो अदा व नाज से ।
हम वफा करके भी रहते हैं पशेमानी के साथ ।।

आप यहां पर गलती करते रहे, हमने बर्दाश्त की, लेकिन जनता ने आपको बर्दाश्त नहीं किया ।

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय नेता विरोधी दल का संशोधन प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता से बहुत बड़े-बड़े वायदे किये थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने ही कार्यकाल में जनता पार्टी की सरकार की साख बढ़नी चाहिये थी लेकिन वह बढ़ने के बजाय गिरी है और जनता को जो आशायें बधी थी, वे कुछ धूमिल हो गई हैं। मैं अपने क्षेत्र की ही बाबत कहना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि शायद प्रदेश भर में, जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, उनके क्षेत्रों में भी, स्थिति ऐसी ही होगी कि गांव-गांव में आतंकवादियों का आतंक बढ़ा हुआ है और गुन्डागर्दी बढ़ी हुई है और जगह-जगह पर निर्बल वर्गों के साथ, हरिजनों के साथ, अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। (शासन पक्ष की ओर से शोर होने पर) अब आपकी हैसियत बदल गई है। इसलिये मैं अपने दोस्तों से प्रार्थना करूंगा कि आपको हमारी बातों को धैर्य से सुनना चाहिये। ज्यादा उचित होगा यदि आप नेता सदन की गरिमा को बनाये रखें।

मान्यवर, कांग्रेस की सरकार के जमाने में महाजनों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार बनने के बाद महाजन फिर अपना पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जनता पार्टी पर यह चार्ज नहीं है लेकिन यह बात निश्चित है कि सरकार के बदलने के उपरान्त उनका मनोबल कुछ बढ़ा है। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गांव के लोगों को आश्वस्त करे कि जो जगह-जगह पर ज्यादतियां हो रही हैं, वे रुकेगीं। यह सरकार का कर्तव्य है।

हमारे क्षेत्र में कुछ गांव से हमें शिकायतें मिली हैं, जिनके नाम भी हम पढ़ना उचित समझते हैं---पेंडारी, विचपरिया, कमालुद्दीनपुर, मनकापुर, रामनगर, विसावां, डफरापुर, फरीदपुर, जलालनगर, मेहदनियां। इन गांवों से शिकायतें मिली हैं कि हरिजनों की जमीनों पर दोबारा कब्जा किया गया। इस प्रकार से प्रदेश की शांति व्यवस्था गिरी है, इसमें सन्देह नहीं। माननीय सदस्य चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, यह महसूस कर रहे होंगे कि गांव में शान्ति व्यवस्था बिगड़ी है। इतना ही नहीं, परसों दो दलों में लखनऊ में संघर्ष होता है और बन्दूक के साथ मुख्य मंत्री जी के निवास पर कुछ अवांछनीय तत्व घुस जाते हैं और साथ में लाश ले जाते हैं। यह स्थिति है, लखनऊ में जहां कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी है। अगर यह स्थिति लखनऊ में माननीय मुख्य मंत्री जी के घर की है कि २० आदमी बन्दूक और पिस्तौल लेकर लाश के साथ घुस जायें और पुलिस लगी रहे, सब कलेक्टर, एस० पी० मौजूद रहें और समस्त आफिसर्स रहें और कोई रोक न सके, तो आप अन्दाज लगायें कि गांव के लोगों की क्या दशा होगी ?

मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की एक विशेष स्थिति है। २-३ महीने में ये फैक्टरियां चलने जा रही हैं। जगह-जगह पर ८-८, ५-५ महीने से मजदूरों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। उस तरफ के सदस्यों और इस ओर के सदस्यों ने भी सवाल उठाया। आज पेराई का सीजन नजदीक है। अगर चीनी मिल नहीं बनीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामरतन सिंह]

तो अगले साल किसानों की हालत बड़ी बिगड़ जायगी । दो तीन मिले हैं, एक महोली, एक बभनान और एक घुघली है । किसी में दो करोड़ रुपया, किसी में ३४ लाख बाकी है । ब्यौरा मेरे पास था, समय नहीं है कि उसको आपके समक्ष उपस्थित कर सकूं पूरे तौर से लेकिन अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक महौली मिल है । वहां करीब २५ हजार क्विंटल गन्ना खड़ा है । लेकिन उस फैक्टरी के रिपेयर का काम नहीं हो रहा है । उस पर २ करोड़ रुपया किसान, सरकार और मजदूरों का बाकी है और अगर अदायगी नहीं हुई और स्टोर के सामान का इन्तजाम नहीं हुआ, तो रिपेयर नहीं होगी और दो-तीन महीने के बाद एक विशेष स्थिति होगी कि जब हम यह सवाल उठायेंगे कि गन्ने का क्या किया जाय तो. . .

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री राम रतन सिंह—

मैं समाप्त करता हूं । आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विशेष तौर से ध्यान दे और जो-जो हमने बातें कही हैं, उनके अ : : व्यवस्था करे ।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला बांदा)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना यह है कि रामगंगा परियोजना कालागढ़ पर १९६० से काम चल रहा था । वहां पर बहुत बड़ा डैम कालागढ़, बिजनौर और गढ़वाल के दरमियान बन रहा है । जो प्रभारी कर्मचारी और आफिसर्स हैं, जितने भी अधिकारी थे जो कि रेगुलर स्टाफ के थे, उनको जगह-जगह इधर-उधर भेजने का इन्तजाम कर दिया और जो १७ करोड़ रुपये की मशीन बाहर से मंगाई थी, जिसके जरिये से वह डैम बनकर तैयार कर दिया, वह पड़ी है । वह डैम ऐसा है कि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया के अन्दर कच्ची मिट्टी से बनाया गया पहला डैम है । इसके अन्दर वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिल कर जो काम किया है, वह देखने के काबिल है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि १२ हजार मजदूर जहां काम करते थे, अब डेढ़ हजार रह गये हैं और उनको भी हटाने के लिए २४ तारीख को उनकी सेवा समाप्ति परसों की जा रही है । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह नहीं है कि जनता पार्टी ने यह किया है, लेकिन जनवरी के महीने के अन्दर श्री नारायण दत्त तिवारी जी जो पिछली सरकार के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने आदेश किया कि पिछले तमाम कामों को बन्द करने के बाद इन लोगों को हटा कर हिसाब साफ कर दिया जाय । उनसे पूछा जाय कि जिन मजदूरों ने १७ साल डैम के ऊपर काम किया और जिसमें ३ हजार कुछ मरने की संख्या है, जो सुरंग के अन्दर अपने कलेजे पर पत्थर रख कर जाते थे, उन्हें वहां के हटाया जा रहा है और ३ करोड़ की लागत से बनी हुई कालोनी को गैर आबाद किया जा रहा है क्योंकि जब कोई वर्कर ही नहीं रहेगा, तो कौन वहां रहने जायेगा, उसको ढाया जा रहा है । तो मेरा अनुरोध है, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि सरकार और विरोधी दल के नेता पर इस बात का जोर डालें कि जो कालोनी बनी हुई है, उसे आबाद करने के लिए वहां लोगों को भेजा जाय और जो ३ करोड़ की लागत से कालोनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बनी है, उसे बरबाद न किया जाय । दूसरे, १५ साल से काम करने वाले मजदूरों की सर्विसेज समाप्त की जा रही हैं । उन्होंने अभी तक हैवी अर्थमूविंग मशीनों पर काम किया है । ऐसे मजदूर दोबारा फिर नहीं मिल सकते । तो इन मशीनों को, जो १७ करोड़ की खरीदी गयी है, एक कारपोरेशन बना कर इन सारी मशीनों के स्पेयर पार्ट्स लगाने के लिये, मेजर रिपेयर्स करने के लिये वहां वर्कशाप मौजूद है, उनको रखा जाय और जहां जरूरत हो भेजा जाय । अगर इन मशीनों का उपयोग नहीं किया गया, तो हमें दोबारा ऐसे ट्रेन्ड आदमी नहीं मिल सकेंगे ।

कालागढ़ का स्टाफ साढ़े ५ हजार के लगभग है । इसे समाप्त करने की एक साजिश है । आप इन्क्वायरी करा लें । जो सिविल आफिसर्स हैं, वे जो मैकेनिकल और टैक्निकल लोग हैं, उनसे काम न करा कर ठेकेदारों से कराना चाहते हैं ताकि उनसे महीना बांध लिया जाय । मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं । एक असिस्टेन्ट इंजीनियर आर० पी० शर्मा हरिद्वारा में तैनात थे । उनको तुरन्त हटा कर देहरादून में भेजा गया । लेकिन जब चीफ इंजीनियर मनोहर सिंह को मालूम हुआ कि मुझे एक्सटेन्शन, नहीं मिला, मेरा रिटायरमेन्ट होने जा रहा है, तो उन्होंने अपने दामाद की पोस्टिंग, सिर्फ १५ दिन आये हुये, उस असिस्टेन्ट इंजीनियर को हटा कर कर दी । जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि मैं रिटायरमेन्ट पर जा रहा हूं, मैंने दामाद की पोस्टिंग कर दी, वह मेरे बच्चों की देखभाल करेगा । तो दामाद की पोस्टिंग कर दी और साले को ठेकेदार बना दिया । बहनोई की पोस्टिंग कर दी और साढ़ू को ठेकेदार बना दिया । तो मैं यह चाहूंगा कि उन १७ करोड़ से खरीदी गयी मशीनों को बचाया जाय । उनसे पक्का काम हो सकेगा । जिन डेढ़ हजार मजदूरों की २४ तारीख को सेवायें समाप्त की जा रही है, उनकी दोबारा भर्ती का इन्तजाम किया जाय । उनमें से एक हजार का तो इन्तजाम किया जा रहा है, ५०० आदमी बच गये उनकी अगर वहां खपत नहीं हो सकती, तो पी० डब्लू डी० कारपोरेशन या कहीं और भेजने का प्रबन्ध करें । मैं आभारी रहूंगा ।

*श्री सुमेर चन्द्र गोयल (जिला सहारनपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देना अपना फर्ज समझता हूं । खासतौर से इसलिये कि अभिभाषण के शुरू में ही उन्होंने १८७७ की क्रान्ति शब्द का प्रयोग किया । यह महान् क्रान्ति हुई, यह रक्तहीन क्रान्ति हुई, यह आश्चर्यजनक क्रान्ति हुई । जहां कानून का शासन खत्म हो गया हो, देश के तमाम पुलिस अधीक्षक और दरोगा भ्रष्ट कर दिये गये हों अपने फरायज को न समझ कर गलत आदेशों का पालन करते रहे । झूंठे आरोप लगा लगा कर निर्दोष लोगों को फंसाते रहे । पुलिस वाले झूठे आरोप गढ़ दिया करते थे कि फलां व्यक्ति थाने में आग लगाने को कह रहा था, फलां व्यक्ति यह कह रहा था आदि । अखबारों पर तालाबन्दी थी, सरकार के खिलाफ एक भी शब्द कोई बोल नहीं पाता था, अगर कोई कुछ कहता भी था, तो वह अखबारों में छप नहीं पाता था जजों की कलमों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । अगर कोई जज कानून के अनुसार इन्साफ करता था, सरकार के यदि वह खिलाफ होता था, तो उसकी तरक्की रोक दी जाती थी । दोस्तों, भारत में जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोट डाला गया था, उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुमेर चन्द्र गोयल]

मिसाल कहीं नहीं मिलेगी । १९४२ की क्रान्ति इससे बहुत छोटी थी । अंग्रेजों ने उतने जुल्म कभी नहीं किये थे, जितने कि जुल्म इन १९ महीनों में हुये थे । देश का गला ही घोट दिया गया था । इन्दिरा गांधी के लड़के संजय गांधी, जो न पार्लियामेन्ट के सदस्य थे, न ही विधान सभा के सदस्य थे, मगर जहां भी जाते थे मुख्य मंत्री से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी उनकी आवभगत में लगे रहते थे ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां सदन में उपस्थित नहीं है, क्या माननीय सदस्य उसका नाम ले सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप करना अनुचित है, लेकिन सरकार के लिये कहना या सरकार की किसी कार्यवाही पर टिप्पणी करना संसदीय पद्धति के अनुकूल है ।

श्री सुमेर चन्द्र गोयल—

हमने अखबारों में पढ़ा, राजस्थान में जब राजकुमार संजय गांधी पहुंचे, तो वहां बड़े-बड़े अधिकारियों ने उनकी आवभगत की, बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, वे ऊंट पर बैठे हुये थे, उनसे जब उतरने के लिये कहा गया तो वे उत्तर नहीं पा रहे थे, वहां के मुख्य मंत्री ने उनसे कहा कि वे उनके कन्धों पर रख कर उतर आयें । दोस्तों. . .

श्री अध्यक्ष—

आप 'दोस्तों' शब्द का इस्तेमाल न करें, अध्यक्ष को ही सम्बोधित करके अपनी बात कहें ।

श्री सुमेरचन्द्र गोयल—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी है कि शराब को कैसे रोका जायेगा । गांधी जी का नाम ले लेकर ३० सालों तक कांग्रेस हुकूमत करती रही, मगर गांधी जी के सिद्धांतों को उसने ताक में उठा कर रख दिया था, यह उन्हीं का शाप था कि कांग्रेस की यह हालत हुई । शराब की कितनी ही दूकानों को बढ़ाया गया है । यह बड़े ही शर्म की बात है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस आपतकाल में जिन अधिकारियों ने जुल्म ढ़ाये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिये । इसके अलावा एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो नवजवान अपनी पढ़ाई छोड़ कर लोकतन्त्र की रक्षा के लिये जेलों में गये, उनको राजनीतिक पीड़ित घोषित किया जाये और उनको सर्विस में प्राथमिकता दी जाये ।

श्री सखावत हुसैन (जिला गाजियाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्र-गुजार हूं जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो सबसे अधिक चर्चा इस सदन के अन्दर और बाहर हुई है, वह विशेषकर वर्गों का संघर्ष उभाड़ने की बात है। जब से मुल्क आजाद हुआ है, जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम की समस्याओं को उभाड़ कर सिर्फ एलेक्शन पर निगाह रहती थी, अब जनता पार्टी के बनने के बाद वह मौका नहीं रह गया है। अब सिर्फ हरिजन की समस्याओं का जो कौमी मसला है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो पूरे प्रदेश का मसला है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और खासतौर से मेरठ और छपरौली पर ही विशेषतौर से चर्चा की जाती है। मालूम होता है कि अगर छपरौली की समस्या हल हो जाय, तो सारे मुल्क की समस्या हल हो जायगी। विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस समस्या को कौमी समस्या के रूप में लें। वह वर्ग जो हजारों साल से पीड़ित रहा है, कमजोर रहा है, उसको कौन सी सुविधायें दी जा सकती हैं, इसको हम और आप मिल कर उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें।

मान्यवर, जनता पार्टी को जब यह शासन मिला है, तो प्रधान मंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी इस तरफ इशारा किया है। वे लोग जो कमजोर हैं या शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, उनकी परेशानियों को, दिक्कतों को दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न होगा, उनको काम में लाया जायगा। मान्यवर, इसकी रोजाना चर्चा रहती है, इससे मालूम होता है कि इस वर्ग विशेष को दूसरे वर्ग विशेष से टकराने का मौका मिलता है।

मुझे इसके बाद आप से यह अर्ज करना है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हिन्दी, उर्दू और संस्कृत का जिक्र आया है और कहा गया है कि जो कुछ सुविधायें दी जा सकती हैं, इनको तरक्की देने के लिए वह अवश्य दी जायेंगी। मुझे आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह कहना जरूरी है कि यह हिन्दी और उर्दू, वाद और विवाद आहिस्ता-आहिस्ता समाप्त होता जाता है कुछ कोशिशें भी हुकूमत की ऐसी है, जिससे उर्दू वालों को कुछ उम्मीदें बधती हैं। मान्यवर, यह अभिभाषण जिस हिन्दी लिपि में है, उसकी जबान पर अगर गौर किया जाय, तो थोड़ा बहुत हिन्दी हम भी लिख पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे लफ्ज उसमें आते हैं, जिन्हें न समझने की वजह से मजमून खत्म हो जाते हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को उन तहरीरों में लायें, जिसको कि हम लोग आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें।

हम लोग उसे समझने की कोशिश के बावजूद भी पूरी तरीके से कहीं-कहीं पर अल्फाजों को समझने से मजबूर हो जाते थे। मेरी गुजारिश है कि रोजाना की लिपि का प्रयोग करें। सरल भाषा के रूप में लिखें, जिसको हम लोग समझ सकें और उसको पढ़ और लिख सकें तो मैं समझता हूं कि यह विवाद अपने आप ही खत्म कर सकते हैं। ऐसा करने से जो उर्दू दां सदन के अन्दर और बाहर हैं उनका काम चल सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी यह कहकर निजात चाहती है। जैसे कांग्रेस हिन्दू मुसलमानों में विवाद पैदा करके इलेक्शन के दिनों

[श्री सखावत हुसैन]

मैं, इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों के वोट हासिल करके इन कुर्सियों पर बैठ जाती थी। उसी तरीके से हम आज आपतकालीन स्थिति का जिक्र करते हैं। मैं समझता हूं कि जो अंजाम जनता ने इनको दिया है, वह कम नहीं है और आज यह इस तरफ बैठने के बजाय उस तरफ बैठे हैं। इनको नतीजा मिल गया है। मैं एक शेर कहूंगा :—

खून फिर खून है टपकेगा तो जम जायेगा,

जुल्म फिर जुल्म है बढ़ जायगा मिट जायगा।

अगर इनमें कमजोरी न होती, तो इस शक्ल में यह कहां आने वाले थे। इन लोगों ने ही यह कराया कि बी० एल० डी०, पुरानी कांग्रेस, जनसंघ और दूसरी पार्टियां मिलकर, एक जमात बनाकर जनता पार्टी के रूप में प्रकट हुई। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि कुछ और संस्थायें जैसे आर० एस० एस० जमायते इस्लामी वगैरह जैसे जो अपने को कल्चरल आर्गनाइजेशन्स कहती हैं अगर इनमें समता और एका हो जाय तो बहुत अच्छा हो। जमायते इस्लामी के जो मदरसे हैं और आर० एस० एस० के जो सरस्वती शिशु मंदिर या पाठशालायें हैं, जिनके बारे में पता चला है कि वह इनमें इजाफा करते चले जा रहे हैं, तो अगर इनमें एका हो जाय और यह मिलजुल कर इन कल्चरल ऐसोशियेशन का एक नाम रख लें, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही कल्याणकारी कदम होगा।

इसके अलावा मेरी एक गुजारिश और है कि समाज के किसी एक विशेष वर्ग के लिये एड न दें, एड के लिये आयें तो मना करें ताकि एका न पैदा होने वाले तमाम जमातों का खात्मा हो जाय और हमारी नेशनल इंटेग्रिटी के लिये खतरे न पैदा हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष जी आज राज्यपाल के भाषण पर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जबसे जनता पार्टी को दिल्ली और लखनऊ में हुकूमत आयी है तब से आज तक अगर आप देखें, तो आये दिन हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं आज जिनके ऊपर हरिजनों का और इस प्रदेश का सबसे बड़ा दायित्व है, मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं उनको सुनकर बड़ा दुख हुआ। एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर श्री मोरार जी देसाई की चिट्ठी का विवरण यहां पर पढ़कर नहीं सुनाया कि उन्होंने हरिजनों के बचाव के लिये क्या-क्या लिख कर भेजा है और उनके लिये क्या किया जा रहा है।

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। राज्यपाल के अभिभाषण पर जो व्यक्ति एक बार बोल चुका है, उसको दूसरी बार अवसर मिल सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

माननीय सदस्य भूल गये हैं। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर पहली बार भाषण दे रहा हूं और समालोचना करने के लिय खड़ा हुआ हूं। आपको कष्ट क्यों हो रहा है ? आप भी उन्हीं अत्याचारियों में है।

यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग से चुने हुये प्रतिनिधि आये हैं, उनका मोती महल में जो कांड हरिजनों के साथ हुआ, उसको भी सुनें। श्री रामधन जो हरिजन हैं, जो चमार हैं, उनको नाना प्रकार की गालियां मोती महल में दी गयीं। चुनाव के समय में क्या यही सभ्यता है। हम हरिजनों की बात करते हैं, तो आप लोगों के कलेजे पर छुरी लगती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठें।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, बहुत अप्रिय बातें उधर से भी कही जाती हैं तो इधर सुनी जाती हैं। इसलिये आप भी सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप शान्त रहें। यदि विरोध पक्ष की बात कटु भी हो तो भी सुनें।

एक सदस्य—

व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। यदि कोई आपत्तिजनक बात हो तो उसको प्वाइंट आउट किया जा सकता है। आप बैठें।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

मान्यवर, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को जो मैं कह रहा हूं वह चुभ रही है। मान्यवर, ९२ आदमी हरिजन यहां चुन कर आये हैं। ७२ आदमी आपके दल में हैं और बाकी इधर हैं। अभी राज्य सभा के मेम्बरों को चुना गया है। लेकिन ५ में से कोई भी हरिजन नहीं चुना गया है। तो यह हरिजनों के साथ कितना अन्याय है। यदि न ज्यादा चुनते, तो एक ही चुनते। क्या यहां पढ़े लिखे लोग नहीं थे ? इसलिये पूंजीपतियों को चुनकर आपने साबित किया कि समाजवाद की ओर नहीं जा रहे हैं बल्कि पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आपके दल में ७२ आदमी बैठे हैं। जो हरिजन भाई हैं, मुख्य मंत्री ने कहा था कि १० पर एक मिनिस्टर लेंगे लेकिन ५ आपने लिये। इस प्रकार अभी २ बाकी थे, तो उनको भी पूरा नहीं किया। इसलिये हरिजनों के साथ क्या यह जुल्म नहीं कर रहे हैं ? उनके हक या अधिकार से वंचित नहीं कर रहे हैं।

[श्री गंगा प्रसाद]

मान्यवर, तीसरी चीज मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपकी पार्टी के अन्दर हिम्मत है और हरिजनों का भला चाहते हैं, तो दो बातें करके दिखायें एक तो १५ दिन के अन्दर प्रान्त में कहां-कहां हरिजनों के साथ घटनायें हुई ह, उसको एक रिपोर्ट तैयार करके, हर मेम्बर को दें और दूसरे जो कार्यवाही मुख्य मंत्री जी करवायें, उसका पूरा विवरण यहां दें । मान्यवर, देहातों में हरिजनों के साथ बहुत अत्याचार हुये हैं इसलिये यह रिपोर्ट यदि दे देंगे तो बड़ी खुशी होगी ।

मान्यवर, खेतिहर मजदूरों के बारे में हर गांव सभा से एक रजिस्टर तैयार करवायें कि मजदूरों को रोज कितनी मजदूरी दी जा रही है, कितनी मजदूरी महीनेवार दी जा रही है । इसकी रिपोर्ट भी सरकार प्रकाशित करवाये कि वहां पूरी मजदूरी दी जा रही है कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस गांव में हरिजनों को भूमि दी गयी है, उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है । उनसे उस जमीन को निकाल कर हरिजनों को दिलाया जाय ।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है । लाल बत्ती जल गयी और वह बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । सभी को मौका मिलेगा ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)--

महाजनों के ऋण का एक ब्योरा तैयार करवाया जाय कि कितना कर्जा माफ किया, कितना वसूल किया और कितने नये प्रोनोट लिखाये गये ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें सरकार की जो नीति है उसका दिग्दर्शन करवाया गया है । इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हरिजन कमजोर और इसी प्रकार के दुर्बल वर्ग के लोगों को सभी प्रकार की राहत दी जायगी, उनको संरक्षण मिलेगा और यदि कोई उन पर अत्याचार करेगा, तो उसे बर्दाश्त न करके सामूहिक जुर्माना तक किया जायगा । अभी मेरे विपक्ष के एक साथी ने कुछ बातें तोड़-मरोड़ कर पेश की जिनसे मैं सहमत नहीं हूं । मैं आगरे से विधायक हूं । मेरे यहां से ३ कांग्रेस के विधायक आये हैं । मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, जो सदन के लिए नई चीज होगी । यदि अछूत गलती करते हैं, तो उनके लिए भी कोई प्राविधान होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए । मेरे यहां अछूतों ने अफवाह फैलायी कि बाबा अम्बेदकर की मूर्ति को उसके स्थान से हटा दिया गया है

लेकिन जब जिलाधीश ने जांच की तो वह मूर्ति वहीं पर थी। इस तरह दूसरा उदाहरण है ग्राम मुडिया पूरा का। एक ब्राह्मण ने अपने निजी चक मे एक कुंआ बना रखा है। वह सवर्णों का कुआ है। लेकिन आपात् काल में हरिजनों ने उससे पानी भरना शुरू किया। चूंकि वह कुआ उस ब्राह्मण के निजी चक में था इसलिए उसने सवर्ण और अछूत दोनों को ही पानी भरने से बन्द कर दिया। सवर्ण जाति के लोग बन्द हो गये पर अछूत लोगों ने इस पर एतराज उठाया और जब वहां यह पंच फैसला कर दिया गया कि कोई भी उस कुएं से पानी नहीं भरेगा, तो अछूतों ने सवर्ण जाति के कुओं में पाखाना डाल दिया। यह बड़े शर्म की बात है। जातीय झगड़ा पैदा किया गया। इसके अतिरिक्त मेरी तहसील किरावली की मनेके के पूरा में अछूतों के यहां चोरी हुई और वे अछूत जान-बूझ कर अमर सिंह और जगन सिंह को थाने में लिखा आये; ताकि वे पकड़े जायं। जब जांच करायी गयी तो अमर सिंह और जगन सिंह बिल्कुल निर्दोष पाये गये। इसी प्रकार ओलेडा गांव है, वहां आग लग गयी। वह ऐसा क्षेत्र है जहां अकसर आग लगा करती है।

(लाल बत्ती जलने पर)

अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। दुर्भाग्य यह हुआ कि इस वर्ष जो आग लगी वह अछूतों के यहां लगी। वहां पर एक ब्राह्मण ने आग जुलाई थी। दूसरे दिन आंधी चलने के कारण कोई चिनगारी अछूतों के यहां चली गयी होगी और इस कारण उनके वहां आग लग गयी। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि इस प्रकार आंधी से उनकी छान उड़ जाय बाढ़ से उनकी भैंस मर जाय और कुदरत से उनकी मौत हो जाय और कुछ इस प्रकार का कारण हो जाय, तो कांग्रेस के लोग उनको बहका कर झगड़ा पैदा कराते हैं, जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए। इस प्रकार अछूतों का उद्धार नहीं होगा। हम और आपको मिल कर सोचना है कि किस प्रकार उनकी उन्नति हो। हम उनकी समस्याओं को सुलझाकर उनको राहत दे सकते हैं। इस प्रकार के झगड़े पैदा करके द्वेष भावना पैदा नहीं करनी चाहिए। सब लोगों को इसे समझना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब मैं खतेना की बात करता हूं। वहां पर बहुसंख्यक हरिजन हैं और अल्पसंख्यक ठाकुर और मुसलमान हैं। हरिजन का एक लड़का मर गया और उन्होंने उसे जबरदस्ती ठाकुर के खेत में गाड़ दिया। जब ठाकुर ने मना किया तो उसे जबरदस्ती अपने मुहल्ले में खींच ले गये और बहुत बुरी तरह पीटा। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और कहा कि यह हरिजनों का मामला है। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि हरिजनों का मामला है, तो हरिजनों की बस्ती में जो दूसरे अल्पसंख्यक है उन्हें रहने ही नहीं देंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हरिजन गलती पर हो तो उनको गलती समझे और सवर्ण गलती पर हों तो उनको संभालें। तभी हम सब लोग समाज की भलाई कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सारे विधायक बन्धुओ...

श्री अध्यक्ष--

रेवती रमण जी यह सार्वजनिक सभा नहीं है।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

यह मेरा पहला अवसर है। सुनिये। भारत मां के सपूतों। आज मै आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूं जब मैं यहां पहली बार आया हूं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा अभी विरोधी पक्ष के साथियों ने कहा है। जैसी करनी वसी भरनी। आपने जो कुछ इन दो वर्षों में किया है उसका फल आपको जनता जनार्दन ने दिया है और आप उधर बैठे हैं। मेरे साथियों प्रायश्चित करो, चिन्तन करो और देश के निर्माण में साथ दो।

दूसरी बात यह कहता हूं अपने जनता पार्टी के नेताओं से आप अभी इन कुर्सियों पर नये आये हैं और जनता आपसे बहुत कुछ चाहती है लेकिन उसे अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मैं कानपुर नगर क्षेत्र से आया हूं और व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। सेल्स टैक्स उनके लिये विभीषिका बन गया है। सेल्स टैक्स के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की जाय। एक समिति बनाई जाय जिसमें सभी नगरपालिकाओं से व्यवसायिक प्रतिनिधि लिया जाय साथ ही यदि मेरी भी आवश्यकता हो तो लिया जाय और वह यह सिफारिश करे कि कैसे सेल्स टैक्स समाप्त किया जायगा।

दूसरा चरण यह है कि जब तक सेल्स टैक्स समाप्त न हो जाय तब तक उसे सरल किया जाय। सरलीकरण को प्रभावी बनाने का तरीका यह है कि अब तक २५ हजार रुपये तक व्यापार करने वाले व्यापारी पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ५० हजार रुपये तक बिक्री करने वाले व्यापारी को सेल्स टैक्स से मुक्त कर दे।

तीसरे रिटर्न भरने के लिये यह व्यवस्था की जाय कि एक लाख रुपये सलाना का टर्न ओवर जिनका हो उसके आय-व्ययक को प्रोब न किया जाय। ३१ तथा ३२ नम्बर के फार्म परेशान करने वाले हैं, उन्हें पूर्णतया समाप्त कर दिया जाय। इस अभिशाप का जन्म ४७ में हुआ। नशाबन्दी को समाप्त करने के लिये सेल्स टैक्स के नाम पर एक पैसे का टैक्स लगाया गया था लेकिन दुर्भाग्य से सेल्स टैक्स भी मौजूद है, नशाबन्दी भी मौजूद है। फिर सेल्स टैक्स भ्रष्टाचार से सराबोर है और इस भष्टाचार को समाप्त करने के लिये जनता सरकार को इसे समूल नष्ट कर देना चाहिये।

इसी तरह से १० पैसे का टैक्स बंगला देश के नाम पर लगाया गया था। बंगला देश की समस्या समाप्त हो गयी, लेकिन हमारे प्रदेश में यह १० पैसे का टैक्स आज भी लगा हुआ है जब कि यह भारतवर्ष के और किसी प्रदेश में नहीं है इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

एक सुझाव और है। नारायण मेरा मंत्र है मैं उसी दरिद्र नारायण के नाम पर कहता हूं कानपुर नगर में ८०० होते हैं और ३० साल से जो मेरे उधर के साथी इन कुर्सियों पर बैठे हुए थे, उनकी ये देन हैं। बिना रोशनी, पानी तथा सफाई के वहां लोग बिलबिलाते रहते है। कहते हैं कि कानून के अन्तर्गत वे प्राइवेट हैं। लेकिन कानून हम बनाते है जनता जनार्दन की सेवा के लिए और कोई कानून हमें रोटी, रोजी व पानी नहीं दे सकता तो उसे परिवर्तन करना होगा। स्वायत्त शासन मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इसे नोट कर लें।

चौथे मुझे यह कहना है कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक एवं जनसंघ का ३२ वर्ष से कार्यकर्त्ता हूं यह मेरा पुनीत कर्त्तव्य है जनता सरकार से कहूं कि नशाबन्दी

पूर्णरूप से किया जाय । नशाबन्दी न होने से व्यभिचार तथा खूरेजी को जन्म मिलता है । हर एक को दौलत की चाह होती है । दौलत से वह अपनी अभिलाषाओं को पूरा करता है । अभिलाषाओं में सबसे बड़ी अभिलाषा होती है नशा करना, व्यभिचार करना । २० महीने में जो इससे भयानक मूर्त रूप धारण कर लिया है उसके स्वरूप के प्रतिबिम्ब को आपने देखा है, मैं नाम नहीं लेता, आज हमको इसे समाप्त करना है । गांधी जी का नाम लेकर चलने वाली हमारी जनता पार्टी श्री जय प्रकाश नारायण का नाम लेकर चलने वाली हमारी जनता पार्टी है । इसको समग्र क्रान्ति लाना है, तो नशे को समाप्त करना होगा . . .

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप समाप्त करें ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

नशाबन्दी पूरी तरह से लागू करनी होगी । नारायण, नारायण, नारायण । इस प्रकार मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

श्री मन्नू राम—

मान्यवर, हमारे बहुत से साथियों ने हर पहलू पर विचार किया है । मान्यवर मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है । मैं अभिभाषण के पृष्ठ ४ और ५ पर अंकित—सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किसी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करेगी । अन्य कमजोर वर्गों से लेकर हरिजनों और निर्बल व्यक्तियों के लिए आवास स्थल व पेयजल तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जायेगा व उनमें गति लाई जायेगी । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना है । मान्यवर, बहुत से साथियों ने अपनी बात बताई मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की गुजर गई है, आज हमारे भाई गंगाजी को भ्रम हो गया है । उन्होंने नाम लिया रामधन जी का, लेकिन वे उस दिन को भूल गए हैं, जब उनकी सरकार ने ही उनको पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया । उस दिन वह कहां थे । यही नहीं ऐसी वारदातें हुई हैं । मान्यवर, कांग्रेस के जमाने में आपको दुख होगा । गरीबों और हरिजनों की हालत यह है कि उनके लिए जो योजनायें थीं वह कार्यान्वित नहीं हुईं । मैं अपने क्षेत्र की बात बतलाता हूं । बलिया की रसड़ा तहसील की बात बताना चाहता हूं । वहां आज भी लोग सूखी पत्तियां खोट कर खाते हैं । उनकी बड़ी ही दुर्दशा है । आप वहां चल कर देखें, तो आपको पता चलेगा । मैं गंगा भाई से निवेदन करूंगा कि वहां चल कर देखें गरीबों की वहां क्या हालत है । लोक सभा चुनाव के बाद जब इन्होंने देखा कि इन हरिजनों ने इनको बुरी तरह से ठुकरा दिया है, तो वे तरह-तरह की गलत खबरें अखबारों में छापने लगे और उनको तरह-तरह से बहकाने लगे । हरिजनों की जो आज बिगड़ी हुई दशा है, उसके लिए ये ही दोषी हैं और इनके साथ बैठने वाले कम्युनिस्ट भी दोषी हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन पिछड़े हुए इलाके रसड़ा तहसील की ओर ले जाना चाहता हूं । यह उत्तर प्रदेश के सब से पिछड़े हुए जिलों में से है । आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट और दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री मन्नू राम—

मान्यवर, यहां के उत्थान के लिए जो प्रपोजल बनाए गए, वे जहां के तहां लटके पड़े हैं। यह इलाका ऊसर है जिसके लिए पानी की बहुत जरूरत है। इसके लिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र के लिए विशेष निगाह डालें ताकि यह आगे बढ़ सके। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुए धन्यवाद प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

(श्री मंजूर अहमद का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं सुबह से बैठा हूं भूखा, प्यासा, खाना भी नहीं खाया है।

श्री अध्यक्ष—

आपका नम्बर भी आयेगा।

*श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

बार-बार खड़े होने के बाद मान्यवर, आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मुझे मुबारकबाद न दीजिए।

एक सदस्य—

राज्यपाल को मुबारकबाद दीजिए।

श्री मंजूर अहमद—

मैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन पेश किया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक माननीय सदस्य उधर से कह रहे थे कि राज्यपाल को मुबारकबाद दिया जाए, किन्तु यह तो इस प्रदेश के माननीय जनता के लोग और सामने बैठने वाले भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए या नहीं। मगर कुछ मजबूरियां हैं, उनके कारण वह अपने मन की बात बाहर तो कहते हैं, लेकिन यहां नहीं कह पाते हैं। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने हरिजनों की समस्याओं की कुछ चर्चा की है और शुबह से मैं सुन रहा हूं इधर और उधर दोनों ओर के सदस्यों से और एक माननीय सदस्य गढ़मुतेश्वर के कह रहे थे कि यह समस्या तो उभाड़ी जा रही है। मैं कहता हूं कि कोई इधर का भी सदस्य कोई ऐसी समस्या को, जो समस्या नहीं है उभाड़ना चाहता है। तो वह मुनासिब नहीं है। मगर जो सच्चाई है, उसे आप भी जानते हैं और हमारे शासक दल के सदस्य और प्रदेश व देश की जनता भी जानती है। लेकिन कुछ मजबूरियां है। यह आज का कोढ़ नहीं है, जो हमारे देश और प्रदेश में चल रहा है। किन्तु मुझे बड़ा अफसोस है कि इस बारे में इसका कोई विस्तार से हल राज्यपाल जी ने अपने भाषण में नहीं बतलाया है न इसके लिए कोई योजना ही प्रस्तुत की है। यह एक बुनियादी और ठोस कार्य था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी एक साथी मुझसे कह रहे थे कि उधर से इधर हम आ गए, असली बात यह है कि हम तो जन्म से विरोधी हैं। कुछ दिनों के लिए अवश्य शासन में चले गए थ। किन्तु हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, जो पहले इधर भी मंत्री थे और अब उधर भी मंत्री बनकर बठे हैं। इसलिए आप अपने बारे में कहें, दूसरे के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। डाक्टर लोहिया का ६० सैकड़ा का सिद्धान्त आप ६० सैकड़ा महिलाओं की बात भूल गए। आप दाम-नीति, भाषा-नीति और मजदूर नीति सब भूल गए। जो अनुत्पादक जमीन है, उनका लगान न लिया जाए और समान शिक्षा हो, वह भी सब आप कुर्सी पर आने के बाद भूल गए। मान्यवर, सबेरे आपने भी रोका और कहा कि मुन सिब नही है, किन्तु क्या वास्तव में लाठीचार्ज नहीं हुआ छात्रों, लड़कों और लड़कियों पर ? यह सही है और यह भी सही है कि पूरे प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। यह भी दो राय नहीं है कि शासन में एक घटक नहीं है, अलग-अलग कई घटक हैं। कुछ ऐसे मंत्री बना दिए गए हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र का भी तजुर्बा नहीं है।

खैर यह तो आपके दल की बात हुई और दल की ही नहीं चौधरी चरण सिंह की बात है जोकि जांच मंत्री हैं और जिन्हें भारत के लोग गृह मंत्री कहते हैं। उन्हें तो बस एक ही बात याद है कि किस-किस के बारे में जांच कराई जाए। ठीक है, इससे रिटायर्ड जजों को उन्होंने रोजगार दिया। मान्यवर, आपको मालूम है। स्वयं भुक्तभोगी हैं। माननीय भूतपूर्व मंत्री, चन्द्रभानु गुप्त बड़ौत में गए, नाक तोड़ दी गई। छपरौली में बोलने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

बैठिए।

एक सदस्य—

जो बात कह रहे हैं यह गलत आरोप लगा रहे हैं। इनको रोका जाय। मान्यवर, ये गलतबयानी कर रहे हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह सरासर गलत है। जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम लेकर सदन में बातें कही जायं यह संसदीय प्रणाली के खिलाफ बात है। चौधरी चरण सिंह जी सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम लेकर कह रहे हैं। यह बात अपने आप में गलत है।

श्री मन्जूर अहमद—

आपने न मालूम कितनी बार उन लोगों का नाम लिया जो यहां नहीं हैं। वह तो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे। सुनो सब्र के साथ। जमहूरियत तब चल पायेगी। जमहूरियत का यह मतलब नहीं है कि आप जो मरजी आए कहें। दूसरे जब बोलें तो सुनें नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए। आप उनको ज्यादा समय दे रहे हैं, बात बढ़ा कर। अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं आपके द्वारा सरकार को बतलाना चाहता हूं जब जांच गठित हो सकता है, सुन्दर सिंह के बारे में, अब श्री सुन्दर सिंह लिखा जाने लगा है। मान्यवर, हर जिले में आपके जिले में इमर्जेन्सी में और इमर्जेन्सी के बाद कितने लोग गोली के शिकार हुए होंगें, मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, देवरिया, बलिया में अगर आयोग गठित हो जितने लोग मारे गए हैं, सब के बारे में हो। मगर सुन्दर सिंह, जिसने हजारों बहनों का सुहाग लूटा। (व्यवधान)

मैं आपसे कह रहा था कि उर्दू का जिक्र, जो इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले किया करते हैं, उर्दू का एक जुल्लाब है, मेरी समझ में नहीं आता कि कौन नया काम यह सरकार करने जा रही है। जो पिछली सरकार ने उर्दू के लिए कदम उठाय हैं, उसी को कायम रखें, जो पिछली सरकार ने किया था, जिसको आप गलत सरकार साबित कर रहे है और कर दिया है। उसी सरकार ने जो हरिजनों को जो जमीनें दी हैं, उन पर कब्जा किया जा रहा है। मैं १६ तारीख की घटना बता रहा हूं। सांधन गांव में हरवल हरिजन को गड़ासों से काट दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री मन्जूर अहमद—

दो मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं।

(एक सदस्य के बीच में बोलने पर)।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप समय नष्ट करते हैं सदन का, आप बैठ जाइये। मंजूर साहब आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ पूरे प्रदेश में बागपत तहसील में आयोग का गठन कर दीजिए। गैर जाति कोई वोट नहीं डाल पाता। यह बात गलत हो, तो हमको सजा मिल जाय। आयोग गठित करके एक को और रोजगार दे दें, तो पता चलेगा कि गैर जाति, कोई भी हो, हरिजन ही नहीं कोई वोट नहीं डाल पाता, न बनिया, न ब्राह्मण कोई डाल ही नहीं पाता। यह सिर्फ जाति बिरादरी, जिसकी मरजी आये वोट डालता है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मंजूर अहमद—

२ मिनट दिए थे, एक मिनट हुआ। मान्यवर, आज समाचार पत्रों म निकलता है कि माथुर साहब ने इस्तीफा दिया। लेकिन इस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिए।

श्री मन्जूर अहमद—

सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है और सब बातें करती है। आप अपने बारे में स्वयं सोचें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मन्जूर अहमद—

राज्यपाल का अभिभाषण ऐसा है जैसा कि चौधरी चरण सिंह के क्लर्क ने उसे लिखा हो और मैं इसको फाड़ रहा हूं।

(श्री मन्जूर अहमद ने राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ कर फ्लोर पर फेंक दिया।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आपका यह आचरण अत्यन्त अनुचित है। सदन का अपमान है। मैं आपको चेतावनी देता हूं। (सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्य से) इतनी तो आप समझ रखें जब मैं खड़ा हुआ हूं, तो आप बैठें, कम से कम आपको तो नहीं खड़ा होना चाहिए। (श्री मन्जूर अहमद से) आपका यह कार्य सदन की मर्यादा के विरुद्ध है और मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप भविष्य में इस तरह का आचरण न करें।

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, इसके पहले कि मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलूं मैं आपका ध्यान अभी जो माननीय सदस्य ने जो कार्यवाही यहां पर की है उसके सिलसिले में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप इसका जिक्र न करें। इसकी भर्त्सना मैं कर चुका हूं।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जो जो विरोधी दल के नेता हैं का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब उनकी सरकार थी, तो यहां पर एक कांड हुआ था, लखनऊ जैसे शहर में वह कांड घटित हुआ था एक १९ वर्ष का बालक जो बैकवर्ड क्लास का था, जिसका नाम प्रेम चन्द्र था, उसको पुलिस ने मारा और उसकी २४ घंटे में मौत हो गई गयी। माननीय तिवारी जी उस समय मुख्य मंत्री थे। लखनऊ के पिछड़े वर्ग के लोगों ने और जो इंसाफ पसन्द लोग थे, उन लोगों ने तिवारी जी का ध्यान आकृष्ट किया था,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री डी० पी० बोरा]

लेकिन उस समय के जल्लाद दरोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और आज भी जिसका नाम भानु प्रताप सिंह है, वह स्टेशन आफीसर की हैसियत से मौजूद है। इस तरह का अत्याचार उनके समय में हुआ है। इन्हीं सब कारणों से आज वे ट्रेजरी बेन्चेज को छोड़ कर विरोध में बैठे हैं। यह चीज उनसे भी कही गयी जिनके गुणगान में ये लगे हुए थे, जब वे यहां पर आये थे, तो खदरा के इलाके में उनका ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगी थी बल्कि जिन लोगों ने यह कहा था कि यह जुल्म है, उन लोगों को जेल के कटघरे देखने पड़े। यह अन्याय था उस वक्त के मुख्य मंत्री का।

इसी प्रकार की एक अभूतपूर्व घटना लखनऊ में घटी। उस समय लखनऊ के प्रशासक ने एक आतंक मचा रखा था, पूरे का पूरा शहर उजड़ा हुआ मालूम होता था। जगह-जगह दुकानों और घरों को गिरा दिया गया था। इन्हीं के समय में गृह और जलकर ८० लाख से बढ़ाकर २ करोड़ ८० लाख कर दिया गया। चूंकि उस समय स्वायत्त शासन मंत्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी थीं, उन्होंने इलाहाबाद नगर में कर निर्धारण में केवल २५ प्रतिशत की ही वृद्धि कराई थी। इसी प्रकार से माननीय कमलापति त्रिपाठी के कहने पर वाराणसी में भी ऐसा ही किया गया था। लखनऊ में कर निर्धारण का मैं स्वयं भी भुक्त भोगी हूं और इस कर निर्धारण के विरुद्ध जिन लोगों ने आवाज बुलन्द की कि घोर अनियमितता हो रही है और सुनवाई नहीं हो रही है, उनको मीसा में पकड़ने और जेल में बन्द करने की धमकियां देकर दूर हटा दिया गया। आपातकालीन स्थिति में बहुत से लोगों को जो अपने-अपने घरों पर सो रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसा कर जेलों में बन्द कर दिया गया जिसके लिए लोगों के मन में बड़ा रोष व्याप्त रहा है।

अब मैं कुछ रचनात्मक सुझाव सरकार के सम्मुख और खासतौर से शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए रखना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों की जिनका विद्यार्थी जीवन का नेतृत्व १५-२० साल का रहा है और उनकी एक समिति बना दी जाय ताकि वे विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकें। इनका समाधान पुलिस के बल पर नहीं हो सकता है बल्कि इनका समाधान उस समिति से हो सकता है और जैसे ही कोई उनको समस्या हो उसके निदान का कोई रास्ता यह समिति निकाल सके।

आपातकालीन स्थिति में कृषि विभाग के निदेशक ने अपने विभाग में १४-१५ कर्मचारियों को निकाल दिया था जिनके बारे में वर्तमान केबिनेट ने फैसला भी ले लिया है, मेरी प्रार्थना कृषि मंत्री जी से है कि जितना जल्दी हो सके उनको रिइंस्टेट किया जाय।

माननीय, उत्तर प्रदेश में तमाम कार्पोरेशन बने हैं जिनमें हारे हुए लोगों को या तो चेयरमैन बना दिया गया है। जिससे वे हर प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि जिसने कोई काम न किया हो ऐसे चेयरमैन को तुरन्त हटाया जाय और उनके स्थान पर योग्य आदमियों को रखा जाय।

माननीय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो सेल्स टैक्स को हटाकर उत्पादन कर की बात कही गयी है, उससे खुशी का इजहार हुआ है।

मान्यवर, इसी शहर में एक बहुत बड़ा शिया–सुन्नी दंगा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि उसके बारे में कोई फैसला अबिलम्ब कराया जाय ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि आज सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अशफाक (जिला गोंडा)––

जनाबें सदर साहब, आपने जो मेरी भूख पर तरस खाकर, मुझे बोलने का मौका दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

राम और गौतम की इस भूमि पर लोगों के माथे पर कलंक टीका लगा दिया गया। सारे हिन्दुस्तान पर एक काली चादर चढ़ा दी गई पैरों में बेड़ियां डाल दीं गई, मुंह पर ताला लगा दिया। काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बड़ी जेल बना दी गई। चारों तरफ नादिरशाहीं, हिटलरशाही की सूरतें नजर आती थीं। जुल्म पर जुल्म ढाये जाते हैं, लेकिन....

शोहरत की बुलन्दी पल भर का तमाशा है,

जिस शाख पे बैठे हो वह टूट भी सकता है।

शाख टूटी और जालिम हुक्मरां जमीन पर गिरा। अपनी मौत मर गया। बगैर एक कतरा खून बहाए एक ऐसी क्रांन्ति हुई जिसे सारे जहान में सराहा गया।

जनाबे सदर साहब, जनता ने बड़ीं खुशी से इन जालिमों का मुंह काला किया, लेकिन आज जब मैं यहां से बलरामपुर वापस जाता हूं तो मुझसे यह मांग की जाती है कि उस बलरामपुर में, जिसमें दो वक्त भी रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए गरीबों का कोई जरिए माश नहीं कोई चारा नहीं, वहां पर उस बलरामपुर को खूबसूरत बनाने के नाम पर सैकड़ों गरीबों को क्यों उजाड़ दिया गया? जो गरीब दो वक्त की रोटी न पाकर के महीनों भूखे मरते रहे, उन्हीं गरीबों पर वहां मुकदमें कायम किए गए और आज भी चल रहे हैं। पेशियां होती हैं वह गरीब बलरामपुर से २६ मील दूर गोंडा दौड़ कर जाता है, फिर भी वहां मुकदमें की सुनवाई नहीं होती हैं और वह वापस लौट आता है। मैं आपके जरिए से शासन को बताना चाहता हूं कि ऐसे मुकदमों को फौरन वापस ले लिया जाय।

[श्री अशफाक]

जबसे मैं सदन में आया हूं, यह पहला इत्तफाक है, दोनों तरफ से खास कर कांग्रेसी हुक्मरान जो अब दूसरी शक्ल में यहां पर बैठे हुए हैं, अक्लियत के नाम पर दुहाइयां देते रहे। सारे इलेक्शन में, लोक सभा से लेकर विधान सभा के इलेक्शनों तक ये मुसलमानों के ठेकेदार बने रहे। आज भी मैं इधर से देखता हूं कि बराबर सवाल उठाते रहते हैं अल्पसंख्यकों के बारे में, पिछड़ी जातियों के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि उस वक्त ये कहां थे जब मुरादाबाद में ऐसी गोली मारी गयी कि मुसलमानों का भेजा उड़ करके मस्जिद की दीवारों पर चिपक गया। सुल्तानपुर में निहत्थे मुसलमान अवाम पर जो रोजे में थे, गोली चलाकर उनको छलनी कर दिया। वह कौन थे? तुर्कमान गेट पर जो बुलडोजर चलवाये गए, झोपड़ियां उजाड़ी गयीं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय अशफाक को बोलने दिया जाय। आप जारी रखें।

श्री अशफाक—

तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलवाकर घर गिराए जा रहे थे, तो मुसलमानों ने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम घर खाली किए देते हैं, लेकिन पानी बरसता रहा और वह जालिम अधिकारी नंगी तलवार लिए नादिरशाह की शक्ल में खड़े रहे और घरों पर निहत्थे अवाम पर बुलडोजर चलवा दिए। उर्दू की आवाज लगाकर ३० वर्षों तक मुसलमानों को कितना गुमराह किया गया मगर उर्दू के लिए क्या किया? जो जनता पार्टी ने काम किया है, वह यह कि बलरामपुर में १४ परसेन्ट मुसलमानों की आबादी है और मैं वहां से जीतकर आया हूं, जबकि हिन्दुओं की अक्सरियत ज्यादा है।

जनाबे सदर साहब, मैं ऐसे इलाके से आया हूं जिस पर कभी-कभी खुदा का भी फजल नहीं होता, सरकार तो दूर रही। न तो वहां पर सड़कें हैं, न पुल है। बाढ़ आता है, तो सारा इलाका टापू बन जाता है, दूसरे इलाकों से सम्बन्ध टूट जाता है। रोजी कमाने के लिए वहां कोई कल कारखाना नहीं है। ३० सालों से ये कांग्रेसी हुक्मरान वहां के लोगों की तरफ से बेखबर रहे, कोई ध्यान नहीं दिया और पूरा जिला पिछड़ा का पिछड़ा रहा। हरिजनों की बात लेकर यह दुहाई देते हैं कि हम उनके बड़े खैर-ख्वाह हैं। मैं आपको बताऊं कि लारवाही गांव के एक अन्धे शख्स से मैंने दौराने इलेक्शन पूछा कि किसको टिकट दोगे। वह जारो-कतार रोने लगा। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि मेरे दांत में दर्द था, मैं हास्पिटल गया हुआ था, हास्पिटल वालों ने मेरी जबरदस्ती नसबन्दी कर दी। उस वक्त ये कहां थे? आज हरिजनों की दुहाई देते हैं। यह सरजमीं है हिन्दुस्तान की, इसमें ६५ करोड़ आवाम रहते हैं जिनको हिन्दुस्तानी कहा जाता है। फिर यह अल्पसंख्यक कहां से, पिछड़ वर्ग कहां से, यह दूसरी जबान कहां से उठ खड़ी होती है। खुदा के लिए ऐसी बातें खत्म कर दीजिए। आज लोग चांद पर जा रहे हैं और अगर ये बातें खत्म नहीं कीं तो यह हिन्दुस्तान तबाह हो जायेगा। यहां एक ही अवाम है और वह हिन्दुस्तानी है। किसी को किसी किस्म की छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोई ऐसा न सोचे कि मैं ४५ परसेंट मार्क्स ला कर पास हो जाऊंगा और दूसरा ५० परसेंट लाने पर भी नहीं पास होगा।

इस उत्तर प्रदेश में तीन अखबार बड़ी तेजी से निकलते हैं---नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन । इन अखबारों के पास बेबुनियादी बातें निकालने के अलावा और कुछ नहीं है । अभी कुछ दिन पहले इनमें निकला था कि जनता पार्टी की सरकार फिर से नसबन्दी अभियान चला रही है । मैं मांग करता हूं कि ऐसी बेबुनियाद खबरें निकालने वाले अखबारों पर पाबन्दी लगाई जाय ।

अभी हमारे माननीय सदस्य, मंजूर साहब जो कांग्रेस की बेन्चेज से बोल रहे थे, हमको बाहर मिले । उन्होंने मुझसे पूछा कि किस पार्टी से चुन कर आये हो । मैंने कहा कि जनता पार्टी से । उन्होंने कहा कि छोड़ो जनता पार्टी, कांग्रेस में आ जाओ, हम सब मुसलमान एक हो जायं, कांग्रेस को हम से हमदर्दी है । शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को ऐसी बातें कहते हुए ।

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन (जिला सहारनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, अब तक श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो भाषण हुए हैं, उनमें जो भाषण माननीय नेता विरोधी दल का हुआ वह सब से ज्यादा दिलचस्प, कलाकारी और कारीगरी से भरपूर था । मुझको पसन्द आया और मैं उनको दाद दिये बिना नहीं रह सकता । मान्यवर, उर्दू के साथ अपने ३० साल के राज में कांग्रेस जो कुछ करती रही वह तो किया ही लेकिन आइन्दा भी जो कुछ करने का प्रोग्राम है, वह भी आपके प्रस्ताव में साफ नजर आ रहा है । आपने उर्दू पर करम फरमाते हुए लिखा कि जिन जिलों में २० प्रतिशत से ज्यादा लोग उर्दू पढ़ने वाले हों, वहां एक कमेटी कायम करने का जिक्र उसमें आया है । दूसरे लफ्जों में यह कहा जायगा कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों के वोट तो याद आ रहे हैं, हमारे नेता विरोधी दल को लेकिन जो बात कही वह गोलमाल कही ताकि अगर कभी गलती से आपकी सरकार बन जाये, तो आपसे कोई यह न कहे कि आपने उर्दू के बारे में जो वायदा किया था, उसे पूरा कीजिए । आप तो यही कह देंगे कि हमने तो कमेटी बनाने के लिए कहा था वह बना दी । कमेटी तो २० साल तक चल सकती है तब तक तिवारी जी की गवर्नमेन्ट आराम से हुकूमत कर सकती है । कोई वायदा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत दिनों तक आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब नहीं बना सकते । जैसा कि रियासत हुसैन साहब ने साफ तरीके से कहा कि उर्दू को सेकेन्ड लैंगुएज होना चाहिए । यही आप कहते तो शायद लोगोंको आपसे हमदर्दी होती, लेकिन इस तरह से कलाकारी से काम चलने वाला नहीं है।

हमारे नेता विरोधी दल ने बार-बार अखबार पढ़कर सुनाया हरिजनों पर जो मजालिम हो रहे हैं । मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बार भी आपने जनता सरकार का शुक्रिया अदा नहीं किया कि उसने अखबारों को इस काबिल कर दिया कि नेता विरोधी दल भी उनको पढ़कर यहां सुना सकें, वरना उनमें ५ सूत्री और २० सूत्री कार्यक्रम के अलावा और कुछ होता ही नहीं था । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक बार माननीय चौधरी चरण सिंह जी भी उसी जगह से बोल रहे थे, तो उस वक्त इधर से, ट्रेजरी बेन्चेज से यह एतराज किया गया था कि यह दिल्ली की बात लखनऊ में क्यों कही जा रही है, लेकिन इमरजेन्सी के समय में बाज अखबारों में यह बात पढ़ने में आई थी कि तिवारी जी दिल्ली और लखनऊ में कोई फर्क नहीं समझते हैं, उस समय उनको नयी दिल्ली तिवारी (एन० डी० तिवारी) कहा जाता था । आपने कहा कि आल इन्डिया रेडियो आजकल ऐन्टी इन्दिरा गांधी

[श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन--]

रेडियो बन गया है, उनको यह बात तो दिल्ली जाकर कहनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है और मैं जनता सरकार को इसके लिए आज बधाई देता हूं कि इस देश के अखबार यहां की जनता पढ़ने लगी है और उन्हीं को पढ़कर यहां पर हमारे नेता विरोधी दल बोलने लगे हैं तथा उसका हवाला देने लगे हैं।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस धन्यवाद के प्रस्ताव का भरपूर समर्थन करने के साथ-साथ मैं कुछ बातें अपने यहां के बारे में अर्ज करूंगा। इस अभिभाषण में मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का कोई जिक्र नहीं है। इसे देखकर मुझे अधिक दुख हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ आपको न्याय करना ही होगा। अगर इन्दिरा गांधी की इतनी ताकतवर हुकूमत लोगों की आवाज को नहीं दबा सकी, तो आज उत्तर प्रदेश की यह सरकार भी लोगों की आवाज को दबा नहीं पायेगी। इन्साफ सभी को चाहिए। सन् १९७४ में भी मैंने उस मंच से यह कहा था, आज भी कहना चाहता हूं, हमारा सहारनपुर इलाहाबाद से लगभग ४०० मील दूर है, यह लखनऊ केवल इलाहाबाद से १०० मील ही दूर है। यहां पर तो हाई कोर्ट की बेन्च हो सकती है, मगर वहां नहीं हो सकती। यह क्यां इन्साफ है? मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हमलोगों के साथ इन्साफ नहीं किया गया, तो यू० पी० का तकसीम होना निश्चित जानिये, यू० पी० का ३ टुकड़ों में बंटवारा होकर रहेगा। उसे कोई नहीं रोक पायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पुरषोत्तम दास--

श्रीमन्, क्रान्ति शब्द में गरिमा तो बहुत है, हमारे विधायकगण इस क्रान्ति की बहुत चर्चा करते हैं, सन् ७७ की क्रान्ति की गरिमा की बात बहुत की जा रही है कि यह क्रान्ति हुई है। जनता ने जनता पार्टी की सरकार बना दी है। मैं कहता हूं कि अब जनता पार्टी को यह चाहिए कि वह अपनी क्रान्ति करे, देश में जो भुखमरी छायी हुई है, गुन्डागरदी और अराजकता छायी हुई है, महंगाई छायी हुई है, चोरी और डकैतियां हो रही हैं, इनको दूर करने के लिये कोई क्रान्ति करे। इससे देश का लाभ होगा। प्रदेश का कल्याण होगा। अगर संजय गांधी और नारायणदत्त तिवारी का ही निन्दा करके नाम लिया जाता रहेगा, जेलों में क्या-क्या परेशानियां हुई उन्हीं को यहां बताया जाता रहेगा, सब अपनी-अपनी दिक्कतों को ही बताते रहेंगे, तो उससे देश और प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। जनहित में, देश और प्रदेश के कल्याण के लिए भी क्या होना चाहिये उस पर भी कुछ कहियेगा नहीं? अगर आप महंगाई और अराजकता आदि को नहीं रोक पायेंगे तो जनता दूसरी क्रान्ति भी कर सकती है। और इस तरह से दुनिया की निंदा और शिकायत से हमारे देश का, प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। जो सम्मानित जनता लावी में बैठी हुई है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, जो सरकार को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इधर अखबार वाले जो बैठे हुये हैं, ये जब चाहें आंधी पैदा कर दें, जब चाहें तूफान पैदा कर दें जब चाहें जिसको हुकूमत बना दें और जब चाहें हुकूमत बिगाड़ दें। महत्वाकांक्षा और पद लोलुपता की लालच से अगर कोई विधायक चाहता है, तो इससे हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, मेरा सुझाव है, आज अगर हम यह सोचें, यहां जितने बैठे हुए विधायक हैं, आप लोग बुरा मत मानिये, हम यह चाहते हैं कि किस तरह से

हम लोगों का प्रदेश का कार्य होगा, चाहे वह हरिजनों का मसला हो, चाहे गिरिजनों का मसला हो, चाहे बड़े लोगों का मसला हो, बड़े लोगों में वह लोग दोषी हैं, जो जिनका स्वभाव ही यही रहा है, जो हमेशा सताये हैं, हम सबको यह सोचना चाहिये किस तरह से हमलोगों का अपने प्रदेश का कल्याण हो सकता है । मान्यवर, जो अत्याचार हरिजनों पर हो रहे हैं, यह एक बड़ी समस्या है । इस समस्या को हम और आप मिलकर हल कर सकते हैं । मान्यवर, केवल भाषण देने से काम नहीं चलने वाला है । केवल भाषण देने से देश की और प्रदेश की परेशानी नहीं दूर हो सकती है । सरकार यह कागज पर घोषणा करती है कि अनुदान दिया जा रहा है, भूमिहीनों को जमीन दी जा रही है, परन्तु वास्तविकता यह है कि होना-जाना कुछ नहीं है । इससे मान्यवर, उल्टे लोगों में कलुषित भावना पैदा होती रहती है । मान्यवर, विकास के लिए सरकार रोजाना कार्य करती है परन्तु हम लोगों के लिए कुछ नहीं करती है । अगर कुछ करती भी है, तो वह केवल कागज पर केवल दिखावे के लिए है । मान्यवर, हमलोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हमलोगों के पास सभी लोग आते हैं । चपरासी के पास तो कोई नहीं आता है, लेकिन हमलोगों के पास लोग आते हैं । मान्यवर, मैं जनता के कल्याण की बात कह रहा हूं । सदन में बैठकर हमलोग कानून बनाते हैं, लेकिन इस कानून को मनवाने के लिए कार्यरूप में परिणत करने के लिए सरकार की मशीनरी है, जो उसका कार्यान्वयन करती है ।

मान्यवर, जब कोई हमारे माननीय विधायक हरिजनों के विपक्ष में बोलते हैं, तो बड़ा दुख होता है । मान्यवर, इन हरिजनों का कल्याण कब होगा ? सदन में सदन की गरिमा है और आप बैठे हैं, आपके सामने हरिजनों का कल्याण नहीं होगा, तो कब होगा । मान्यवर, विधायकों का कर्तव्य यह है कि ये सदन में बैठकर कानून बनायें और इसको कार्यान्वित करने के लिए अफसरों पर निर्भर हैं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि हरिजनों का कल्याण हो सके । मान्यवर, हम लोगों के पास जो कोई आवे, जो कायदे की बात है, हम लोगों को मदद करनी चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि यदि कोई मिलने आता है, तो हम यह कहला दें कि हम कहीं गए हैं । एक दिन २०-३० किसान हमारे पास आये । उनका कहना था कि हमारे पीछे वसूली वारन्ट लगा हुआ है । हम घर से १५ दिन हुये, भागे हुए हैं मैंने इनके मोहलत के वास्ते डी० एम० से कहा किन्तु कोई इन्तजाम न हो पाया । (लाल बत्ती जलने पर) । मैं २ मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्रीमन्, मेरे कुछ सुझाव हैं । मेरे क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है जिससे कोई आदमी आ जा नहीं सकता है । जिराना मिसिरपुर, विजयपुर-रामपुर, विहसड़ा-रामपुर की सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० को दे दिया जाय । इसके अलावा मिर्जापुर में पुल बन गया है । इसके पहले पीपे का पुल था । इस पुल के पीपों का दुरुपयोग हो रहा है इसको रामपुर घाट पर लगवा दें जिससे जो मुसाफिर रामपुर होता हुआ बनारस जाना चाहे, तो पहुंच जाय । इससे जनता का बहुत कल्याण होगा ।

*डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)--

मान्यवर, मैं आभारी हूं जो आपने मुझको बोलने के लिए समय दिया । आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेसी भाई हरिजनों की आड़ लेकर बड़े हरिजनों के हमदर्द बने हुए हैं । जबकि हमने चुनावों में देखा कि इन्हीं के आदमी, कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर भगवत दयाल—]

गुंडे जो शराब पीकर जाते थे, हरिजनों के मुहल्लों में जाते थे और कहते थे कि जनता पार्टी तुम्हारे पट्टों को वापस ले लेगी। तुम्हारे अधिकार छीन लिये जायेंगे। इस तरह से हरिजनों को गुमराह करते थे। लेकिन मान्यवर, अब हरिजनों की समझ में आ रहा है कि इतने ही दिनों में जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिए कई काम किए हैं। जिन लोगों ने उनसे पट्टे छीन लिये थे पुलिस की सहायता से फिर उनको पट्टे दिलाये जा रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं था कि उनको कहां पर पट्टा दिया गया है, आज उनको उनकी जगह मालूम हो गई है कि हमको कहां पर पट्टा दिया गया है।

मान्यवर, मैं इमरजेंसी के दौरान में झांसी जिले में इन्होंने करतूतें दिखाई हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, रतन लाल सर्राफ के घर में डकैती डलवाई गई। कानून की आड़ लेकर उनके यहां डकैती कराई गई। अधिकारियों को रतन लाल के यहां जो कुछ मिला, हीरे, जवाहरात और उनकी बहू बेटियों से भी जेवर वगैरह छीन लिये गये और आपस में बांट लिये गये। इसके अलावा उनकी गुदा में पेट्रोल डालकर उनको जेल तक घसीटा गया। मान्यवर, उनसे ३ कोरे कागजों पर दस्तखत करवा लिये गये, जिससे काले कारनामों को छुपाया जा सके।

मान्यवर, इसी तरह से श्याम लाल जी को, जिनकी मां बीमार थी, उन्होंने पैरोल की प्रार्थना की लेकिन उनको नहीं मिला और उनकी मां की मृत्यु हो गई। वह अर्थी में भी न जा सके। मैं मुख्य मंत्री जी के पीछे स्टेशन तक गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। खोबाई जी न तो कुछ आदमियों को पेरोल दिया, लेकिन इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। मान्यवर, यह हाल था कि इनसे मिलना मुश्किल था। कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। यहां तक कि विधायक नहीं जा सकते थे। लेकिन आज जनता के साथ यह सख्ती नहीं है। इस समय पब्लिक का जो भी आदमी चाहे, मंत्रियों के कमरों में जाकर अपनी बात कह सकता है। घर में हो, या आफिस में, जनता मिल सकती है। उस वक्त तो कोई भी आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो यह प्रत्यक्ष उदाहरण है।

मान्यवर, मैं बुन्देलखंड के अन्तर्गत झांसी जिले का विधायक हूं। मैं आपके मध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ललितपुर, महरौनी में, गरमियों में पचासों जानवर पानी के अभाव में मर जाते हैं। पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां उसकी तरक्की करेंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे। बरसात में ६५ प्रतिशत गांवों में निकलने का रास्ता नहीं होता है, उसको देखें। मान्यवर, बुन्देलखंड की उपेक्षा की गई है। अब जनता पार्टी की सरकार है जिससे हम आशा करते हैं कि उसकी उपेक्षा नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भूतपूर्व राजस्व मंत्री, श्री स्वामी प्रसाद सिंह थे जो कि अपने को हरिजनों का हमदर्द कहते थे। उन्होंने हमीरपुर से एक हरिजन अधिकारी को जबर्दस्ती झांसी भेजा और झांसी के उस समय जिला अधिकारी एक माथुर थे, जिनसे कहा कि श्री वर्मा को सस्पेन्ड करना है। लेकिन माथुर ने वैसा नहीं किया। फिर उसकी पोस्ट सैन्कशन नहीं हुई जिससे उसको वहां जाना पड़ा। इस तरह से यह अपने को हरिजनों का हमदर्द बताते हैं।

माननीय, बबीना में रोड के घर गिरा दिए गए । उनके परिवार वालों से कहा गया कि अपने हाथ से अपने घर गिरायें । तो माननीय, कल्पना कीजिए कि जो अपना मकान बनाता है और फिर गिराये, तो उसकी आत्मा पर क्या बीतती होगी । उनका दमन ऐसा था कि कोई कुछ बोल नहीं सकता था । [***]

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से आप आक्षेप न करें । यह प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय । आप बैठें ।

एक सदस्य--

व्यवस्था का सवाल है...

श्री अध्यक्ष--

इस पर नहीं । आप बैठें ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ले रहा हूं और इस पर कल विचार होगा ।

आज नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हुई हैं--

१--श्री जगन्नाथ सिंह गौतम--सीमेन्ट के न मिलने से उत्पन्न संकट ।

२--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर कल बन्दूक व राइफलों से लैस एक बड़ी भीड़ द्वारा चार घंटे तक अनाधिकृत रूप से अधिकार किये जाने की घटना से प्रदेश भर की जनता में क्षोभ तथा चिंता का वातावरण । इसको स्वीकार किया है ।

३--श्री जगन्नाथ सिंह--पूर्ति विभाग व व्यापारियों द्वारा चीनी के वितरण में चोर बाजारी तथा मुनाफाखोरी से उत्पन्न संकट ।

४--श्री नाथूराम शिक्षक, श्री राम अधार यादव--इलाहाबाद स्थित जीप फ्लैश लाइट इन्डस्ट्रीज के कुछ कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों द्वारा पीटा जाना तथा परेशान करना ।

५--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--उत्तर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त बेसिक शिक्षा संस्थाओं के लिये नवजीवन, नेशनल हेराल्ड तथा कौमी आवाज समाचार-पत्रों का मंगाना अनिवार्य करने से उत्पन्न संकट ।

६--श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मसूदल हसन नोमानी--बाराबंकी नगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज में कक्षा ६, ९ एवं ११ में स्थानाभाव के कारण सैकड़ों छात्राओं को प्रवेश न मिलने के कारण भारी परेशानी ।

७--श्री हरिकेवल प्रसाद--प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के दोनों गुटों द्वारा ६ अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल करने के निश्चय से उत्पन्न संकट ।

नोट--[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष--]

८--श्री राघेश्याम--कांग्रेस सरकार द्वारा आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां पुनः चालू करने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा ।

९--श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव और श्री हिम्मत सिंह का गोरखपुर नगर तथा उसकी पांच मील की परिधि में मास्टर प्लान लागू करने के फलस्वरूप २० हजार लोगों को भूमिहीन तथा बेरोजगार बनाने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है ।

१०--श्री मोती राम का, जे० के० प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों द्वारा कानपुर नगर में ३ हजार श्रमिकों को बेरोजगार करने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है ।

११--श्री राम दत्त जोशी का, उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग २५०० प्रशिक्षित अध्यापक जो ५, ६ वर्ष से अस्थायी नियुक्तियों में सेवारत हैं, को निकाले जाने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है ।

१२--श्री विद्याशंकर पांडेय और श्री रमापति मिश्र का, प्रान्त में स्थापित विभिन्न आयोगों के कांग्रेसी अध्यक्षों द्वारा सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग के सम्बन्ध में है ।

१३--श्री विद्याशंकर पांडेय का मुगलसराय स्थित गैस उत्पादन करने वाले कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में आक्सीजन गैस की कमी से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है ।

१४--श्री विजय राज सिंह का, राजकीय जुबली इंटर कालेज, लखनऊ में हाई स्कूल तथा इन्टर में अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न मिलने के कारण जनता में असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

१५--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी का, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन तथा कौमी आवाज के कर्मचारियों द्वारा गत १४ तारीख से अनशन के सम्बन्ध में है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं जबकि इसकी प्रति मुख्य मंत्री जी को भी मिली होगी।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

नियम ५१ के अन्तर्गत कोई सूचना दी जाती है तो जब वह माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा स्वीकृत हो जायगी और आप आदेश देंगे तो बक्तव्य दिया जायगा । माननीय नेगी जी तो पुराने सदस्य हैं ।

श्री अध्यक्ष--

सदन कल उठने जा रहा है । चूंकि कल यहीं यह घटना घटी है, तो कल २३ तारीख को वक्तव्य दे दीजिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

कल वक्तव्य हो जायगा ।

वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील के ग्राम छिछुवा और भुर्रा का गंगा नदी की बाढ़ से कटान के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)---

वाराणसी जनपद के तहसील ज्ञानपुर के विकास खंड डीघ के अन्तर्गत ग्राम छिछुवा व भुर्रा की भूमि गंगा नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त हो रही है। ये ग्राम गंगा के बायें तट पर बसे हैं तथा गंगा नदी से घिरे हुए हैं। लगभग १०० वर्षों से गंगा की धारा शनैः शनैः दक्षिण से उत्तर की ओर (दायें तट से बायें तट की ओर) हट रही है। इन हटने की प्रक्रिया में छिछुवा आदि ग्रामों के खेत कटते हैं और दूसरे किनारे पर मिर्जापुर जिले में पटाव होता है। नदी में इस स्थान पर मोड़ होने के कारण छिछुवा व भुर्रा ग्रामों की जमीन बराबर गंगा नदी के बहाव से कटती रहती है। यह कटाव बायें तट पर लगभग ३.५ कि० मी० की लम्बाई में हुआ है।

२--स्थानीय जांच से ज्ञात हुआ है कि गंगा में तीव्र कटाव वर्ष १९६९ से आरम्भ हुआ है और इस कटाव से ग्राम भुर्रा की एक आबादी जिसमें २५ घर थे पूर्ण रूप से कट कर गंगा में गिर चुके हैं और इनके निवासी अन्यत्र बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम छिछुवा में लगभग २५ झोपड़ियां केवटों की गंगा के किनारे थीं पूर्ण रूप से कटकर गंगा में गिर चुकी हैं तथा इन लोगों ने नदी के पीछे हटकर अपने रहने की व्यवस्था कर ली है। १९७७ की बाढ़ से दोनों ग्रामों में अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी बाढ़ के प्रभाव से मकान कटा नहीं है। पिछले ५० वर्षों में १२०.५ हेक्टेयर भूमि कटकर गंगा में गिर चुकी है। वर्ष १९७६ मई तक १०३.६ हेक्टेयर भूमि कटकर गंगा में गिरी थी। इस प्रकार एक वर्ष (मई १९७६ से जून १९७७ तक) में लगभग १८.९ हेक्टेयर भूमि कटकर गंगा में गिरी है। लगभग इतनी ही भूमि गंगा के बायें किनारे पर मिर्जापुर जनपद में छोड़ी गई है।

३--स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् यह भी ज्ञात हुआ है कि ग्राम छिछुवा व भुर्रा में कोई बड़ी पक्की इमारत खतरे में नहीं है। दोनों ग्रामों की आबादी कटाव क्षेत्र से काफी दूर पर स्थित है। दोनों ग्रामों में ग्राम छिछुवा ६ आबादी में बसा है जिसकी कुल आबादी २००० है। इस ग्राम के अन्दर १८८ मकान स्थित हैं। भुर्रा ग्राम में २ आबादी है जिनकी जनसंख्या ६०० है इनमें ३६ मकान हैं।

४--गंगा जैसी बड़ी नदी पर कटाव निरोधक कार्यों की लागत अत्यधिक होती है जो केवल मुख्य स्थानों पर ही किया जाता है। अतः यदि विचाराधीन स्थल पर हम कटाव को रोकने का प्रयास करते हैं तो इसमें करोड़ों रुपये व्यय होंगे। इस लागत से जो लाभ होगा वह अनुमानित व्यय के अनुरूप नहीं होगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक लम्बा वक्तव्य दिया है और कुछ आंकड़े दिए लेकिन जो अन्त का वाक्य और अन्त का पैरा कह डाला, वह बड़ा जनरल कह दिया। करोड़ों की बात कही गई। मैं इन्हीं के वाक्यों पर प्रश्न पूछ रहा हूं। इन्होंने कहा है कि १२० एकड़ का नुकसान हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र--]

१९७६ १०३ हेक्टेयर का और इस साल अभी तक करीब १७ हैक्टेयर का नुकसान हो गया। करीब ३०० हेक्टेयर वह जमीन होती है। इसके माने यह हुए कि करीब साढ़े सात सौ एकड़ जमीन कट गई दो गांवों की। यदि उसकी कीमत १५ हजार रुपये के हिसाब से लगायी जाय तो करोड़ों में होगी लाखों में नहीं। माननीय मंत्री जी शायद यह कह दें श्रीमन्, कि इधर जमीन कट के मिर्जापुर में मिल जायगी लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि जहां दो गांवों में कटाव हो रहा है, इन्हीं जमीनों का रेवेन्यू लिया जा रहा है और इधर की जमीन से नहीं मिलता है। जो करोड़ों की बात कही इस प्रकार की बयानी न करें। जो सच है वह कहा जाय। मैं जानता हूं। मैं भी मंत्री था और कुछ जगहों में काम कराया। यदि इसका इस्टीमेट बनाया जाय तो तीस-पैंतीस लाख से ज्यादा नहीं लगेगें और पांच वर्ष में कार्य हो सकता है एक साल में नहीं। क्या यह सच है और मंत्री जी के अधिकारी वहां गए और उन्होंने देखा कि उन दो गांव की जनता ने बांस काट कर उस पर एबेटमेंट करके छोटा सा बांध बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप तो खुद सूचना दे रहे हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि सही है या नहीं? यह जो आंकड़े दिए गए और करोड़ों की बात कह दी गई इस पर कृपया मंत्री जी पुनर्विचार करें। इसका इस्टीमेट बनवा लें और देख लें कि लाखों की बात है और एक वर्ष में बनने की बात नहीं है, बल्कि पांच वर्ष लगेगें। वहां पर हरिजन, ठाकुर और ब्राह्मणों की बस्ती है। उनकी जमीन भी कट रही है, मैंने स्वयं देखा है और नहीं है तो माननीय मंत्री स्वयं देख आयें।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मैंने इसमें निवेदन किया है कि ३.५ कि० मी० की लम्बाई में कटाव पिछले १०० साल से हो रहा है। १६.९ हेक्टर जमीन १९७७ से जून, ७७ तक कटी है। यह ३.५ किलोमीटर यानी १६ हेक्टर जमीन का पिछले साल बाढ़ के दौरान गंगा जैसी नदी के द्वारा कटाव करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। दूसरी चीज जो माननीय सदस्य ने कही यहां पर कटाव, जो घरों अथवा खेतों का हो रहा है, उसके स्पष्ट आंकड़े मैंने पिछले ५० वर्ष के दिए हैं, जो कि रेवेन्यू रिकार्ड से हैं। ५० वर्ष में १२०.५ हेक्टर जमीन कटी। नदी पर ठोकर देने का मतलब है कि तीव्रता से एक जगह से उसे दूसरी जगह कर दें। फिर वह दूसरी जगह कट जायगी। तीन किलोमीटर तक ठोकरें बनानी होंगी यानी १५, १६ ठोकरें बनानी होगी जिनमें २०, २५ लाख रुपए फी ठोकर की जरूरत होगी। ये सरकारी आंकड़े हैं। कटाव की प्रक्रिया धीरे-धीरे चलती है। नदी कर्व करके चलती है। नदी बरसात होने पर बदलती रहती है और १५, १६ ठोकरें बनने के मतलब हैं करोड़ों रुपये का खर्च।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

कोई सर्वे किया गया था एस्टिमेट बनाने के लिए? अगर हां, तो वह क्या एस्टिमेट है और यदि नहीं, तो क्या आप सर्वे करायेंगे।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जैसा पहले स्पष्ट बताया कि एक ठोकर बनाई जायगी, तो अनुमानित खर्चा २२, २३ लाख रुपये आयेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कटाव एक साथ नहीं होता । पहले कहीं शुरू होता है फिर आखिर तक वह कटाव होता है । तो कोई इंजीनियर सर्वे करने गए थे और उन्होंने एस्टिमेट बनाया और नहीं, तो क्या सर्वे करा कर एस्टिमेट बनायेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जैसे साइड में कटाव होता है उस बारे में मैंने बताया ...

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न आपसे यह किया गया है कि ऐसा कोई सर्वे किया गया है या नहीं किया गया है, अगर नहीं, तो क्या आप सर्वे करायेंगे ? इसका आप उत्तर दें ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जहां पर भी हमारी नदियों में बाढ़ आती है, हर स्थान पर इस बात का विचार किया जाता है कि इसके लिए क्या उपाय किया जाय ...

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है, ऐसा होता है । लेकिन सवाल यह है कि यहां पर कटाव हो रहा था, तो कोई सर्वे कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या आगे आप सर्वे कराने पर विचार करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इसके लिए जो आयोग बना हुआ है, जब कटाव शुरू होता है, तो उसकी सूचना देते हैं । नाम इसका गंगा बाढ़ आयोग है । उसकी राय ले कर धन मिलता है और इतनी उम्मीद की जाती है कि उसका सदुपयोग किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई रिपोर्ट सर्वे करके दी है उसे आप बतलायें ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, जैसा मैंने अर्ज किया, सर्वे किया, सर्वे जो हैं, इसका किया गया है, इस्टीमेट नहीं बना है । स्थान को देख कर हम हर जगह सर्वे करते हैं तब इस्टीमेट बनता है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि दो गांव कटाव में आ गए और कटाव जारी है । इस चीज को देखते हुए क्या मंत्री जी सदन को विश्वास दिलायेंगे कि जो बाकी गांव हैं, उनमें कटाव न पहुंचे उसके लिए कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

यह तो प्राकृतिक प्रकोप है इस सम्बन्ध में आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। उससे १९७६ में केवल एक मकान कटा है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि जितना हमारे पास धन होगा हम सर्वे कराते हैं और उस पर राय लेते हैं तब इस्टीमेट बनाते हैं और तब जो धन मिलता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। यह हर जगह करते है।

श्री अध्यक्ष—

आपका उत्तर मंत्री जी संतोषजनक नहीं है। लखनऊ गोमती में ही जो कटाव हो रहा है उनसे लखनऊ को बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। यह कहना कि प्राकृतिक कोप है काफी नहीं है। आपने फलड कंट्रोल बोर्ड बनाया है। अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वह देखें नदी किधर जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रश्न है कि गांवों को कटाव से बचाने के लिए कोई योजना है। सरकार का फर्ज होता है कि जो गांव कट रहे हैं उनको बचाने के लिए सतर्कता बर्ती जाय। उनका यह प्रश्न है कि कोई योजना बनाई गई है कि आगे के लिए नदी का रुख को देख कर कटाव से बचाया जाय ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

माननीय, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या यह सही है कि इन पिछले सालों में बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर के अधिकारी वहां गये और इस्टीमेट बनाया। अभी १५ दिन पहले अधिकारी लोग वहां गए थे सर्वे किया था और इस्टीमेट बनाया। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि सर्वे नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सर्वे हुआ, इस्टीमेट नहीं बना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय उप मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो गंगा बाढ़ आयोग का जिक्र किया कि उन्होंने सर्वे किया। तो किस आफिसर ने किया गंगा बोर्ड आयोग का और किस तारीख को गए और कितने दिन सर्वे किया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मैंने कहा जब भी हम सर्वे करते हैं उसकी राय लेते हैं और जब तक गंगा बाढ़ आयोग की राय नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं कर सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि गंगा बाढ़ आयोग के सदस्य गए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय उप मंत्री जी बतायेंगे कि किस अधिकारी द्वारा सर्वे हुआ और कितने दिन सर्वे किया ? वह सर्वे रिपोर्ट क्या है, बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

रिपोर्ट मांगना इस वक्त तो उचित नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

किस अधिकारी ने किया, संक्षेप में बता दें ।

श्री अध्यक्ष--

किस अधिकारी ने सर्वे किया, क्या यह आप बतला पाएंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मन्यवर, यह हमारा जो बाढ़ नियन्त्रण और ड्रेनेज विभाग है, उसके अधिकारी जाते हैं, सर्वे करते हैं । अधिकारी का नाम नहीं मालूम है । उसमें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर भी ह । एस० आई० गए हुए हैं और उन्होंन सर्वे किया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि दैवी प्रकोप है और तमाम इस्टीमेट बन गए हैं, लेकिन समस्या लाइलाज है । तो इसमें ३ हजार गांव का सवाल है, वहां के निवासियों के लिए खतरा बना हुआ है, तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इन ३ हजार आदमियों को किसी दूसरी जगह बसाने की कृपा की जायगी ? ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जहां भी कटाव होता है, उन आदमियों को बसाने की सरकार व्यवस्था करती है, यहां भी आवश्यकता पड़ने पर यह व्यवस्था सरकार करेगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२२ जुलाई, १९७७

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०--१८ विधान सभा--१८-८-७७--८४०-(पी०डी०)